खण्ड ५—अंक २०

१० अगस्त, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

188 Lok Sabha/56

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ से ६४७, ६४६, ६५०, ६५३ से ६५७, ६५६ से ६६४, ६६६, ६८४, ६६७ और ६६८ . ८५१–७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४८, ६५१, ६५२, ६५८, ६६५, ६६६ से ६८३ और ६८५ से ६६३ ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ ८८०–६६

दैनिक संक्षेपिका ८६७–६००

समेकित विषय-सूची (१६ जुलाई से १० अगस्त, १६५६) (१–७)

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा

शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

†*९४४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीना अधिनियम, १९४८ के लाभों को बीमा किये गये कर्मचारियों के परिवारों को भी देने की योजना को अंतिम रुप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब लागू होगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हैदराबाद में १९५५ में हुए श्रम मंत्रीयों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर हुयी चर्चा की दृष्टि में इस लाभ को उनके परिवारों पर भी लागू करने के प्रश्न पर कब अंतिम निर्णय किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** इसमें कुछ और समय लगेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या 'कुछ और समय' का अर्थ, अगले पांच वर्ष तो नहीं है ?

†**श्री आबिद अली :** पांच वर्ष ? कुछ मास लगेंगे।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार :** क्या अंशदान बढ़ाने का कोई विचार है ?

†**श्री आबिद अली :** कर्मचारियों से नहीं।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** इस अत्याधिक विलंब के क्या कारण है ? वित्तीय कारण है अथवा अन्य ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बताया कि और कुछ मास लगेंगे।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** मैं विलंब के कारण जानना चाहता हूं। ये वित्तीय हैं अथवा और दूसरे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रश्न को छोटा कर रहा था। इस विलंब के कारण क्या हैं, इसका उत्तर दिया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री आबिद अली : क्योंकि हमें व्यय पूरा करने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता हैं। इसलिये हम इस पर विचार कर रहें हैं कि कहां से यह राशि आये। कर्मचारियों से यह एकत्रित नहीं होनी चाहिये, यह निश्चय हो चुका है। अन्य साधनों से इनको इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पंजाब में बीज तथा खाद के गोदाम

†*९४५. **सरदार अकरपुरी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीज तथा खाद गोदाम बनाने के लिये इस वर्ष पंजाब सरकार को कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह धन राशि कितनी है ; और

(ग) यह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) :** (क) से (ग). बीज भंडार बनाने के लिये पंजाब सरकार ने कोई ऋण नहीं मांगा है। खाद गोदाम बनाने के लिये कोई ऋण नहीं दिया गया है।

†**श्री ब० द० पांडे :** क्या बीज तथा खाद गोदाम बनाने के लिये अन्य राज्यों ने ऋण मांगा है?

†**डा० प० शा० देशमुख :** अधिक अन्य उपजायो नियमों में खाद गोदामों के लिये ऋण देने कि कोई व्यवस्था नहीं है। बीज भंडारों के संबंध में हम स्वयं समस्त भारत में बड़े पैमान पर ऐसे भंडार बनाने जा रहे हैं तथा आवश्यक ऋण भी देने को तत्पर है। समस्त देश में लगभग ३,७०० बीज भंडार होंगे।

श्री हेम राज : क्या में जान सकता हूं कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहां पर कि बीज बहुत देर से मिलता है वहां पर भी इस किस्म के गोदाम बनाये जायेंगे ?

डा० प० शा० देशमुख : गोदामों की एक दो स्कीमों हमारे पास है। कुछ गोदाम तो को-आपरेटिव सोसाइटीज (सहकारी समितियां) बना सकती हैं और उनको हम और स्टेट्स गवर्नमेंटस् (राज्य सरकारें) सबसिडी (आर्थिक सहायता) और लोन (ऋण) देती हैं और दूसरे जो सीड (बीज) स्टोर्स हैं उनको हम प्रोत्साहन देते हैं और पैसा भी देते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय ने जो अभी बतलाया कि वहां की सरकार ने लोन नहीं मांगा है तो क्या पंजाब में सीड स्टोर्स पहले से इतने ज्यादा मौजूद हैं कि वहां और स्टोर्स बनाने की जरूरत नहीं है या वहां की सरकार इतनी संपन्न है कि केन्द्रीय सरकार के कर्ज की उनको आवश्यकता नहीं है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : जो स्कीम बनती है उसमें कुछ समय भी लगता है और राज्य सरकारें चूंकि उस काम को कर रही हैं इसलिये बनिस्बत हमारे या और किसी आनरेबूल मेंबर के ज्यादा अच्छा अंदाजा वह कर सकते हैं और मुझे पुरा यकीन है कि जो वहां की जरूरत होगी उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा।

†**श्री अच्युतन :** जिन राज्यों में खाद तथा बीज गोदाम नहीं बने है क्या उनमें इनके निर्माण के संबंध में कोई कार्य प्रारंभ किया गया है ?

†**डा० प० शा० देशमुख :** कुछ राज्यों में इन बीज गोदामों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। खाद गोदाम नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री बी० चं० शर्मा :** बीज गोदामों तथा खाद गोदामों के लिये कितनी धनराशि रखी गई है तथा भारत के विभिन्न राज्यों के संबंध में क्या कोई आवण्टन गिया गया है ?

†**डा० प० शा० देशमुख :** जी हां, जहां तक बीज गोदामों का संबंध है, प्रत्येक राज्य में निर्मित होने वाले बीज भंडारों की संख्या का निश्चित आवण्टन हो चुका है तथा इस कार्य के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। खाद गोदामों के निर्माण के लिये न तो कोई हमारा प्रस्ताव है तथा न हीं राज्य सरकारों का है।

पर्यटन

*९४६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री २ मई, १९५६ के अतारांकित **प्रश्न संख्या** १६५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पर्यटन के विकास के लिये पंच वर्षीय योजना के अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थूल रूपरेखा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसका अंतिम रूप देने में कितना समय लग जायेगा ; और

(घ) अब तक निर्णय करने में देरी होने का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के बारे में प्रतियां संसद के पुस्तकालय से प्राप्त हो सकती है।

(ग) और (घ) : सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि परिवहन मंत्रालय ने प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) से इस काम के लिये ८ करोड़ रुपये की मांग की थी जब कि उन्हें इस काम के लिये केवल २ करोड़ रुपये ही दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी उससे संतुष्ट हैं और क्या वह समझते हैं कि इससे उनकी सब योजनायें पूरी हो सकेगी ?

श्री अलगेशन : यह बात तो ठीक है कि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं लेकिन उससे ज्यादा पैसा मिलने के कोई आशा भी तो नहीं है ?

श्री च० द० पांडे : इस बात की दृष्टि में कि काश्मीर में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष, कुटिया तथा विश्राम गृहों को बनाने के लिये ८० लाख रुपये व्यय करेगी, क्या सरकार यह महसस नहीं करती कि इस एक पहाड़ी स्थान को असंतुलित रूप से संरक्षण देने पर शिमला, मसूरी तथा नैनीताल जैसे पहाड़ी स्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री अलगेशन :** मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि पर्यटन महत्व के लिये एक स्थान तथा दूसरे स्थान में परस्पर स्पर्धा हो सकती है ।

†**श्री च० द० पांडे :** होती है, यह सभी जानते हैं कि काश्मीर समस्त विश्व में प्रसिद्ध है, इस लिये स्वभावतः ही वहां अधिक पर्यटक जाते हैं। काश्मीर जानें वाले अधिक पर्यटको के आधार पर हमे माननीय उपर्युक्त प्रबन्ध करने पड़े। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कि हम अन्य स्थानों के महत्व को उपेक्षा कर रहे हैं। उनके लिये भी हम कुछ करने का विचार कर रहे है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री हेम राज :** इस स्थानों पर बहुत कम होटलों अथवा खाने तथा ठहरनें के स्थानों के होने के कारण, क्या सरकार होटल उद्योग के विकास के लिये कोई योजना बना रही है ?

†**श्री अलगेशन :** जी हां। जहां तक होटलों का सम्बन्ध है यह मामला गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथ में है। जहां उनको उचित आय की आशा हो वहां वह होटल प्रारम्भ कर सकते हैं जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम अच्छे विश्राम गृह जिनमें कैन्टीनें हो, बनाने का विचार कर रहे हैं।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार :** पर्यटन यातायात के विकास के सम्बन्ध में, क्या सरकार का ध्यान जैसे उटकामंड, कोर्टलाम तथा कोडाइकनाल जैसे स्थानों में पर्यटन यातायात के विकास की ओर भी है, और क्या माननीय मंत्री, पर्यटन विकास के लिये विभिन्न स्थानों पर व्यय किये गये धन का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**श्री अलगेशन :** समस्त योजना के विषय में मैं बता चुका हूं। मेरा उत्तर हिन्दी में था। संभवतया माननीय सदस्य समझे नहीं। उत्तर में कहा गया है कि यह जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त हो सकती है, यह योजना का अंग है।

†**श्री कासलीवाल :** पर्यटन विकास में विदेशी तथा भारतीयों दोनो पर्यटक आते हैं तथा हमने अब तक यह सुना है कि विदेशी पर्यटकों को अधिक सुविधाये दी जाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय पर्यटकों को क्या विशेष सुविधायें देने का विचार है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं समझता हूं कि मै इस प्रश्न का सभा भवन में कई बार उत्तर दे चुका हूं। भारतीय पर्यटकों को प्रोत्साहन न देने का और केवल विदेशी पर्यटकों के लिये ही कुछ करने का प्रश्न नहीं है। जब तक हमारे पास आन्तरिक पर्यटन का उचित आधार नहीं होगा तब तक विदेशी पर्यटन विकसित नहीं हो सकता है। इसलिये हम उसके प्रति अधिक सावधान हैं। जो भी प्रबन्ध किये जाते हैं वे विदेशी पर्यटकों तथा यहां के पर्यटकों दोनों को प्राप्त होते हैं। जो सुविधायें दी गयी हैं उनका उपयोग करने के लिये भारतीय पर्यटकों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

श्रीमती कमलेन्दूमति शाह : माननीय मंत्री ने कहा कि कई जगहों पर टूरिस्ट्स (पर्यटकों) के लिये टूरिज्म के स्थान बनायेंगे। चूंकि टेहरी गढ़वाल में भी बहुत से अच्छे स्थान हैं इस लिये क्या टूरिज्म के स्थानों में टेहरी गढ़वाल का भी नाम है अर्थात क्या टेहरी गढ़वाल में भी टूरिज्म के स्थान बनेंगे ?

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार जूनागढ़ तथा गिरनार में पर्यटन केन्द्र खोलने का विचार कर रही है जिससे पर्यटक गिर के बन तथा वहां के भारतीय सिंहों को देख सके ?

†**श्री अलगेशन :** गिर एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है क्यों कि भारत में केवल वही एक स्थान हैं जहां सिंह हैं। मैं किसी विशेष स्थान के सम्बन्ध में अभी नहीं बता सकता। यह सौराष्ट्र सरकार के पर्यटक विकास योजना का अंग होगा।

चीनी के कारखाने

†***९४७. श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य** और **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५–५६ की ऋतु में विभिन्न राज्यों के चीनी कारखानों ने उत्पादकों को गन्ने का मूल्य नहीं दिया ह;

(ख) यदि हां तो, ऐसे कारखानें कौन कौन से हैं; और

(ग) शीघ्र भुगतान के लिये सरकार क्या उपाय कर रहीं है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमूख)** : (क) और (ख). १५ जून १९५६ तक कारखानों द्वारा खरीदे गये गन्ने के ६६·१ करोड़ रुपये में से केवल लगभग ३·८ करोड़ रुपया अर्थात कुल मूल्य का ५·७ प्रतिशत ३० जून तक नहीं दिया गया हैं। रुके हुए धन का पर्याप्त भाग अब तक दिया जा चुका होगा ।

(ग) बकाया समाप्त करने के लिये राज्य सरकार आवश्यक उपाय कर रहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सेस उपकर तो राज्य सरकार ले लेती है, केन्द्रीय सरकार डयूटी (शुल्क) ले लेती है, शुगर मिल वाले रख लेते हैं लेकिन जो पांच परसेन्ट रुपया बाकी रहता है वह किसानों का होता है। उसके लिये सरकार क्या इन्तजाम करती है कि वह जल्दी से किसानों को मिल जाय ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): इसके लिये कानून बने हुए हैं कि एक मुकर्रर मियाद के अन्दर यह रूपया अदा होना चाहिये। कई एक केसेज जिन में देरी हुई, अटेचमेंट (कुर्की) का सार्टिफिकेट इश्यु (जारी) हुआ है। वैसे भी सरकार हर प्रकारसे इस बात की कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी वह पैसा दिया जाय। देरी जो कुछ हो रही है, उसके लिये विशेष कारण है। कुछ अर्सा तो इस लिये लगा कि कीमत रिकवरी पर देनी है और रिकवरी अब निकाली जा रही है, कई जगहों पर एसा भी हुआ है कि रबी के बोने के कारण किसान लेने नहीं आये। बाकी माननीय मेंम्बर का जो कहना ह कि रुपया जल्दी वसल होना चाहिये वह बिल्कुल ठीक है और उसकी कोशिश की जायगी ।

श्री विभूति मिश्र : जिन किसानो नें केन माकटिंग यूनियन (विक्रय संघ) के द्वारा गन्ना दिया है या डाइरेक्ट (सीधे) मिल को दिया है, और जिनका एक १०० या ५० रु० बाकी है, उनका बहुतसा रुपया कई बार आने जाने में खर्च हो जाता है। क्या सरकार इस के लिये कोई इन्तजाम करेगी कि उनका पैसा पहले मिल जाय?

श्री अ० प्र० जैन : यह हिसाब तो मुझे नहीं मालूम कि किसान कितनी दूर रहते हैं और किसी खास जगह से आनें में उनको कितना किराया देना पड़ता है ।

श्री झुनझुनवाला : मंत्री महोदय ने तीन कारण बताये। एक तो यह है कि अभी रिकवरी के अनुसार तय नहीं हुआ हैं कि किस को रिकवरी के अनुसार कितना दिया जाय . . .

श्री अ० प्र० जैन : यह निकाला जा रहा है कि कितनी रिकवरी हुई और उसपर कितना दिया जाय ।

श्री झुनझुनवाला : यही में कह रहा था कि यह निकाला जा रहा है कि कितनी रिकवरी हुई और उसके उपर कितनी कीमत दी जाय, दुसरे यह कि रबी की फसल के बारे में उन्होंने कुछ कहा। मैं जानना चाहता हूं क्या आपने फक्ट्री में देखा कि इन दो तीन कारणो को छोड़ कर और किन कारणो से रुपया नहीं दिया गया है ? फैक्ट्री नें जान बूझ कर रुपया नहीं दिया या कि चूंकि उनके पास रुपया नहीं हैं इस लिये नहीं दिया, और पहले साल में ।कतना रुपया इस प्रकार बाकी पड़ गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : कई फैक्ट्रीज हैं जो ईमानदारी से और ठीक ढंग से काम नहीं करती है मैं सब फैक्ट्रीज के लिये नहीं कह रहा हूं और वे रुपया अधिकतर अपनें इस्तेमाल में लाती हैं। वह इधर उधर रुपया खर्च करतीं हैं और किसान को मिलने में देरी होती है। इसके लिये कितनी बार लाजिमी तौर से फैक्ट्रियां ही जिम्मेवार हैं ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस बात को दृष्टि में कि जहां रिकवरी का प्रश्न नहीं है गन्ने के मूल्य की बहुत सी राशि बकाया है तथा वह समय पर नहीं दी गयी है, क्या मैं जान सकता हूं जो धन आसानी से दिया जा सकता था उसपर सरकार सूद देने का प्रस्ताव के विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री० अ० प्र० जैन** : प्रश्न का जो पहला अंश; उस का जवाब तो जब मैं पहले उत्तर दे रहा था उसी समय दे दिया था । कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो देरी करती है, इस की जिम्मेदारी उन फैक्ट्रिया पर ही हैं । अब रहा यह कि जो कुछ उसके कायदे वगैरह हैं, वे सब राज्य सरकारों ने बनाये है कि कितने दिनों में पैसा दिया जाय और किस तरह से उस को एन्फोर्स (लागू) किया जाय । मैं इतना जरुर बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार नें इस तरह का पैसा वसूल करने के लिये १४ फक्ट्रियों के खिलाफ सर्टिफिकेट जारी किये हैं, जिन के नाम हैं : मैसूरपूर, ईकबालपर, बिजनौर, धर्मपूर, रोसा, अपराइच, बैतालपूर, देवरिया बगैरह वगैरह ।

बिना टिकट यात्रा

†*९४९ **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस तथा अन्य रेलवे कर्मचारी रुपया ऐंठने के लिये यात्रियों को बिना टिकट दिये यात्रा करने की अनुमति देते हैं, और

(ख) यदि हां तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) रेलों पर, इस प्रकार के कुछ मामले पकड़े गये हैं ।

(ख) इस प्रकार के अनुचित कार्यों को रोकना टिकट की जांच करनें के कार्यक्रम का भाग ह तथा दोषी कर्मचारियों को सदा से दंड दिया जाता है ।

श्री राम कृष्ण : क्या करप्शन इन्क्वायरी कमेटी (भ्रष्टाचार जांच समिति) में भी उसके मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं हुई ?

†**श्री अलगेशन** : यही मैं ने अभी बताया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि टिकेटलेस ट्रैवेल (बिना टिकट यात्रा) रोकने के लिये सरकार नें कोई ऐसा इन्तजाम किया है कि जो रेलवे कर्मचारी बगैर टिकट लोगों को गुजरने देते हैं, उन की जांच पड़ताल करने के लिये कोई महकमा हो या विजिलेंस विभाग हो जिस से रेलवे प्रशासन सुधर सके ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : वैसे तो हम और सभी कदम उठाते हैं, लेकिन खास चीज जो हम संगठित कर रहे हैं वह यह है कि सप्राईज चेक्स (अचानक छापे) हों, यानि स्टेशन वैगन्स पर पुलिस और टिकट कलेक्टर छोटे स्टेशनों पर साथ साथ जायें और वहां पर एकदम से पहुंच कर जांच करें, और अगर किसी तरह से मैजिस्ट्रेट वगैरह वहां पर मिल जाय तो वहीं पर उन्हें सजा दे दें या जुर्माना कर दें । इस का असर अच्छा हुआ है और हमें आशा है कि अगर इसको हम और ज्यादा बढ़ायेंगें तो और भी फायदा होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आय व्ययक के समय इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई थी ।

रेलगाड़ियों में चोरियां

†*९५०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्ष में पूर्वोत्तर रेल के माल रखने के स्थानों, स्टेशन यार्डों तथा चलती गाड़ियों में सामान की चोरी की स्थिति में कोई सुधार हुआ है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां । स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । १९५२–५३, १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में क्रमश: ९३५, ८८२ तथा ८४५ की तुलना में १९५५–५६ में केवल ५१८ मामले हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि सुधार प्रशासन की कठोरता के कारण हुआ है अथवा किसी विशेष पद्धति के कारण?

†**श्री अलगेशन** : दोनों के कारण हमने निरीक्षकों की संख्या बढ़ा दी है। रेलवे संरक्षण दल के आधीन हमनें वाच एण्ड वार्ड को पुनर्गठित किया है। इन सभी कार्यों से अच्छे परिणाम निकले हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : बिना टिकट यात्रा, गाड़ियों में चोरी, आदि सामान्य प्रश्न हैं। अगला प्रश्न।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि रेलवे कर्मचारी भी इन चोरियों में भाग लेते हैं तथा यदि हां तो अब तक कितने ऐसे मामलों का पता लगा है तथा कमचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : यह प्रश्न भी कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है और उसका उत्तर दिया जा चुका है। बिना पूर्व सूचना के मैं नहीं बता सकता कि कितने रेलवे कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं, कितने मामलों का पता लगा है तथा कितने मामलों में दंड दिया गया है।

कलकत्ता बंदरगाह

†***९५३. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता बंदरगाह की भीड़भाड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १]**

†**श्री भागवत झा आजाद** : विवरण में बताया गया है कि जुलाई, १९५६ के प्रथमार्द्ध में आयात करने वाले जहाजों को रोकने की अवधि को कम करके १-२ दिन कर दिया गया है और जुलाई १९५६ के उत्तरार्द्ध में इस अवधि में वृद्धि हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त अवधि में कितने दिनों की वृद्धि हुई है और क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहाजों को रोकने की अवधि में कमी करने की कोई संभावना है ?

†**श्री अलगेशन** : ज्वार भाटे सम्बन्धी कड़े निर्बन्धों के कारण ऐसा हुआ है। किन्तु हम स्थिति को सुधारना चाहते हैं और इसे यथाशक्य कम करना चाहते हैं।

†**श्री मात्तन** : मैं माननीय उपमंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता कि हूं विश्व बैंक मिशन ने अपने प्रतिवेदन में इस आशय का सुझाव दिया है कि हुगली के पश्चिमी किनारे पर कोयला और अन्य खनिज प्रस्तरों के निर्यात के लिये एक बंन्दरगाह बना कर ही कलकत्ता बंदरगाह की भीड़भाड़ को कम किया जा सकता है।

†**श्री अलगेशन** : यह हमारे विचाराधीन है और खनिज प्रस्तरों के लांगल स्थान के मशीनीकरण से अधिक अच्छा काम होगा। इसके बारे में अब कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री जोकिम अल्वा** : विवरण में यह बताया गया है कि मई १९५६ में इस्पात से बने हुए ५९,००० टन माल को चढ़ाना उतारना होगा जो कि १९५१–५२ में चढ़ाये उतारे गये सारे माल के बराबर है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस अतिरिक्त माल के लिये सरकार की कोई ऐसी योजना है जिनकी अविलम्ब क्रियान्वित की जा सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : विवरण में यह कहा गया है कि एक महीने में इस्पात से बना हुआ इतना माल आया जितना कि गत वष में आना चाहिये था। इतनें इस्पात को शीघ्रता से अन्यत्र हटाने के लिये हमने कार्यवाही की है। इस कार्यक्रम का एक भाग यह है कि गोदाम बनाये गये ह जहां इस्पात से बना माल इत्यादि आने पर रखा जाता है और स्वयं बंदरगाह को खाली किया जाता है। वाहनान्तरण गोदाम के बाज़ू के एक भाग को जल्दी खाली करने के लिये हमने आयातकों से कहा है। हमने इस के लिये एक कालवधि निश्चित कर दी है ताकि माल के आते ही उसे ले जाया जा सके।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि आयात करने वाले जहाजों के रुकने की अवधि जो कि जुलाई के प्रथमार्द्ध में कम थी उसके बाद से बढ़ गई है ? उक्त अवधि में कितने घंटो की वृद्धि हुई है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य प्रश्न को दोहरा रहे हैं। घंटों की संख्या बताने में मैं असमर्थ हूं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं कारण नहीं पूछ रहा हूं। जुलाई के प्रथमार्द्ध में जहाजों को रोकने की औसत अवधि १-२ दिन थी और जुलाई के उत्तरार्द्ध में वह बढ़ गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अवधि कितनें दिन बढ़ गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो क्या माननीय सदस्य प्रश्न को दोहराते ही रहेंगे ? उनके पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : वह प्रश्न से बचने की कोशिश न करे। उन्हें यह कहना चाहिये कि वह सूचना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह उत्तर नहीं देते हैं तो इस का अर्थ यह है कि वह सूचना चाहते हैं। यदि किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है तो माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि उसका उत्तर नहीं दिया जायगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कलकत्ता बन्दरगाह की रेलवे के पुराने इंजनों के स्थान पर नए इंजन लाने के बाबत क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : कलकत्ता बन्दरगाह ने हाल ही में १० नये इंजन प्राप्त किये हैं। वह और माल के डिब्बे तथा क्रेन आदि प्राप्त करने जा रहे हैं जिससे बन्दरगाह से माल हटाने में आसानी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गिडवानी अगला प्रश्न पूछें।

†**श्री गिडवानी** : क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता बन्दरगाह का विकास.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्य से अगला प्रश्न संख्या ९५४ पूछनें के लिये कहा है।

बिना लाइसेंस के रेडियो सैट

†* ९५४. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सर्कल में बहुत से रेडियो रिसिवर सेट बिना लाईसेंस के काम में लाये जा रहें हैं जैसा कि हाल में कि गई जांच से ज्ञात हुआ था;

(ख) क्या उन लोगों में कोई सरकारी कर्मचारी भी थे जो बिना लाईसेंस के रेडियो से काम लेते थे; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गयी है और यदि हां तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) हाल में की गयी जांच के दौरान में ४७१ मामलों का पता लगाया गया है जिसमें से १२६ रेडियो रिसिवर सैट बिना लाईसेंस के थे और शेष ३४५ मामलों की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) हां ।

(ग) हां । जिन लोगों के पास बिना लाईसेंस के रेडियो रिसिवर सेट पाये गये हैं उनसे लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अधिभार दे कर लाईसेंस लेने के लिये कहा गया है ।

†**श्री गिडवानी** : मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने 'हां' कहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे सरकारी कर्मचारी कितने थे और क्या कोई संसद सदस्य भी इन में थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : "सरकारी कर्मचारियों" में संसद सदस्य किस प्रकार शामिल हो सकते हैं ?

†**श्री गिडवानी** : ठीक है ; मैं अपने प्रश्न को सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रखता हूं ।

†**श्री जगजीवन राम** : इन १२६ व्यक्तियों में से ५६ व्यक्ति सरकारी कर्मचारी थे ।

†**श्री गिडवानी** : उन्हें क्या दंड दिया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई दंड अलग से नहीं है; उन्हें भी अन्य लोगों की तरह अधिकार देना होगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह बात मालूम है कि देहातों में जिन लोगों के पास टूटे फूटे रेडियो सेट भी हैं, उनको भी जबरदस्ती लाईसेंस लेने पर मजबूर किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार इस चीज़ को न होने देने के लिये कोई सुधार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : टूट जाने पर या तोड़ दिये जाने पर, अगर इसकी सूचना विभाग को दे दी जाय, तो लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है ।

केंद्रीय सड़क निधी

†*९५५. **श्री स० च० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री १८ मई १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २,३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार नें केन्द्रीय सड़क निधि की १३१.६७ लाख रुपये की बची हुई राशि में से १ अप्रैल १९५६ के बाद कोई राशि ली है;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं और मंजूर की गई थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). चालू वर्ष में प्रथम तीन महीनों में होनें वाले कार्य के व्यय के लिये, राज्य सरकार ने हाल में ९.७७ लाख रुपये की राशि के आवण्टन के लिये प्रार्थना की है । इसकी मंजूरी दी जा रही है । अनुमोदन के लिये राज्य सरकार ने केवल एक नयी योजना प्रस्तुत की है जिसके बारे में शीघ्र ही आदेश जारी हो जायेंगे ।

†**श्री स० च० सामन्त** : १९५५–५६ में कितनी राशि आवंटित की गयी थी और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के सम्बन्ध में पूरी राशि व्यय की गई थी ?

†**श्री अलगेशन** : यह एक ऐसी बात है जो जारी रहती है, कोई राशियां आवंटित नहीं की जाती हैं । राज्य सरकारों को उनके लेखे में उपलब्ध बकाया राशि की सूचना दी जाती है । विभिन्न राज्यों के लेखों की बकाया राशियां पहले प्रश्न के उत्तर में दी गयी थी। अनुमोदन के लिये नयी योजनाएं भेजकर बकाया राशि को काम में लाना राज्य सरकारों का काम है ।

†**श्री स० च० सामन्त :** क्या व्यय न की गयी राशि के बारे में प्रत्येक राज्य सरकार को पत्र भेजने की प्रक्रिया को जारी रखा गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकारों ने क्या उत्तर दिये है ?

†**श्री अलगेशन** : एक परिपत्र के द्वारा हमने राज्य सरकारों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि उनके लेखे में काफी बकाया राशि उपलब्ध है और क्रियान्वित करने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम भेज सकती है ।

†**श्री न० मा० लिंगम :** क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सड़क निधि में से आवंटित की गयी राशि को प्रयोग के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने कौन सी विशेष कठिनाइयां अनुभव की हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या केन्द्र ने उन कठिनाइयों को दूर करनें का प्रयास किया है या नहीं ?

†**श्री अलगेशन :** यह काम पूर्णतया राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है । पश्चिम बंगाल भाग 'क' राज्य है और इसका लोक निर्माण विभाग है और उसे अनुभव भी है । वह छोटा राज्य नहीं है । हमें मालूम नहीं है कि उन्हें कोई विशेष कठिनाइयां महसूस हो रही हैं ।

†**श्री स० च० सामन्त :** पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में से केन्द्रीय सरकार ने कितनी योजनाओं को अस्वीकृत किया है ?

श्री अलगेशन : यह किसी बात को अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है । हम ने उन मामलों में जो हमें निर्दिष्ट किये गये थे, अग्रेतर जानकारी मांगी होगी । अन्यथा किसी योजना को अस्वीकृत करने का कोई प्रश्न नहीं है । सामान्यतः स्वीकृती दे दी जाती है ।

भूमि का कटाव

†***९५६. श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन के ऊचाई वाले भाग में भूमि के कटाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) ऐसे उपायों में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : (क) १९५५ के बाद से एक भूमि संरक्षण योजना को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इसके लिये भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

(ख) जनवरी १९५५ से, जब से यह योजना प्रारम्भ की गयी है, जून १९५६ के अन्त तक कुल २,५३३ एकड़ क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाने और खाई खोदने का कार्य पूरा किया गया है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या मैं जान सकता हूं कि शेष अधूरा हिस्सा कितने महीनों में पूरा कर लिया जायगा ?

†**डा० प० शा० देशमुख :** योजना का कार्य चल रहा है और जो कुछ देने का वचन हमने दिया है वह दिया जायेगा ।

†**श्री अच्युतन :** क्या यह कार्य सभी जिलों में हो रहा है ? यदि हां, तो प्रत्येक जिले में प्रमुख कार्य कौन से हैं और इस समय कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ?

†**डा० प० शा०देशमुख :** श्रमिको के बारे में मेरे पास ठीक ठीक जानकारी नहीं है किन्तु अब तक कुल मिलाकर ५८,६४० लोगों को काम दिया गया है । १९५६-५७ में २०६९ व्यक्तियों को काम पर लगाया गया था । प्रत्येक जिले में इस कार्य को फैलाने का जहां तक सम्बन्ध है, वह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या भूमि के संरक्षण, भूमि का कटाव रोकने और बाढ़ नियंत्रण के बारे में, आस्ट्रेलिया सरकार ने कोई विशेष प्रस्ताव किया है और यदि हां तो वह प्रस्ताव क्या है ?

†**डा० प० शा० देशमुख** : जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जल संसाधनों का अधिक अच्छी तरह उपयोग करने के बारे में कुछ चर्चाएं हो रहीं हैं । किन्तु इस मामले में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री कासलीवाल** : भूमि के कटाव को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों में भूमि संरक्षण बोर्डों की स्थापना के बारे में, सरकार को किसी राज्य से इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि भूमि संरक्षण बोर्ड बहुत कम काम कर रहा है ?

†**डा० प० शा० देशमुख** : प्रत्येक बोर्ड की गतिविधि और निश्चय ही भिन्न भिन्न होगी । माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की शिकायत की है ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । किन्तु हमें यह मालूम हुआ है कि कुछ बोर्ड सक्रिय हैं और अन्य बोर्डों को अब भी सक्रिय किया जाना है ।

†**पं० द्वा० ना० तिवारी** : इस बात को देखते हुए कि भूमि कटाव एक अखिल-भारतीय प्रश्न बन गया है, और प्रत्येक राज्य में भूमि कटाव होता है उदाहरण के लिये बिहार में गंगा द्वारा सरकार ने सब राज्यों की योजनाओं के समन्वय के लिये क्या कार्यवाही की है ताकि भूमि कटाव को रोका जा सके ?

†**डा० प० शा० देशमुख** : हमने कौनसी सहयोजित योजनाएं प्रारम्भ की हैं यह तो मैं नहीं कह सकता । किन्तु हमने भारत के उन सब स्थानों को ध्यान में रखा है जहां भूमि कटाव होता है। हमने समस्त देश में कुछ गवेषणा केन्द्र और कुछ अन्य प्रयोगात्मक प्रदशन केन्द्र स्थापित किये हैं और हम सभी प्रकार के भूमि कटाव को रोकने का प्रयत्न कर र हैं जिसमें नदी द्वारा होने वाला कटाव भी सम्मिलित है ।

†**पं० द्वा० ना० तिवारी** : बिहार में कितने केन्द्र हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने इन प्रश्नों को बढ़ा दिया है । इसका सम्बन्ध केवल त्रावनकोर-कोचीन से है । श्री गोपालन अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या मैं जान सकता हूं कि मलाबार की तरफ कोई कार्यवाही की गयी है और यदि हां, तो क्या उसके बारे में कोई समाचार है ?

†**डा० प० शा० देशमुख** : वहां जो कुछ किया जा रहा है उसका विशिष्ट रूप से उल्लेख मैं नहीं कर सकता हूं । किन्तु हम हर प्रकार के भूमि के कटाव के रोकने का प्रयास कर रहे हैं ।

बनिहाल सुरंग

†*९५७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक बनिहाल सुरंग परियोजना के कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसके निर्माण पर अब तक कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक विविरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २**]

(ख) जून १९५६ तक ५३.५९ लाख रुपये ।

---

†**मूल अंग्रेजी में ।**

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** ये सुरंगें कब पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री अलगेशन :** पहली ट्यूब नवम्बर १९५६ तक पूरी करने का कार्यक्रम था और समस्त कार्य अप्रैल १९५८ तक । अब कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण समय और बढ़ाना पड़ेगा ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** इस सुरंग पर अनुमानतया कितनी लागत आयेगी?

†**श्री अलगेशन :** लगभग तीन करोड़ रुपये ।

†**पंडित फोतेदार :** क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि यह सुरंग यातायात के लिये कबतक खुल सकेगी?

†**श्री अलगेशन :** इस समय तो यह आशा है कि पहली ट्यूब में यातायात दिसम्बर के अंत तक शुरू हो जायगा । किन्तु मुझे पूरा भरोसा नहीं है ।

†**पंडित फोतेदार :** क्या यह सच है कि सरकार का पहले अनुमान यह था कि यह सुरंग नवम्बर १९५६ में यातायात के लिये खुल जायेगी ?

† **श्री अलगेशन :** मैंने यही कहा है ।

†**श्री सं० वें० रामस्वामी :** ऐसी कौन सी विशेष कठिनाइयां है जिनका अनुमान सरकार योजना प्रारम्भ करते समय नहीं लगा सकी थी?

†**श्री अलगेशन :** जब परीक्षात्मक ट्यूब के लिये कार्य आरम्भ किया गया था, तो कठिनाइयां अनुभव की गई थीं । चट्टाने आशा से अधिक कठोर थी । पहले यह अनुमान लगाया गया था कि केवल आधी सुरंग में सीमेंन्ट का प्लास्तर लगाना काफी होगा किन्तु अब ऐसा लगता है कि सारी सुरंग में सीमेन्ट का प्लास्तर लगाना पड़ेगा । जो पुरानी सुरंग काम दे रही थी वह गिर गई थी और ठेकेदारों के कर्मचारियों तथा अफसरों को उसे ठीक करने के काम पर लगाना पड़ा था । इससे नई सुरंग पर काम की प्रगति रुक गई थी ।

सेठ अचल सिंह : सरकार इस टनल (सुरंग) पर इतना रुपया खर्च कर रही है, लेकिन क्या उसको इस टनल से कुछ इनकम भी होगी या नहीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** अभी तो खर्च ही हो रहा है । आमदनी का सवाल बाद में आयेगा ।

†**श्री कामत :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित हुआ है कि सुरंग के कुछ हिस्सों को जो भारी क्षति पहुंची है और जिसके कारण कुछ हिस्से टूट से गये हैं वह जम्मू और काश्मीर स्थित कुछ अन्तर्ध्वंसकों और भारत विरोधी तत्वों का काम है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** क्या माननीय सदस्य पुरानी सुरंग के बारे में पूछ रहे है ?

†**श्री कामत :** जी हां ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह समाचार निराधार है ।

†**श्री कामत :** क्या नई सुरंग को भी नुकसान पहुंचा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** नहीं, अभी तक नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस बात के अतिरिक्त कि समय बढ़ाना पड़ेगा, क्या अन्य कठिनाइयों के कारण मूल प्राक्कलन में वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी ?

†**श्री अलगेशन :** इस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । संभव है कि कोई वृद्धि न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बंगाल प्रांविंशियल रेलवे कम्पनी

†९५९. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दसघरा की जनता का ऐसा कोई आभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि पश्चिमी बंगाल की बंगाल प्रांविंशियल रेलवे कंपनी समाप्त कर देने से उस क्षेत्र के लोग बड़ी मुसीबत में हैं और जब तक परिवहन का कोई अन्य प्रबंध न हो जाये तब तक उस क्षेत्र में उस रेलवे को जारी रखने के लिये सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है या करना चाहती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) दसघरा की जनता से कोई आभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ तथापि पिछले मार्च में मगरा गंज के लोगों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था किन्तु यह अनुभव किया गया था कि उस क्षेत्र में सड़कों के द्वारा परिवहन की आवश्यकता भली भांति पूरी हो सकती है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तुषार चटर्जी :** क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि दसघरा से मघरागंज तक कोई सड़क नही है उस रेल के द्वारा ही वे आ जा सकते थे?

†**श्री अलगेशन :** इस विषय में हमने राज्य सरकार से काफी परामर्श किया है । राज्य सरकार ने भी उस कम्पनी को कूछ आर्थिक सहायता दी थी । अब उस कम्पनी का स्वेच्छा से परीसमापन किया जा रहा है । वहां पर एक सड़क है और उस पर बसें चलती है । यही हमें ज्ञात हुआ है ।

†**श्री तुषार चटर्जी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस रेलवे के बारे में रेलवे मंत्री ने अनेक बार सभा में वादा किया है कि परिवहन के अन्य प्रबन्ध के बिना यह बन्द नहीं की जायगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब वहां परिवहन का कोई प्रबन्ध नहीं है, सरकार ने इस विषय में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मैंने यह कभी नहीं कहा कि ये रेलवे कभी बन्द नहीं की जायगी । पहली बात यह है कि यह एक गैरसरकारी कम्पनी है । मैं उनको वाध्य नहीं कर सकता कि वे सदैव काम करते रहें । यदि वे रेलवे नहीं चला सकते तो उन्हें इस को बन्द करना पड़ेगा । दूसरी बात यह है कि वहां पहले ही एक सड़क मौजूद है और तीसरी यह कि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कुछ सहायक सड़कें बनायी जा रहीं हैं जिनके लिये केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता दे रही हैं । हम भी ऊन्हे पर्याप्त आर्थिक सहायता दे रहे हैं ।

†**श्री तुषार चटर्जी :** इस में कुछ अशुद्धि है । माननीय मंत्री ने वादा किया था कि परिवहन का अन्य प्रबन्ध किये बिना यह रेलवे बन्द नहीं की जायगी । दूसरी बात यह है कि वहां सड़कें हो सकती हैं किन्तु परिवहन का कोई प्रबन्ध नहीं है । इन दोनों बातों का क्या उत्तर है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वहां सड़क मौजूद है जैसा कि उपमंत्री ने कहा है और उस क्षेत्र में अन्य सड़कें बनाई जायेंगी ।

पूर्व रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारी

†*९६०. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पास पूर्व रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारियों का ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि १९५१ से जारी की गई यह प्रथा समाप्त कर दी जाय कि उम्मेदवारों की उन पदों पर पदोन्नति देने के लिये भी जिनके लिये चुनाव नहीं होता एक परीक्षा रखी जाय ;

(ख) क्या उनका ध्यान कलकत्ता उच्च न्यायालय के २५ नवम्बर १९५५ के उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें ऐसी प्रथा अवैध घोषित की गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने जनता के सामने अनेक बार यह विचार प्रकट किया है कि वे ऐसी प्रथा के विरूद्ध हैं; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) हां । किन्तु नियमों में ऐसा संशोधन कर दिया गया है कि अब उन पदों पर पदोन्नति के लिये जिनके लिये चुनाव नहीं किया जाता विभागीय परीक्षा की जा सके ।

(ग) यह सही नहीं है ?

(घ) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या यह सच है कि विभागीय परीक्षा की आड़ में गैर-चुनाव पदों पर पदोन्नति देने के लिये भी एक आम योग्यता परीक्षा रखने की कोशिश की जा रही है यद्यपि उच्च न्यायालय नें इसे अनियमित बताया है ।

†**श्री अलगेशन** : रेलवे बोर्ड ने सदैव यह निर्वचन किया है कि यह परीक्षा गैर-चुनाव पदों पर पदोन्नति के लिये भी रेलवे प्रशासन द्वारा ली जा सकती है किन्तु उच्च न्यायालय ने जैसा नियम उस समय था उसका यह निर्वचन किया था कि इनके अनुसार परीक्षा किसी व्यक्ति विशेष के लिये तो ली जा सकती है किन्तु समूह के लिये नहीं ली जा सकती । जैसा मैंने पहले कहा है, इस नियम में सुधार कर दिया गया है ताकि विभागीय परीक्षाएं इस के अन्तर्गत लाई जा सके । इन परीक्षाओं का प्रयोजन कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने का है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : चुनाव और गैर चुनाव पदों की विभिन्न श्रेणियों की सूचियां रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ वर्ष पहले बनाई गई थी । क्या इन सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां ।

पोस्टल गाइड

*९६१. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दी में जो पोस्टल गाइड (डाक निर्देशिका) प्रकाशित हुआ है, उसमें नियमों, रजिस्ट्री की दरों, और इसी प्रकार की अन्य चीजों में किये गये परिवर्तनों तथा संशोधनों को सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(ख) क्या सरकार जल्दी ही हिन्दी पोस्टल गाइड का नवीनतम जानकारी देने वाला एक नया संस्करण प्रकाशित करेगी ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य कभी कभी प्रश्न पूछते हैं उन्हें खड़े हो जाना चाहिये ताकि मैं उन्हें देख सकूं ।

†**श्री म० ना० सिंह** : मैं तो खड़ा हुआ था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उन सदस्यों के नाम याद नहीं रहते जो कार्यवाहीमें कभी कभी भाग लेते हैं अतः जब वे एक दो प्रश्न करें तो उन्हें खड़े हो जाना चाहिये ताकि मुझे उनका नाम याद रहे ।

श्री म० ना० सिंह : मैं तो खड़ा हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पंडित हृ० ना० तिवारी : यह अब हिन्दी में छपने जा रहां है पर अब तक नहीं छपा था। इसका क्या कारण था, क्या अनुवाद नहीं हो सका या दूसरी कोई कठिनाई पड़ गयी। यह पहले ही हिन्दी में क्यों नहीं छपा ?

श्री जगजीवन राम : पहले तो हिन्दी में छपा था लेकिन १९५५ में नहीं छप सका और इसलिये इस बीच में जो बातें हुई वे उसमें नहीं आ सकी। लेकिन जो संशोधन होते हैं वे हिन्दी में भी पोस्टल नोटिसेज़ द्वारा प्रकाशित कर दिये जाते हैं और डाकखानों में लगा दिये जाते हैं।

श्री म० ना० सिंह : यह कबतक छप कर तैयार हो जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : १९५६ में निकल जायेगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह आशा की जा सकती है यक इसका जो नया संस्करण निकलेगा वह पूरे हिंदी के सुधारों के साथ निकलेगा ?

श्री जगजीवन राम : यह तो हिंदी में ही निकलेगा। लेकिन उस हिंदी को लोग कैसे पसंद करेंगे वह तो व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। कुछ सरल हिंदी को ही हिन्दी समझेंगे और कुछ संस्कृत के शब्दों वाली हिंदी को ठीक हिंदी समझेंगे। लेकिन मेरा अयत्न तो यह होगा कि ऐसी हिंदी हो जो सर्वसाधारण की समझ में आ जाये।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या सरकार को यह मालूम है कि हिंदी के प्रकाशन अधिकांश विलंब से निकलते हैं ? चूंकि इस देश में हिंदी बोलने वालों की संक्या बहुत बड़ी है, इसलिये क्या सूचना मंत्रालय इस बात का प्रयत्न करेगा कि हिंदी के प्रकाशन यथासम्भव शीघ्र निकाले जाया करें ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, कुछ देरी होना तो अनिवार्य है। संभवतः माननीय सदस्य को ज्ञात है कि अभी हमारे सामने कुछ कठिनाइयां हैं। अंग्रेजी के पर्यायवाची शब्द हिंदी में अभी तक प्रचलित रूप से सामने नहीं आ पाये हैं। एक ही शब्द के हिन्दी में कई एक पर्यायवाची शब्द होते हैं और उनकी वजह से कुछ भ्रांतिया पैदा हो जा सकती हैं। इन कठिनाईयों को दूर करने में कुछ समय लगना अनिवार्य है।

†**श्री ब०स० मूर्ति :** क्या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में छापने के लिये कोई पग उठाये जा रहे हैं?

†**श्री जगजीवन राम :** मेरे विचार से वे कुछ प्रादेशिक भाषाओं में भी छप रहीं हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस गाइड की हिन्दी प्रतियां विभाग द्वारा छपवाई जा रहीं हैं या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय द्वारा ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह तो निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय का काम है। वे चाहें तो उसे सरकारी प्रेस में छपवायें या निजी प्रेस में।

चीनी का कारखाना

*९६२. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष या अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में कोई चीनी का कारखाना खोला जायगा क्योंकि वहां गन्ने की खेती और पैदावार में काफी वृद्धि हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ ६, अनुबंध संख्या ३**]

†**श्री विश्वनाथ राय :** इस वर्ष अथवा अगले वर्ष जो कारखाने खोले जायेंगे उन में कितना गन्ना पेला जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**डा० प० शा० देशमुख :** बागपत के कारखाने में १००० टन गन्ना रोज पेला जा सकेगा, बीस्त (जिला नैनीताल) के कारखाने में २००० टन, बाजपुर में १२०० टन और नवाबगंज के कारखाने में ८०० टन गन्ना रोज पेला जा सकेगा ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** ये कारखाने अपना काम कब प्रारम्भ करेंगे ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** नवाबगंज का कारखाना १९५६–५७ में अपना काम प्रारम्भ करेगा जब कि बीस्त और बागपत के कारखाने क्रमशः १९५७–५८ और १९५८–५९ में कार्य प्रारम्भ करेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चहता हूं कि नैनी फैक्टरी जो कि चल नही रही है उसको चलाने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री अ० प्र० जैन : जितनी फैक्टरियां चल सकतीं थीं उनको तो हमने चला दिया है । उनके ऊपर कंट्रोलर मुकर्रर कर दिया है । मैं नहीं कह सकता कि नैनी फैक्टरी के अन्दर क्या कमी है । मुमकिन है वह बहुत छोटी हो या उसका प्लांट इतना रद्दी हो कि वह नहीं चल सकती हो ।

लोकमान्य तिलक की जन्मशताब्दी

†***९६३. श्री कामत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिनकी शताब्दी सम्बन्धी टिकटें सरकारी तौर पर जारी करने से पहले ही प्रयोग कर ली गई हैं;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अभी जांच की जा रही है । अभी तक प्राप्त रिपोर्ट से यह जान पड़ता है कि देश के कुछ कार्यालयों में भूल चूक से ऐसा हो गया था कि टिकटें निर्धारित तिथि से पहले ही जारी कर दी गई थीं । इस प्रकार की बात भविष्य में फिर न हो, इसके लिये उचित कार्यवाही की जायगी ।

†**श्री कामत :** १९४७ से अब तक हम ने अनेक बार विशेष टिकटें जारी की हैं । क्या यह पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा हो चुका है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जहां तक मुझे याद है, शायद ऐसा पहली बार ही हुआ है ।

†**श्री कामत :** सरकार की जानकारी के अनुसार यह घटना कितने राज्यों में हुई है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जैसा मैंने कहा है कि यह पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के सर्कलों के अन्दरूनी भाग के कुछ डाकघरों में हुआ था ।

†**श्री कामत :** लोकमान्य तिलक की स्मृति में निकाली गई टिकटें किस तारीख को छापी गई थी और विभिन्न राज्यों को कब उपलब्ध कराई गई थीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे विस्तार में जाने पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

†**श्री कामत :** प्रेस समाचारों से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों नें, जिन में मध्य प्रदेश भी शामिल है, इन्हें दो तीन दिन पहले जारी कर दिया गया था । विभिन्न टिकटो पर मुहरें लगाने की तिथियां दी हुई हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का पर्याप्त ध्यान रखती है कि टिकटें जारी करने की तिथि से बहुत पहले राज्यों को न भेजी जाय ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री जगजीवन राम :** यदि माननीय सदस्य इस को व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि विभिन्न राज्यों को टिकटें काफी पहले भेजनी पड़ेंगी ।

†**श्री कामत :** कितनी देर पहले ?

†**श्री जगजीवन राम :** मेरे पास यहां तिथियां तो नहीं है किन्तु इस विषय में जो प्रक्रिया है वह यह है कि पहले टिकटें नासिक में छापी जाती हैं । तब हम उन्हें विभिन्न सर्कलों के राजकोषों को भेजते हैं । इस के बाद सम्बन्धित डाकघरों से इंडेन्ट प्राप्त होने पर वे राजकोष टिकटें जारीं करते हैं । अतः यदि टिकटों को अन्दरूनी भागों में उप डाकघरों तक भेजना हो तो उनके जारी करने की तिथि से दो तीन सप्ताह पहले उन्हें कोषों में भेजना पड़ेगा ।

†**श्री कामत :** क्या विभिन्न राज्यों के कोषों को हिदायत नहीं दी जाती कि ये विशेष टिकटें जारी करने की तिथि से दो तीन दिन पहले से जल्दी उप डाकघरों में न पहुंचे ?

†**श्री जगजीवन राम :** हिदायतें तो डाकघरों और कोषों दोनो को दी जाती हैं । डाकघरों को यह हिदायत दी जाती है कि वह विशेष पैकेट अमुक तिथि से पहले न खोलें जायें और टिकटें अमुक तिथि से पहले जारी न की जाय । इन सब हिदायतों के बावजूद भी, ऐसी घटनाएं कुछ अन्दरूनी स्थानों पर हो गई हैं ।

†**श्री कामत :** देश के विभिन्न टिकटादि संग्रह संगठनों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? और उनके बारे में क्या किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम :** शिकायतें किससे ?

†**श्री कामत :** टिकटें इकट्ठे करने वाले व्यक्तियों से ।

†**श्री जगजीवन राम :** किस बारे में ।

†**श्री कामत :** इस घटना के बारे में टिकट इकठ्ठा करने वाले अनेक व्यक्तियों ने यह शिकायत की है कि उन्होंने "फर्स्ट डे कवर वैलयू" नहीं मिल सकी । क्या उन्होंने इस बारे में सरकार से कोई शिकायत की है और यदि हां, तो क्या इस मामले की भी जांच की जा रही है ?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं नहीं समझता कि यह किसी जांच का विषय है । स्वयं टिकट संग्रह कर्त्ताओं की राय अलग अलग है । मैं टिकट संग्रह कर्त्ता नहीं हूं । जहां तक मुझे समाचार पत्रों से पता चला है उन में मतभेद हैं । कुछ लोगों का यह विचार है कि इन टिकटों को जारी करने के लिये जो तारीख औपचारिक रूप से निर्धारित की गई थी, उसे ही पहला दिन समझा जायगा और उन टिकटो का जो इस तिथि से पहले जारी कर दी गई थी टिकट संग्रह की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं समझा जायगा ।

सर्वत्र अमरीकी विप्रेषण सहकारितां संघ

†***९६४. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को सर्वत्र अमरकी विप्रेषण सहकारिता संघ से कौन कौन सी वस्तुएं सहायता के रूप में प्राप्त हुई हैं;

(ख) विगत पांच वर्ष में कितने मूल्य के सहायता दान प्राप्त हुए हैं; और

(ग) ये सहायता वस्तुएं किस प्रकार और किन लोगों में वितरित की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : (क) स्टैन्डर्ड भोजन के बंडल, रूई के बंडल, किताबें, अनाज, खाद्य पदार्थ, औषधियां और दवाईयां, अनेक विटामिन वाली गोलियां, अस्पताल का सामान तथा खेती के औजार ।

(ख) भारत सरकार के पास इस दान के मूल्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) भारत सरकार के साथ किये गये संगन कारों की शर्तों के आधीन, इन सहायता-वस्तुओं को सारे देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के लाभ के लिये, उस संगठन द्वारा वर्ण जाति और धर्म का भेदभाव किये बिना निःशुल्क वितरित की जाती है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार का इस प्रकार से सभी विदेशी दानों का वितरण स्वयं करने का या सरकार द्वारा अभिज्ञात अधिकरणों के द्वारा करने का विचार है ?

†**डा० प० शा० देशमुख** : एक प्रस्थापना विचाराधीन है कि ऐसे दानों का वितरण यथासंभव सरकारी विभागों के द्वारा किया जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इनमें से कितने दान कांग्रेस समितियों के द्वारा, कितने भारत सेवक समाज के द्वारा और कितने रेडक्रास सोसाइटी के द्वारा वितरित किये गये हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इन में से कोई दान कांग्रेस समितियों के द्वारा नहीं बांटे गये । भारत सेवक समाज के बारे में मैं नहीं जानता, किन्तु मेरे विचार में भारत सेवक समाज द्वारा भी इन दानों का वितरण नहीं किया गया ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि दूध वगैरह के जो यह गिफ्ट्स हैं यह गरीब बच्चों में भी बांटे गयें हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : यह गरीबों के ही बच्चों को बांटे जाते हैं और बिना किसी इम्तयाज के बांटे जाते हैं कि वे किस जाति के हैं ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या इन दानों के वितरण के तरीके के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत पहुंची हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी हां, कभी कभी शिकायतें आती हैं ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या यह सच है कि विदेशों से प्राप्त यह दान कुछ जगहों पर भारत सेवक समाज के जरिये और कुछ जगहों पर सरकारी अभिकरणों के जरिये बांटे जाते हैं ? क्या सरकार जानती है कि दान पाने वाले बच्चों की एक सूचि रखी जाती है और यह दान अधिकतर पिछड़े वर्गों के, और गरीब वर्गों के बच्चों को और बाढ़ पीड़ित लोगो को ही दिये जाते हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सरकारी अभिकरणों के जरिये वितरण का जहां तक सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का वर्णन काफी ठीक है । पूरे अभिलेख रखे जाते हैं, और वितरण उचित रूप से किया जा रहा ह ।

बरासत–बसिरहाट लाईन

† *९६६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व बरासत–बसिरहाट लाईट रेलवे के स्थान पर बड़ी लाईन बनाने का काम किस अवस्था में है ; और

(ख) यह काम कब तक पूरा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). प्रारंभिक इंजिनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों का क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है। पूर्व रेलवे प्रशासन ने इंजिनियरिंग रिपोर्ट और प्राक्किलन तैयार किया है और उनकी पड़ताल उस रेलवे के प्रधान लेखा पदाधिकारी और वित्तीय परामर्शदाता कर रहे हैं। यातायात रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अभी नहीं कहा जा सकता कि काम कब तक पूरा हो जायगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरी प्रार्थना है कि इसी विषय से सम्बन्धित प्रश्न संख्या ९८४ का उत्तर भी इसी के साथ दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय ऐसा करने के लिये तैयार है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां।

बरासत–बसिरहाट लाईन

† *९८४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बरासत–बसिरहाट लाइट रेलवे पर प्रस्तावित बड़ी लाइन का अन्तिम स्टेशन बिराती से बदल कर बरासत पर रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन से पटीपुकुर–बेलियाघाट और मुख्य लाइन के बीच त्रिकोण रूपी क्षेत्र को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) यद्यपि इस विषय में कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है, फिर भी अंतिम स्टेशन संभवता बरासत ही होगी।

(ख) इसका निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। ज्ञात हुआ है कि उस क्षेत्र में एक सड़क बनाई जा रही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : रेलवे तथा परिवहन मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने गत जुलाई में एक शिष्टमंडल को यह आश्वासन दिया था कि यह काम पिछले वर्ष के दिसम्बर तक पूरा हो जायगा। अब उपमंत्री मुझे यह बता रहे हैं कि यातायात रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का कोई समय निश्चित नहीं है। कठिनाई क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं ने यह कहा होगा कि काम उस समय शुरू होगा। मैंने यह नहीं कहा होगा कि वह उस समय तक समाप्त हो जायगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मंत्री महोदय ने यह भी बताया था कि पटीपुकुर और बेलियाघाट के बीच की लाइन के बजाय एक नयी सड़क वहां बनाई जा रही है। क्या यह सच है कि उस सड़क को बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? क्या सड़क का मार्ग बनाया गया है ? अन्यथा इस त्रिकोण रूपी क्षेत्र का क्या होगा ? किस लाइन से उसका काम चलेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैंने बताया है पटीपुकुर और बेलियाघाट पुल के बीच आधे से अधिक दूरी को वर्तमान सड़क द्वारा तय किया जाता है जो हरूआक्कल तक जाती है। दूसरे हिस्से के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार का यह विचार है कि एक सड़क बेलियाघाट पुल तक बनायी जाये। इस सड़क से जो वर्तमान रेलवे मार्ग के समानान्तर होगी, उस क्षेत्र की जरूरत पूरी हो जायगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मंत्री महोदय हमें मोटे तौर पर बता सकते हैं कि यह काम कब शुरू किया जायगा ?

†**श्री अलगेशन** : सड़क का काम या रेलवे का काम ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : रेलवे का काम।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन :** मैं नहीं कह सकता। हमें यातायात रिपोर्ट और इंजिनिअरिंग सवक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त करना है। उन्हें भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इनके प्राप्त होने और इनका अध्ययन करने के बाद हम काम आरम्भ कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कह सकता कि कब शुरू किया जायगा।

जहाजों को समुद्र से निकालन का कार्य

†***९६७. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नें पोलिश विदेशी व्यापार मंत्रालय के वारसा द्वारा तीन जहाजो अर्थात रामदास, दीपवती और लक्ष्मी को जो कि बंबई बंदरगाह में १९४७ और १९४८ में डूब गये थे, समुद्र से निकालनें के लिये कोई व्यवस्था की है ;

(ख) इस काम की व्यवस्था किस आधार पर की गई है ; और

(ग) यह काम कब शुरू किया जायगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) बंबई पत्तन प्रन्यास नें सरकार की मंजूरी से पोलिश विदेशी व्यापार संगठन "सेन्ट्रोमोर" को तीन डूबे हुए जहाजों को समुद्र से निकालने के लिये ठेका दिया है।

(ख) 'काम के बिना दाम नहीं' के आधार पर।

(ग) अक्टूबर, १९५६ में।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि की मंजुरी दी गई है?

†**श्री अलगेशन :** ठेके की धनराशि २७ लाख रुपये हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या इस जहाज को निकालने के संबंध में कोई प्रारंभिक जांच की गयी है ?

†**श्री अलगेशन :** यह कुछ वर्षों से पत्तन प्रन्यास के विचाराधीन है। उन्होंनें अनेक ठेकेदारों को नियुक्त करने का प्रयत्न किया है, जो अनेक कठिनाईयों के कारण किसी प्रकार यह काम नहीं कर सके। जितने समय में इस फर्म ने काम समाप्त करने का वचन दिया है उतने समय में यदि वह समाप्त कर दे तो हमें प्रसन्नता होगी।

†**श्री जोकिम अल्वा :** ऐसे आसाधारण कामों के लियें जिनमें ऊचें दर्जे की टेकनिकल प्रवीणता आवश्यक होती है क्या सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि भारतीयों को भी इन कार्यों में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के लिये सम्बद्ध किया जाये ?

†**श्री अलगेशन :** हां, एक फर्म है जिसे एक भारतीय फर्म से सम्बद्ध किया गया था। वह फर्म तैयार हो गयी थी, किन्तु वह काम नहीं कर सकी थी, और वह योजना असफल हो गयी थी।

समुद्रीय इंजीनियर और पदाधिकारी

†***९६८. श्री च० रा० नरसिंहन् :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वर्तमान संस्थाओं का कितने समुद्रीय इंजीनियर और पदाधिकारी तैयार करने का विचार है;

(ख) क्या उस प्रयोजन के लिये योजनाएं पर्याप्त हैं, और जहाजरानी उद्योग के भारतीयकरण के कार्यक्रम के अनुरूप हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ग) क्या भविष्य में समुद्रीय इंजीनियरों और पदाधिकारियों की कमी किसी विशेष विशिष्ट योजना द्वारा दूर करने का विचार है ; और

(घ) पर्याप्त संख्या में समुद्रीय इंजीनियरों को शिक्षित करने के लिये ऐसी योजनाएं किस प्रकार की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २५०समुद्रीय इंजीनियर और २८० नौपरिवहन पदाधिकारी ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). किसी भारी कमी की आशा नहीं हैं । फिर भी स्थिति पर बराबर दृष्टि रखी जाती हैं और यदि आवश्यक हुआ तो वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं में सालाना भरती उचित रूप से बढ़ा दी जायगी ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : देश में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, क्या प्रशिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश भेजने की कोई योजनांए हैं ?

†**श्री अलगेशन** : हमारे यहां प्रशिक्षण संस्थांए हैं । कुछ ऐसे भी प्रशिक्षार्थी है जो विदेश गये हैं और जिन्होंने और प्रमाणपत्र भी प्राप्त किये हैं ।

अल्पसूचना प्रश्न तथा उत्तर

तेलंगना के लिये संरक्षण

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. डा० लंका सुंदरम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक एसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि राज्य पुनर्गठन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में हुई चर्चा तथा बाद में आन्ध्र और तेलंगना के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के फलस्वरूप तेलंगना के लिये संरक्षणों के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैंने सभा पटल पर एक प्रति रख दी है । **[देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४]**

†**डा० लंका सुंदरम्** : क्या सरकार का ध्यान तथा कथित समझौते के अनेक उल्टे सीधे बयानों और उनके कारण आन्ध्र और तेलंगाना के लोगो के दिल में तथाकथित संरक्षणों के संबंध में उत्पन्न शंकाओं से होने वाली हानि की ओर आकर्षित हुआ है ?

†**श्री दातार** : इसी कारण सभा पटल पर एक प्रति रखी गयी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड

†***९४३. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम बोर्ड तथा अखिल भारतीय गोदाम निगम स्थापित करने की दिशा में, जिसके लिये लोक-सभा के बारहवें सत्र में आवश्यक विधान पारित किया गया था, क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम बोर्ड के लिये कर्मचारियों का चुनाव प्रायः पूरा हो गया है और आशा है कि बहुत शीघ्र ही बोर्ड स्थापित हो जायगा । बोर्ड की स्थापना के बाद केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संग्रहागारों का निरीक्षण

†*९४८. **श्री मादिया गौडा :** क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४–५५ और १९५५–५६ में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें संग्रहागारों की सामग्री, जिसे संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय का निरिक्षण निदेशालय निरिक्षण करके पास करता है, रेलवे के ब्योरे के अनुसार नहीं पायी गयी और अस्वीकृत की गयी ; और

(ख) सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय के निरिक्षण निदेशालय के दोषपूर्ण निरिक्षण के कितने मामले निबटाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) १९५४–५५ में ६९ और १९५५–५६ में ११२ ।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५**]

रूस के लिये भारतीय शिष्टमन्डल

†*९५१. **श्री राधारमण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन के तत्वावधान में विशेषज्ञों का एक भारतीय शिष्टमंडल रूस की सिंचाई और जल निस्सारण परियोजनाओं के अध्ययन के लिये अगले महीनें रूस जाने वाला है ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहले इस प्रकार का कोई शिष्टमंडल भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो किस देश को और क्या भारत भी एक प्रतिनिधि था ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) प्रतिनिधिगण १ अगस्त, १९५६ को रूस के लिये भारत से रवाना हुए थे ।

(ख) हमारे पास जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुलों का निर्माण

†*९५२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार ने पंजाब की घग्गर नदी पर पुलों के निर्माण के लिये १९५४–५५, १९५५-५६ और १९५६–५७ में किये गये बटवारे में से अभी तक कितनी राशि ली है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६**]

उर्वरक

*९५८. {**श्री म० शी० गुरुपादस्वामी :**
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में देश में कुल कितने परिमाण में उर्वरक तैयार किया गया ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधी में देश को कुल कितनें उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) किन किन देशों से उर्वरको को आयात करने का विचार है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गौशालायें

†*९६५. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पिंजरापोलों और गौशालाओं के काय में सुधार करने के लिये कोई योजना चालू की है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** जी हां।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†*९६९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन :** क्या **परिवहन** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या बकिंघम कैनाल (नहर) को मद्रास हारबर से जोड़ने की सम्भावना के सम्बंध में की जा रही जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). अभी तक नहीं ।

त्रिपुरा के चाय कर्मचारी (बोनस)

†*९७०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बागोंना में काम करने वाले श्रमिको को जिस बोनस देने का निश्चय किया गया था क्या वह त्रिपुरा के चाय कर्मचारियों को दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी को कितनी धन राशि दी गई है और कितने बागानों में यह दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). त्रिपुरा सरकार को अपेक्षित सूचना देने के लिये प्रार्थना की गयी ह । प्राप्त होने पर यह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

†*९७१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **रेलवे** मंत्री १९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की बाकी सिपारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में अबतक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८**]

काम-दिलाऊ दफ्तर

†*९७२. **श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या कितनी है जिन्हें राज्य सरकार को दिये जाने की प्रस्थापना है ;

(ख) राज्य सरकारों को दिये जाने वाले इन दफ्तरों के खर्च का कितना अंश संघ सरकार द्वारा वहन किया जायगा; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(ग) क्या इन दफ्तरों के कर्मचारीयों को यह आश्वासन दिया गया है कि इस अधिकार परिवर्तन से उनके वेतनों आदि में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ?

†**श्रम उपमंत्री श्री अबिद अली** : (क) १३७।

(ख) ६० प्रतिशत।

(ग) राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि यदि आवश्यकता हो तो उनके वतन के एक अंश को व्यक्तिगत वेतन मान कर कर्मचारियों के वर्तमान वेतनों की रक्षा के लिये कार्यवाही की जाय ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

†*९७३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें अधिवेशन को आयोजित करने में देरी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) उसके कब आयोजित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सम्मेलन की कार्यावली में सम्मिलित किये जानें वाले विषयों को अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वे विषय क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली)** : (क) और (ख). भारतीय श्रम सम्मेलन का पिछला अधिवेशन १९५५ में हुआ था। यह अधिवेशन सामान्यतः वर्ष में एक बार होता है, और अगले अधिवेशन को नवम्बर १९५६ में आयोजित करने की प्रस्थापना है।

(ग) और (घ). अभी नहीं; सम्बन्धित पक्षों से परामर्श किया जा रहा है।

भारत-बर्मा नौवहन सेवा

†*९७४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री १ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-बर्मा नौवहन सेवा के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मेसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, बम्बई, ने इस मास के अन्त तक उक्त सेवा को एम० वी० "सोनावती" को चला कर पुनः प्रारम्भ करना स्वीकार कर लिया है। किन्तु यह जहाज सितम्बर से दिसम्बर १९५६ तक अच्छे मौसम में आया जाया करेगा ।

जहां तक दीर्घकालीन प्रबंधो का संबंध है, यह निश्चय किया गया है कि ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई, को इस मार्ग पर स्थायी यातायात के लिये एक उपयुक्त जहाज प्राप्त करना चाहिये। कार्पोरेशन पहले ही हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम, को एक उपयुक्त जहाज के निर्माण के लिये आर्डर दे दिया है, और नये जहाज के प्राप्त होने तक वह एक पुराने जहाज को प्राप्त करने की सम्भावना पर भी विचार कर रहा है।

गव्यशाला विज्ञान में प्रशिक्षण

†*९७५. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को गव्यशाला विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण के लिये किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या गव्यशाला विज्ञान में कोई उपाधि पाठ्यक्रम चाल करने का भी विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब से आरम्भ होगा और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९**]

कृषि संग्रहालय

†*९७६. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कृषि संग्रहालय के लिये स्थान निर्धारण सम्बन्धी ब्योरे को अब अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सविस्तार विवरण क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) दिल्ली में एक कृषि संग्रहालय स्थापित करने की प्रयोगात्मक योजना तैयार की जा चुकी है। परन्तु इस संबंध में अग्रेतर काम इसलिये बंद कर दिया गया है, क्योंकि योजना के लिये अपेक्षित वित्तीय संसाधनों के द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने का आश्वासन नहीं दिया गया है।

(ख) योजना के ब्योरे का निश्चय उस समय किया जायेगा जब कि उसे योजना में सम्मिलित किये जाने की बात को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा।

सरकारी फार्म

†*९७७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस से प्राप्त कृषि मशीनों और उपकरणों की सहायता से एक सरकारी फार्म प्रारम्भ करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस फार्म के लिए पृथक् रक्षित किये गये ३०,६७० एकड़ के कुल क्षेत्रफल में से राज्य सरकार ने १४,६०० एकड़ का कब्जा पहले ही दे दिया है। उक्त फर्म को अविलम्ब प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है और अगली रबी की फसल में लगभग चार हजार एकड़ भूमि में खेती की जायगी। आवश्यक उपकरण पहले ही फ़ार्म के स्थान को रवाना किये जा चुके हैं और आशा है कि १५ अगस्त, १९५६ से वहां वास्तविक कृषि आरम्भ हो जायेगी।

दिल्ली की चारों ओर रिंग रेलवे

†*९७८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली के चारों ओर रिंग रेलवे बिछाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इसका कार्यान्वित का प्रथम चरण क्या होगा ; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) अभी नहीं, प्रस्थापना की अभी जांच की जा रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जलपोत-निर्माण-विशेषज्ञ

*९७९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री वोडयार :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया से उच्च कोटि के चार जलपोत-निर्माण-विशेषज्ञ भारत आये हैं, और वे जलपोत-निर्माण के बारे में भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जून १९५६ के आखिर में यूगोस्लाविया से चार जहाज़ बनाने वाले विशेषज्ञों का एक दल भारत में आया था। इस दल ने डायरेक्टर जनरल शिपिंग और भारतीय जहाज़ मालिकों से बम्बई में बातचीत की और बाद में दिल्ली में भारत सरकार और वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ यह बातचीत जारी रही। वस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन ने एक जहाज़ बनान के लिये आर्डर भी दे दिया है।

रेलवे में गजेटेड पदाधिकारी

†*९८०. **श्री राधा रमण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में भारतीय रेलवेज़ की घोषित पदालि में कोई ७०० अधिकारियों की वृद्धि हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** हां, यह संख्या भारतीय रेलवेज़ की द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में अस्थायी तौर पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की कुल आवश्यकता को बताती है।

गंगा पर नदी पत्तन

†*९८१. **श्री श्रीनारायण दास :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में गंगा पर एक नदी पत्तन बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है और इस संबंध में कार्य की प्रगति क्या है ;

(ग) क्या कहीं और भी इस प्रकार के नदी पत्तनों के विकास की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) और (घ). इस योजना में मार्गस्थ शैडों, भीतरी सड़कों, नदी में चलने वाले स्टीमरों, और चपटे पदे वाली नावों से उतरने की सुविधाओं रेलवे कनेक्शनों इत्यादि का उपबंध है।

पटना के प्रस्तावित पत्तन के संबंध में सर्वेक्षण और जांच की जा रही है।

(ग) मनिहारी, पांडू, गौहाटी, धुबरी और करीमगंज में अन्तर्देशीय नदी पत्तनों का विकास करने की प्रस्थापना है।

हिन्दी में तार

***९८२. श्री म० ना० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छपरा बिहार इत्यादि जैसे कुछ वितरण कार्यालयों में हिन्दी के तार रोमन में लिखे जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको पढ़ना और समझना कठिन हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा आश्वासन देगी कि सारे तार देवनागरी में ही लिखे जाये ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रोमन लिपि में हिन्दी-तार तभी भेजे जाते हैं जब कि हिन्दी जानने वाला प्रचालक अनुपस्थित हो और उसके स्थान पर कोई व्यक्ति तत्काल उपलब्ध न हो। उन्हें वितरण से पूर्व हिन्दी में फिर लिख दिया जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि तारों को रोमन लिपि में भेजे जाने की दशा में भी वितरण से पूर्व उनका देवनागरी लिपि में अनुवाद किया जाता है। जब सब प्रचालक हिन्दी मौर्स जान जायेंगे तो रोमन अक्षरों का प्रयोग बन्द हो जायेगा।

रेलवे स्टेशन पर हमला

†***९८३. श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ जुलाई, १९५६ को शिबसागढ़ जिले के स्थान सिमालुगिरी से १२ मील दूर नागिनी मोरा रेलवे स्टेशन पर नागा विद्रोहियों ने हमला किया और रेलवे तथा दूसरी असैनिक सम्पत्तियों को लूटा और उन्होंने संताक और दीहूबोर रेलवे स्टेशनों के बीच के पुल को भी हानि पहुंचाई जिससे कि रेल सेवा में विघ्न पड़ गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां, १६-१७ जुलाई की रात को।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०**]

नीलगिरी डाक कर्मचारी

†***९८५. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि पहाड़ी भत्ता देने से इन्कार किये जाने से नीलगिरि के तृतीय श्रेणी के डाकखाना कर्मचारियों में असन्तोष पाया जाता है; और

(ख) क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाने को है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) नीलगिरि के डाक कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह पहाड़ी स्थानों में जीवनयापन के अधिक खर्चीलेपन के कारण भत्ता मिल रहा है। डाक कर्मचारियों को विशेष रूप से किसी ऐसे भत्ते को देने से इन्कार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

स्वास्थ्य सेवा के सहायक महानिदेशक

†*९८६. **श्री कामत :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री स्वास्थ्य सेवा के सहायक महानिदेशकों की संख्या को बताने की कृपा करेंगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : स्वास्थ्य सेवा सहायक महानिदेशकों के आठ पद हैं, जिनमेंसे इस समय पांच भरे हुए हैं।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†*९८७. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १० मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, में कान, नाक और कंठ विभाग के खोले जाने की योजना का कहां तक अनुसरण किया गया है ;

(ख) क्या अद्यतन प्रकार के उपकरणों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो किसको ; और

(घ) क्या अर्हता प्राप्त और अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : (क) उसी संस्था की मुख्य इमारत में ही अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, के कान, नाक और कंठ विभाग को स्थान देने की व्यवस्था की जायेगी।

उस विभाग की इमारत का नक्शा बन चुका है और आशा है कि तीन वर्ष में उसका निर्माण पूरा हो जायगा।

(ख) और (ग). जहां तक कि नाक, कान और कंठ विभाग का संबंध है, अभी तक महा-निदेशक संभरण तथा उत्सर्जन, नई दिल्ली के पास आर्डर नहीं भेजे गये हैं।

(घ) अभी तक कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है।

प्रबन्ध कार्य में कर्मचारियों का सहयोग

†*९८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में प्रबन्ध में कर्मचारियों के सहयोग के संबंध में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और टाटा वर्कस युनियन (कर्मचारी संघ) के बीच हुए समझौते की तरह के अन्य कोई समझौते भी मालिकों और कर्मचारियों के बीच हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारी संघों और प्रबन्धों के क्या नाम हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**:(क) और (ख). हमारे पास दो समझौतों की सूचना आई है, एकपर तो २१-२-५६ को हस्ताक्षर हुए थे और वह मध्य प्रदेश के नेशनल न्यूज़ प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स् लिमिटेड, नेपानगर और उसके कर्मचारियों के बीच हुआ था ; और दूसरे पर ६ मार्च, १९५६ को हस्ताक्षर हुए थे, वह उत्तर प्रदेश के मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड और मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कर्मचारी युनियन, मोदी नगर के बीच हुआ था।

अन्तर राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन

†*९८९. **श्री राम कृष्ण :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान से उसका अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के अंशदान का अंश वसूल करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं सभा पटल पर अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११**]

शीतोष्ण-नियंत्रित गलियारे वाली रेल गाड़ियां

†*९९०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूर की यात्राओं के लिये शीतोष्ण-नियंत्रित गलियारे वाली रेलगाड़ियां चालू करने के संबंध में अपना अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय को कब कार्यान्वित किया जायेगा और किन लाइनों पर उन्हें चालू किया जायेगा ;

(ग) क्या इन रेलगाड़ियों के किराये में भी कोई अन्तर होगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितना अन्तर होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) परीक्षण के तौर पर २ अक्टूबर १९५६ से पूरी तौर पर शीतोष्ण-नियंत्रित गलियारे वाली रेलगाड़ियां चलाने का विचार है।

(ख) ये सेवायें इन स्टेशनों के बीच आरम्भ करने का विचार है:—

दिल्ली और हावड़ा

दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल

दिल्ली और मद्रास सेन्ट्रल।

(ग) जी, हां ; तीसरे दर्जे की शीतोष्ण-नियंत्रित सीटों के संबंध में।

(घ) अभी तक किरायों के ठीक-ठीक स्तर के संबंध में निर्णय नहीं किया गया है।

घी में मिलावट

†*९९१. **श्री अलन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (खाने योग्य) तेलों और घी में की जाने वाली मिलावट की बढ़ती या घटती के बारे में अब क्या स्थिति है ; और

(ख) उसे रोकने के लिये अधिनियमित विधानों का गत कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : (क) और (ख). खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ३७ वां) के अन्तर्गत विहित खाने योग्य तेलों और घी की किस्मों के मानदण्ड २८ जुलाई, १९५६ से लागू हुए थे। इस, अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद से देश में खाने योग्य तेलों और घी की मिलावट में बढ़ती या घटती होने के बारे में सही स्थिति का पता लगाने के लिये, अभी तक कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अधिक समय तक काम करने के भत्ते

†*९९२. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के विदेशी डाक विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति घंटे साढ़े तीन आने की दर से अधिक समय तक काम करने का भत्ता दिया जाता है, जब कि रेलवे डाक सेवा और बम्बई, मद्रास और दिल्ली के विदेशी डाक विभागों में इसी की दर आठ आने प्रति घंटा है ;

(ख) क्या पीड़ित कर्मचारियों के अभ्यावेदन पांच से अधिक वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह असमानता दूर की जायेगी ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी, नहीं। अधिक समय तक काम करने का भत्ता घटों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके लिये अपेक्षित कुल उपस्थिति और कार्य-भार के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उल्लिखित स्थानों पर ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इसकी परीक्षा की जा रही है ।

खड़गपुर की दुर्घटना

†*९९३. **श्री कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री २१ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६६ और उस के संबंध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बंध **में** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खड़गपुर की दुर्घटना के संबंध में सरकारी पर्यवेक्षक का अन्तिम प्रतिवेदन उपपत्तियों और निष्कर्शों सहित मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विपणन संस्थायें

†५५४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में विपणन संस्थायें अभी तक नहीं बनाई गई हैं ; और

(ख) इसमें विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) अजमेर, भोपाल और कच्छ।

(ख) इन तीन राज्यों में सहकारी आन्दोलन अभी अपनी आरम्भिक अवस्था में ही है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अवश्य ही अजमेर, भोपाल और कच्छ में क्रमशः ५, ८ और ९ विपणन संस्थाओं के संगठित किये जाने की व्यवस्था रखी गई है।

समय-सारणियां

†५५५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रेलवे समय-सारिणीयां डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों के रुकने के सभी स्टेशनों और सभी रेलवे जंक्शनों पर उपलब्ध नहीं होती हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जहां भी पर्याप्त मांग होती है, उन्हीं स्टेशनों पर ये रेलवे समय-सारिणीयां बिक्री के लिये रखी जाती हैं। फिर भी, यह ठीक है कि डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के रुकने के कुछ स्टेशनों और कुछ रेलवे जंक्शनों पर उनकी बिक्री का प्रबन्ध नहीं है, क्योंकि वहां उनकी मांग अधिक नहीं है। साथ ही जिन स्टेशनों पर उनकी मांग है, उनमें भी कभी-कभी इनका भंडार खतम हो जाता है, जिससे कि प्रतियां नहीं मिल पाती हैं।

(ख) अतिरिक्त स्टेशनों पर और काफी मात्रा में इस समय-सारिणियों का भंडार रखने और उनकी बिक्री करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

तेल प्रौद्योगिकीय संस्था

†**५५६. श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय तिलहन समिति की सिफारिश के अनुसार एक तेल प्रौद्योगिकीय संस्था स्थापित करने की योजना अब किस अवस्था में है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : योजना आयोग के सुझाव के अनुसार, एक विशेषज्ञ समिति देश के वर्तमान प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्थाओं का दौरा करने और किन स्थानों पर वनस्पति तेलों के संबंध में गवेषणा की जानी चाहिये उनकी सिफारिश करने के लिये नियुक्त कर दी गयी है। आशा है कि यह समिति दिसम्बर १९५६ तक अपना कार्य पूरा कर लेगी।

फिर भी, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में एक केन्द्रीय तेल प्रौद्योगिकीय प्रतिष्ठान की स्थापना के लिये निधि की व्यवस्था की गई है।

डिवीजनल प्रणाली

†**५५७. श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवेज़ में डिवीज़नल प्रणाली को, चालू करने में कुछ अतिरिक्त व्यय होगा; और

(ख) क्या वर्तमान प्रादेशिक रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति को डिवीज़नों के अनुसार पुनर्गठित किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी तक उसका ब्योरा तैयार नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

त्रिपुरा में चिकित्सा सुविधायें

†**५५८. श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के आदिम जाति कल्याण बोर्ड की सलाह के अनुसार १९५५-५६ में आदिम जाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उक्त अवधि में त्रिपुरा के कल्याण बोर्ड द्वारा सुझाये गये क्षेत्रों में कितने अस्पताल खोले गये हैं ; और

(ग) १९५५-५६ में आदिम जाति जनता की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में कितना व्यय हुआ है ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : (क) त्रिपुरा में कोई आदिम जाति कल्याण बोर्ड नहीं है। हां, एक आदिम जाति सलाहकार समिति गत मार्च में नियुक्त की गई थी, लेकिन अभी तक उसने कोई परामर्श नहीं दिया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आदिम जाति क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से अलग नहीं किया गया है।

(ग) आदिम जाति कल्याण योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय ५२,१७१ रुपये (केवल बावन हज़ार एक सौ एकाहत्तर रुपये) हुआ था।

इंजिन

†**५५९. श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४५-४६, १९४६-४७, १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६ में अलग-अलग प्रति वर्ष (भाप, डीज़ल तेल और विद्युत चालित) कितने नये इंजिन लाइनों पर चालू किये गये ;

(ख) वर्ष १९४५-४६, १९४६-४७, १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६ में अलग-अलग प्रति वर्ष कितने पुराने और सेवा के अयोग्य घोषित किये हुए इंजनों (भाप, डीज़ल तेल और विद्युत चालित) को वास्तव में लाइन से हटाया गया ; और

(ग) १ अप्रैल, १९५६ को पुराने इंजिनों (भाप, डीज़ल तेल और विद्युत चालित) की लाइन पर चलने वाले कुल इंजिनों के सम्बन्ध में क्या प्रतिशतता थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२**]

काजू की खेती

†**५६०. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १७ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके बाद काजू की खेती के लिये उपयुक्त बंजर और परती भूमियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: केन्द्र द्वारा ऐसा कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

काजू की पौधों का रोपण

†**५६१. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वन महोत्सव योजना के अन्तर्गत केन्द्र या किसी राज्य द्वारा काजू की पौधों का रोपण किया गया है, और यदि हां, तो अभी तक काजू के कितने पौधों का रोपण किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: काजू की खेती का प्रचार वन महोत्सव के ही एक भाग के रूप में किया गया है। क्योंकि उसके अन्तर्गत रोपे गये वृक्षों को फलदार वृक्ष अन्य वृक्ष के रुप में ही वर्गीकृत किया गया है, इस लिए रोपे गये काजू के पौधों की संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

विदेश भेजे गये किसान

५६२. **श्री बाल्मीकी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये वर्ष १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में कितने किसान युवकों को विदेश भेजा गया था ; और

(ख) वे किन किन देशों को भेजे गये थे ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या १३**]

पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ

५६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं ;

(ख) अगली पंच वर्षीय योजना में कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों का और निर्माण करने का विचार है ; और

(ग) प्रथम पंच वर्षीय योजना अवधि में इस पर अनुमानतः कितना व्यय किया गया और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितना व्यय करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने-वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४**]

धातवीय जल-स्त्रोतों का विकास

†५६४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि धातवीय जल-स्त्रोतों के विकास के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) :** सरकार एक रूसी विशेषज्ञ के शीघ्र ही भारत आने की प्रतिक्षा में है। उनसे बातचीत करने के बाद रूसी विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर आगे कार्यवाही की जायगी ।

बन्दरगाहें

†५६५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के बन्दरगाहों को नवीनतम बदन्रगाह नियंत्रण रैडार उपकरण से सुसज्जित करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां। १९५७ में कांडला बन्दरगाह में बन्दरगाह नियंत्रण रैडार लगाया जायेगा। दो और प्रयोगात्मक रैडार लगाने का भी विचार है, एक बम्बई बन्दरगाह से बाहर निकलने वाले रास्ते पर खंडेरी द्वीप में और दूसरा कलकत्ता बन्दरगाह से बाहर निकलने वाले रास्ते पर सागर द्वीप में।

(ख) कांडला पर ३,७०,००० रुपये और खंडेरी और सागर द्वीपों में से प्रत्येक पर १,००,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

बेगुसराय में माल डिब्बे

†५६६. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के बेगुसराय स्टेशन पर मई के द्वितीय सप्ताह से लेकर जून के द्वितीय सप्ताह तक कितने माल डिब्बे बेकार पड़े रहे थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ८–५–१९५६ से १४–६–१९५६ तक कोई माल डिब्बा बेकार नहीं रहा था ।

गन्ना सम्बन्धी गवेषणा

†५६७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में भारतीय गन्ना गवेषण संस्था, भारतीय चीनी प्रौद्योगिकीय संस्था और गन्ना नस्ल सुधार संस्था में राज्यवार कुल कितनी परियोजनाओं को आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) जिन स्थानों को चुनने की प्रस्थापना है उनके नाम क्या हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५**]

बी० सी० जी० के टीके

†५६८. **श्री कृष्णचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में कितने बी० सी० जी० दल काम कर रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : १३१ दल ।

श्रम सम्बंधी विधियां

†५६९. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **श्रम** मंत्री ७ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मजदूरों की संख्या का, जिनके हितों का बचाव श्रम आयुक्ता (केन्द्रीय) द्वारा श्रम संबन्धी विधियां लागू करके किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** मुख्य श्रम आयुक्त संघटन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और प्रादेशिक श्रम आयुक्त के क्षेत्राधिकार का पुनरीक्षण करने के लिये प्रस्थापनायें तैयार की गई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । यह प्रस्थापनायें औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था द्वारा की जा रही सेवा की कार्य साधकता के स्तर को उच्च करने, और जहां तक सम्भव हो, बिभिन्न प्रदेशों में कार्य का समान बटवारा करने के प्रयोजन से तैयार की गई हैं ।

अनुसूचित जातियों की भर्ती

†५७०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सेवा आयोग मद्रास, द्वारा १९५५-५६ में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित कितनी नौकरियों के लिए विज्ञापन दिया गया था ;

(ख) इन नौकरियों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये;

(ग) इन नौकरियों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को मुलाकात के लिये बुलाया गया था ; और

---

†**मूल अंग्रेजी में ।**

(घ) इन नौकरियों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति चुने गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ५२९।

(ख) ४,३११ ।

(ग) १,७१८ ।

(घ) ५०८ ।

तार घर

†**५७१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५००० या इसे अधिक जनसंख्या वाले २००० नगरों में तार घर खोलने की योजना के अन्तर्गत अब तक पंजाब और पेप्सू में कितने और किन किन स्थानों पर तार घर खोले गये हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : १९५१-५६ के पांच वर्षों में पंजाब में नौ स्थानों पर और पेप्सू में एक स्थान पर तार घर खोले गये हैं।

पंजाब :—

१ सूर सिंह

२ मेहम

३ सुल्तान विंड

४ बवाल

५ पुंडरी

६ लडवा

७ बुंडाला

८ धरमकोट

९ टोहाना

पेप्सू :—

१ धनौला

चंडीगढ़ हवाइ पट्टी

†**५७२.** { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ से होकर जाने वाली विमान सेवा कब से आरम्भ की जायेगी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये किस किस्म के विमानों को काम में लाया जायेगा ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

मानसिक रोगों के अस्पताल

†५७३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय भारत के प्रत्येक मानसिक रोगों के अस्पताल में रोगियों की संख्या क्या है ; और

(ख) भारत में ऐसे अस्पतालों की संख्या को बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण लोक सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६**]

डाक और तार कर्मचारियों के लिये खेल के मैदान

†५७४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री १७ फरवरी, १९५६ को पछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिये खेल के कितने मैदान हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम और खेलने वालों की संख्या क्या है ; और

(ग) उनकी देखरेख में १९५५ में कुल कितनी धन राशि व्यय की गई ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) २८३ ।

(ख) उन स्थानों के नामों के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पल रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७**] खेलने वालों की संख्या ७१३२ है।

(ग) ४,९२६–१२–६ रुपये।

दिल्ली में टैलिफोन कनेक्शन

†५७५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में टेलीफोन कनैक्शनों के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है ; और

(ख) इस समय टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या कितनी है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) १९८१ ।

(ख) ९९९९ मेन और ३११७ ऐक्सटैनशन।

भेषजीय जांच समिति

†५७६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि औषध नियंत्रण सम्बन्धी प्रशासन के केन्द्रीयकरण सम्बन्धी भेषजीय जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : भेषजीय जांच समिति की सिफारिशों पर अभी वचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गाड़ियों का आना-जाना

५७१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत २५ जून को सत्याग्रहियों ने पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार और सिलीगुडी स्टेशनों के बीच गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) इसका सम्बन्ध राज्यों के पुनर्गठन के सिलसिले में उठाये गये आन्दोलन से था।

रेलवे रियायतें

†५७८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेही समिति के मंत्री से अखिल भारतीय मैथिली साहित्य सम्मेलन, दरभंगा की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि देश के विभिन्न भागों से सम्मेलन में उपस्थित होने के लिये आने वाले प्रतिनिधियों को रेलवे रियायत दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार करके कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस मास दरभंगा में होने वाले सम्मेलन में उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों को रियायत दी गई है।

मुर्गी पालन

†५७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अन्य देशों ने भारतीयों को मुर्गी पालने के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिये कोई प्रविधिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी हां, १९५७ में ६ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये इस प्रविधिक सहायता का उपयोग किया जा रहा है।

भेड़ अभिजनन फार्म

†५८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में जिन भेड़ अभिजनन फार्मों को खोलने की प्रस्थापना की गई है उस पर कितना व्यय लागत आने का अनुमान है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में ३ भेड़ अभिजनन फार्म, जिनके साथ ऊन का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालायें भी होंगी, खोलने की प्रस्थापना की गई है। ऊन का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं समेत ३ भेड़ अभिजनन फार्मों पर ९·७८ लाख रुपये लागत आने का अनुमान है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कण्डाघाट स्टेशन

५८१. **डा० सत्यवादी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कालका-शिमला सेक्शन के कण्डाघाट स्टेशन पर स्टेशन तक जाने वाली कोई सड़क न होने के कारण व्यापारियों को अपना माल बुक कराने में बड़ी कठिनाई होती है और माल धर्मपुर अथवा कालका तक ले जा कर बुक करना पड़ता है ; और

(ख) क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये किसी प्रस्थापना पर विचार किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) कंडाघाट स्टेशन का माल गोदाम कालका-शिमला रोड से ३८ फ़ीट की ऊंचाई पर है। इस सड़क से मालगोदाम तक पहुंचने के लिये २३६ फ़ीट लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है। पैने मोड़ और खड़े चढ़ाव-उतार के कारण माल-गोदाम पर आने वाली सड़क मोटर-गाड़ियां आदि चलाने के लिये ठीक नहीं है। संभव है थोड़ा-बहुत माल जो आम तौर पर इसी स्टेशन पर बुक किया जाता है, दूसरे स्टेशनों पर भेज दिया जाता हो।

(ख) कुछ समय पहिले मालगोदाम तक एक ऐसी सड़क बनाने का विचार था, जिस पर मोटरें चलायी जा सकें लेकिन चूंकि यातायात काफ़ी न था और पहाड़ी जगह होने के कारण सड़क बनाने की लगात का अनुमान बहुत ज्यादा आता था, इसलिये सड़क बनाने का विचार छोड़ दिया गया।

बेजवाड़ा में दुर्घटना

†५८२. **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ जुलाई, १९५६, को बेजवाड़ा स्टेशन पर दो सवारी गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर होने को थी, जिसे आने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने होशियारी से बचा लिया ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की कोई विभागीय जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं ; और

(घ) क्या संबद्ध ड्राइवर को कोई पारितोषिक दिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) ७ जुलाई, १९५६ को सायंकाल को कोई ६ बज कर ११ मिनट पर, जब कि गाड़ी नंबर १०२५, मुसलीपटम् बंगलौर नगर सवारी गाड़ी बजवाड़ा स्टेशन पर लाइन संख्या १ (प्लेटफार्म संख्या ६) पर खड़ी हुई थी, तब गाड़ी नंबर १०४४ गुण्डर मुसलीपटम सवारी गाड़ी भी दूसरी ओर से उसी लाईन पर आ गई। गाडी संख्या १०४४ के ड्राईवर ने यात्री गाड़ी संख्या १०२५ से लगभग २९४ फुट के अन्तर पर अपनी गाड़ी रोक ली, और इस प्रकार दोनों गाड़ियों को आमने सामने की टक्कर से बचा लिया।

(ख) और (ग). संबद्ध डिवीज़नों के अफ़सरों की समिति द्वारा संयुक्त जांच की गई थी। उनका प्रतिवेदन अभी परीक्षणाधीन है। जिस टक्कर को रोक लिया गया, उसका स्पष्टत: कारण यह था कि सवारी गाड़ी संख्या १०४४ के आने के लिये जो प्वाइंटस सैट किये गये थे वह गलती से लाइन संख्या २ (प्लेटफार्म संख्या ५) जिस पर गाड़ी को लेने का इरादा था, की बजाय लाइन संख्या १ के लिये सैट कर दिये गये थे।

(घ) जांच समिति ने किसी पारितोषिक की सिफारिश नहीं की है। ड्राइवर से, अपने कर्तव्य के नाते, सतर्क रहने और यथावसर कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अप्रतिवयस्क पदाधिकारी

†५८३. **श्री चांडक :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में आयु वार्धक्यता प्राप्त अफसर (श्रेणीवार) कितने हैं और उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियुक्त करने के क्या विशेष कारण है ;

(ख) ये सेवा निवृत्त व्यक्ति कब तक सेवायुक्त रहेंगे ; और

(ग) १९५६-५७ में कितने अफसर सेवा निवृत्त होने को है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८**]

(ग) दो।

पर्यटक ब्यूरो

†५८४. { **श्री हेम राज :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में देश के अन्दर और विदेशों में कितने पर्यटक ब्यूरो खोलने का विचार है ;

(ख) जिन स्थानों पर उन्हें खोलने का विचार है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितना व्यय किया जाता है तथा किस अनुपात में केन्द्र और राज्य उस व्यय में हिस्सा बटायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९**]

मीन क्षेत्र

†५८५. **श्री रा० प्र० गर्ग :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मीन क्षेत्रों से प्रति वर्ष देश को कुल कितनी आय होती है;

(ख) मछली पकड़ने के उद्योग में लगे हुए मछुओं और देशी नावों की संख्या क्या है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में विदेशों से कितने ट्रालर (मछली पकड़ने के जहाज) मंगाये गये हैं ;

(घ) देश में ट्रालरों के आ जाने के उपरांत मछली को जाल डाल कर पकड़ने की प्रक्रिया में किस सीमा तक सुधार हुआ है ; और

(ङ) दूसरी पंच वर्षीय योजना में मछली उद्योग का सुधार करने के लिये कितना धन खर्च करने का विचार है कि अगले पांच वर्षों के लिये योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). कृषि विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किये गये भारत में मछली के विपणन संबंधी प्रतिवेदन के अनुसार, मछली पकड़ने के उद्योग से प्रति वर्ष लगभग १८ करोड़ रुपये की औसत आय होने का अनुमान है, तथा वयस्क मछुओं की संख्या ५ लाख के लगभग है और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या सत्रह हजार के लगभग है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(ग) ग्यारह , जिनमें बम्बई के एक गैर सरकारी समवाय द्वारा लाये गये चार ट्रालर भी सम्मिलित हैं।

(घ) ये ट्रालर वास्तव में १९५५ में आ गये थे और इन्होंने अभी हाल ही में मछली पकड़ना आरम्भ किया है। अतः इतनी शीघ्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ङ) ३९८·५ लाख रुपये (८ करोड़ रुपयों की राज्यों की योजनाओं के अतिरिक्त)। इसकी रूपरेखा लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०**]

स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था

†५८६. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लखनऊ के दारुल-शफा के निकट स्थित "सर्वप्रिय भोजनालय" के व्यवस्थापक ने रेलवे स्टेशन पर साढ़े दस आने खुराक की दर पर, आजकल दिये जाने वाले भोजन से बढ़िया भोजन देने की कोई योजना प्रस्तुत की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस बात का पता नहीं चल रहा है कि इस तरह की कोई योजना सरकार या रेल-प्रशासनों को मिली है ।

चावल

†५८७. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जुलाई १९५६ के पूर्वार्ध में खाद्य स्थिति का अध्ययन करने के लिये खाद्य और कृषि उपमंत्री ने दक्षिणी भारत, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश के उस भाग में चावल की फसल की संभावनाओं को दिखाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां।

(ख) भारत में अगली चावल की फसल की संभावनायें बहुत सुन्दर दिखाई देती हैं। इस वर्ष चावल उगाने वाले सभी बड़े क्षेत्रों में जल्दी और खूब वर्षा हुई है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के डेल्टाओं में, जो सर्वाधिक चावल पैदा करने वाले क्षेत्र हैं, खूब वर्षा हुई और दक्षिण के बांधों में पानी खूब चढ़ा हुआ है। अगली चावल की फसल का अधिक ठीक अनुमान अक्तूबर में ही उपलब्ध होगा।

सेवा-निवृत्त रेलवे पदाधिकारी

५८८. **श्री खू० चं० सोधिया : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय ने १९५१ से अब तक भारतीय रेलवे के कितने सेवा-निवृत्त उच्च-पदाधिकारियों की अवैतनिक सेवाओं का उपयोग किया है ;

(ख) किन-किन पदों पर इनकी सेवाओं का उपयोग किया गया ; और

(ग) भारतीय रेलवे के कितने सेवा-निवृत्त उच्च-पदाधिकारियों को पुनर्नियुक्त किया गया और किन-किन पदों तथा वेतनक्रमों पर ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दो।

(ख) एक अफसर ने उस कमेटी में काम किया जो रेल दुर्घटना जांच समिति और रेल-उपस्कर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये बनायी गयी थी। दूसरे अफसर ने उपनगरी रेल-यातायात में भीड़ की जांच करने के लिये जो कमेटी बनायी गयी थी उसमें काम किया। इस समय यह अफसर आसाम रेल-लिंक के मार्ग निर्धारिण समिति में काम कर रहा है।

(ग) (अ) नियमित वेतन-क्रम में रखे गये अफसर	रिटायर्ड होने के बाद काम पर रखे गये अफसरों की संख्या
१. सीनियर प्रशासी वेतन-क्रम (१,८००—२,२५० रु०)	४
२. अध्यक्ष, रेलवे सर्विस कमीशन (२,००० रु० जिनकी नियुक्ति १९५६ से पहले की गयी थी।)	३
(१,८०० रु० जिनकी नियुक्त १९५६ के बाद की गयी।)	
३. मेम्बर, रेलवे सर्विस कमीशन (१,५०० रु० १९५६ से पहले)	६
(१,३०० रु० १९५६ के बाद)	
४. जूनियर प्रशासी वेतन-क्रम (१,३००—१,६०० रु०)	५
	१६
(ब) मान वेतन पर रखे गये अफसर	४
जोड़	२०

विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र

†५८९. **श्री हेम राज :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंच वर्षीय योजना में राज्यवार कितने विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और बुनियादी कृषि स्कूल खोले गये हैं, तथा जहां वे खोले गयें हैं उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ख) दूसरी पंच वर्षीय योजना में राज्यवार कितने ऐसे केन्द्र खोले जाने हैं तथा जिन स्थानों पर उन्हें खोलने का विचार है उनके नाम क्या हैं ?

†खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में खोले जाने वाले विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों और बुनियादी कृषि स्कूलों की संख्या को दिखाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१]**

ये प्रस्तावित केन्द्र किन स्थानोंपर स्थापित किये जायें, इसका विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभी निर्णय नहीं किया गया है।

कुष्ठ अस्पताल, अगरतला

†५९०. **श्री दशरथ देव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अगरतला कुष्ट अस्पताल में अब तक कोढ़ के कितने रोगियों का इलाज किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार त्रिपुरा में अधिक कुष्ट अस्पताल खोलने का विचार करती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) :** (क) १९५१ से जुलाई १९५६ तक १४५६।

(ख) जी नहीं। दूसरी पंच वर्षीय योजना में अगरतला के वर्तमान कुष्ट अस्पताल को बढ़ाने का विचार है।

ग्राम सेविकायें

५९१. **श्री खू० चं० सोधिया :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम-सेविकाओं को प्रशिक्षित करने के लिये मध्य प्रदेश में खोले गये केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि कितनी है और उनका पाठ्य-क्रम क्या है ; और

(ख) प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर इन ग्राम-सेविकाओं को किस वेतन-क्रम पर सेवायुक्त किया जाता है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ख) अपने प्रशिक्षण के पूरे करने के बाद ग्राम-सेविकाओं को जो वेतन क्रम दिया जायेगा वह यह है : रुपये ६०–६०–३–९०–योग्यता बार –५–१२५.

गोमो-हावड़ा सवारी गाड़ी

५९२. **श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्वी ज़ोन में गोमो-हावड़ा सवारी गाड़ी के प्राय: देर से चलने के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** गोमो-हावड़ा सवारी गाड़ी प्राय: देर से नहीं चलती, बल्कि कभी कभी ही देर से चलती है। उसके कार्यकरण की अच्छी तरह देखभाल की जा रही है, और पिछले दो महीनों की तुलना में, जुलाई १९५६ में, उसके ठीक समय पर चलने की दिशा में सुधार हुआ है।

दुर्गापुर में रोजगार की समस्या

†५९३. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक समवायों के लिये कौन सा काम दिलाऊ दफ्तर काम कर रहा है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(ख) दुर्गापुर के सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक समवायों में कारोबार के लिये पिछले दो वर्षों में काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा कितने रोगजार चाहने वाले व्यक्तियों को भेजा गया है; और

(ग) उनमें से कितनों को विभिन्न श्रेणियों में रोजगार दिया गया और उनमें से कितनों को काम पर लगाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) उप-प्रादेशिक काम दिलाऊ दफ्तर, आसनसोल।

(ख) जुलाई ५४ से जून ५६ के बीच की अवधि में १२३ *।

(ग) (१) ३१ *व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।

(२) २८ *व्यक्तियों को काम पर लगाया गया।

सिलीगुड़ी–लखनऊ की गाड़ियां

†**५९४. श्री मु० इस्लामुद्दीन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ जाने वाली सिलिगडी-लखनऊ डाक गाड़ी पर स्थानों के रक्षित न किये जाने तथा बुकिंग से इन्कार किये जाने के कारण कटिहार के पहली श्रेणी के यात्रियों को असुविधा और निराशा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा करने वाली जनता की इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ३०१ अप और ३०२ डाउन–अवध तिरहुत डाक गाड़ियों में कटिहार में पहली श्रेणी के स्थान की मांग को साधारणतया पूर्णतया पूरा किया जाता है, किन्तु कई बार ऐसा करना संभव नहीं हुआ है।

(ख) इन गाड़ियों पर इस समय जो अमीनगांव-कानपुर सीधी पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणियों की मिली जुली बोगी चलती है, उसके स्थान पर १०–८–५६ से पहली और तीसरी श्रेणियों की मिली जुली बोगी चलायी जा रही है। इससे इन गाड़ियों में इस समय पहली श्रेणी में उपलब्ध स्थान में ४ बर्थों की वृद्धि हो गई है।

रेलवे रियायत प्रपत्र

†**५९५. श्री मु० इस्लामुद्दीन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के पास रेलवे रियायत प्रपत्रों की कमी है और जिन रियायत प्राप्त करने के अधिकारी यात्रियों को उन्हें उन फार्मों के नमूने पर टाईप करना पड़ता है, जो रेलवे के नोटिस बोर्ड पर लगे होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रियायत प्राप्त करने के अधिकारी यात्रियों को होने वाली इस असुविधा को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) रेलवे प्रशासन यात्रा करने वालों को रेलवे रियायत प्रमाण-पत्र प्रपत्र नहीं देता और साधारणतया यात्रा करने वाले को कोचिंग टैरिफ में दिये निश्चित प्रपत्र के अनुसार इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना पड़ता है। तथापि कुछ रेलवेज़ में, सुविधा की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिये रियायत प्रपत्र रेलवे छपवा लेती है और शिक्षा संस्थाओं के मुख्य अध्यापकों द्वारा मांग किये जाने पर उनको भेज देती है। किन्तु उन रेलवेज़ में भी प्रपत्र न मिलने की कभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

*सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक समवायों के सम्बन्ध में सूचना पृथक् रूप से उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेज़ी में।

बेतार जांच निरीक्षक और बेतार लाइसेंस निरीक्षक

†५९६. **श्री धुसिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेतार जांच निरीक्षकों और बेतार लाइसेंस निरीक्षकों को चुनने की क्या नीति है ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार में इन दोनों पदों के लिये कितने व्यक्ति चुने गये हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम):** (क) डाक घरों के निरीक्षक और डाक घरों के सुपरिंटेंडेंटों के हैडक्लर्क और इस पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति के लिये अनुमोदित अभ्यर्थी बेतार लाइसेंस निरीक्षक, जांच पड़ताल करने और अभियोग चलाने की योग्यता रखने वाले क्लर्कों या तार बाबू बेतार जांच निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिये अर्ह हो सकते हैं यदि वे इन शर्तों को पूरी करते हों :—

(१) उनकी कम से कम पांच वर्ष की सेवा होनी चाहिये और वे स्थायी कर्मचारी होने चाहिये ।

(२) उनकी आयु ४५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(३) उनका सेवा का अभिलेख अच्छा होना चाहिये, उनकी आदतें अच्छी हों और देखने में वे चुस्त मालूम हों और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात कर सकते हों ।

(४) उन्हें साइकिल चलाना आता हो ।

बेतार लाइसेंस निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां डाक घरों के उन क्लर्कों में से की जाती हैं जो ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करते हैं । दोनों मामलों में अफसरों का चुनाव बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

(ख) जानकारी नीचे दी जाती है :—

	बेतार जांच निरीक्षक			बेतार लाइसेंस निरीक्षक		
	अन्य समुदाय	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अन्य समुदाय	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
उत्तर प्रदेश	४	१	..	२४	..	..
बिहार	१	१	..	७	२	१

त्रावणकोर–कोचीन में बाढ़

†५९७. **श्री अच्युतन :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के त्रिचुर जिले में हाल में आई बाढ़ों से फसलों को कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या सहायता कार्य किये गये थे और कुल कितना धन खर्च किया गया ;

(ग) इस वर्ष बाद की बाढ़ों से, अवशिष्ट फसलों को अग्रेतर हानि से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उन स्थानों पर तेल से चलने वाले मोटर पम्प लगाकर जल की व्यवस्था करके उन क्षेत्रों में दूसरी फसल उगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) ३२११ एकड़ भूमि में फसलों को हानि पहुंची है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) लगभग १०० बोरी चावल मुफ्त बांटे गये थे। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से निकलने वालों को अपने आपको और अपने सामान को निकालने के लिये निःशुल्क नौकायें दी गई थीं। जिला अधिकारियों ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता के लिये ५,५०० रुपये दिये हैं। हाल ही के चक्रवातों और बाढ़ों के संबंधी सहायता कार्यों के लिये प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधी में से ३०,००० रुपये दिये गये हैं।

(ग) और (घ). अभी तक कोई विशेष योजना प्रारम्भ नही की गई हैं।

अराओं और कोस्मा के बीच फ्लैग स्टेशन

†५९८. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे पर अराओं और कोस्मा स्टेशनों के बीच एक फ्लैग स्टेशन खोलने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** इस काम के लिये जो भूमि अपेक्षित है, उसका कब्जा असैनिक अधिकारियों द्वारा अभी नहीं दिया गया है, उन्होंने प्रतिकार विवरण तैयार कर लिये हैं और संबद्ध लोगों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

रेलवे को भमि का कबजा मिल जाने की तिथि से ६ और ९ महीनों के बीच फ्लैग स्टेशन के बना दिये जाने की आशा है।

खड़गपुर की हड़ताल

†५९९. **श्री साधन गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मई मास में हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण कितने रेलवे कर्मचारियों को खड़गपुर में गिरफ्तार किया गया ;

(ख) उनमें से ऐसे कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया ;

(ग) उनमें से कितने को न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया है ; और

(घ) मुक्त हुए कर्मचारियों में से कितनों को अपना कार्य भार संभालने की अनुमति दी गई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) २५१ हड़तालियों को आपराधिक अनधि प्रवेश, हिंसा, डराने, धमकाने, दंगा करने आदि के लिये गिरफ्तार किया गया था।

(ख) २४७।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि १९७ कर्मचारी पुलिस द्वारा छोड़ दिये गये हैं।

(घ) ६।

परिवार आयोजन क्लिनिक

†६००. **श्री हेम राज :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने परिवार आयोजन क्लिनिक खोलने की प्रस्थापना करती है ; और

(ख) उनमें से कितने नगरीय क्षेत्रों में स्थित होंगे और कितने ग्रामीण क्षेत्रों में ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) :** (क) २,५००।

(ख) ५०० नगरीय क्षेत्रों में और २,००० ग्रामीण क्षेत्रों में।

---

† मूल अंग्रेज़ी में।

चीनी का उत्पादन

†६०१. **श्री विश्वनाथ राय : क्या खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में १९५५–५६ की फसल में चीनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** ९·३ प्रतिशत । गत वर्ष हुए ९·०३ लाख टन के उत्पादन की तुलना में १९५५–५६ की फस्ल में उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन ९·८७ लाख टन हुआ था ।

मध्य भारत में सार्वजनिक टेलिफोन कार्यालय

६०२. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५६–५७ और १९५७–५८ में मध्य भारत में कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जायेंगे ;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में कम से कम कितनी जनसंख्या वाले कस्बों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जायेंगे ; और

(ग) क्या हर तहसील के प्रधान केन्द्र में भी सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) १९५६–५७ में दो पहिले ही खोले जा चुके हैं तथा लगभग आठ सार्वजनिक टेलीफोन घर और खोले जाने की संभावना है ।

१९५७–५८ में उचित समय में इसकी स्थिति मालूम हो जायेगी ।

(ख) इस प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं है । शर्त यह है कि ज़िला व उप-प्रभागीय हैडक्वार्टर वाले नगरों को छोड़ कर प्रस्तावित कार्यालय के चलाने में किसी प्रकार की हानि न हो ।

(ग) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

बामन्या स्टेशन

६०३. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बामन्या स्टेशन पर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में प्रतिदिन औसतन कितने यात्री गाड़ियों पर चढ़ते हैं ;

(ख) बामन्या स्टेशन पर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी से प्रतिदिन औसतन कितने यात्री गाड़ियों से उतरते हैं ;

(ग) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों द्वारा बामन्या स्टेशन पर शिकायत पुस्तिका में किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की गई हैं ; और

(घ) इन शिकायतों पर रेलवे द्वारा कितनी कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीन ।

(ख) दो ।

(ग) ये शिकायतें रोशनी के प्रबन्ध और ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय न होने के सम्बन्ध में थीं ।

(घ) एक गैस बत्ती का इन्तजाम कर दिया गया है । लेकिन, इस स्टेशन पर आने-जाने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों की संख्या बहुत थोड़ी है और उसे देखते हुए यहां ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाना उचित नहीं जान पड़ता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . ८५१–७१

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
९४४	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम	८५१–५२
९४५	पंजाब में बीज तथा खाद के गोदाम	८५२–५३
९४६	पर्यटन	८५३–५४
९४७	चीनी के कारखाने .	८५४–५६
९४९	बिना टिकट यात्रा . .	८५६
९५०	रेलगाड़ियों में चोरियां . .	८५६–५७
९५३	कलकत्ता बन्दरगाह . .	८५७–५८
९५४	बिना लाइसेंस के रेडियो सेट . .	८५८–५९
९५५	केन्द्रीय सड़क निधि	८५९–६०
९५६	भूमि का कटाव	८६०–६१
९५७	बनिहाल सुरंग	८६१–६२
९५९	बंगाल प्राविंशियल रेलवे कम्पनी . . .	८६३
९६०	पूर्व रेलवे के वाणिज्य कर्मचारी . . .	८६३–६४
९६१	पोस्टल गाइड	८६४–६५
९६२	चीनी का कारखाना	८६५–६६
९६३	लोकमान्य तिलक की जन्म शताब्दी . .	८६६–६७
९६४	सर्वत्र अमरीकी विप्रेषण सहकारिता संघ . . .	८६७–६८
९६६	बरासत-बसिरहाट लाइन . . .	८६८–६९
९८४	बरासत-बसिरहाट लाइन	८६९–७०
९६७	जहाजों को समुद्र से निकालने का कार्य . . .	८७०
९६८	समुद्रीय इंजीनियर और पदाधिकारी	८७०–७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

	तेलंगना के लिये संरक्षण . .	८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर ८७१–९६

तारांकित प्रश्न संख्या		
९४३	राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड . . .	८७१
९४८	संग्रहागारों का निरीक्षण . .	८७२
९५१	रूस के लिये भारतीय शिष्टमंडल . .	८७२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
९५२	पुलों का निर्माण	८७२
९५८	उर्वरक	८७२
९६५	गोशालायें	८७३
९६९	अन्तर्देशीय जल परिवहन	८७३
९७०	त्रिपुरा के चाय कर्मचारी (बोनस)	८७३
९७१	रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति	८७३
९७२	काम दिलाऊ दफ्तर	८७३–७४
९७३	भारतीय श्रम सम्मेलन	८७४
९७४	भारत-बर्मा नौवहन सेवा	८७४
९७५	गव्यशाला विज्ञान में प्रशिक्षण	८७४–७५
९७६	कृषि संग्रहालय	८७५
९७७	सरकारी फार्म	८७५
९७८	दिल्ली के चारों ओर रिंग रेलवे	८७५–७६
९७९	जलपोत निर्माण विशेषज्ञ	८७६
९८०	रेलवे में गजेटिड पदाधिकारी	८७६
९८१	गंगा पर नदी पत्तन	८७६–७७
९८२	हिन्दी में तार	८७७
९८३	रेलवे स्टेशन पर हमला	८७७
९८५	नीलगिरी में डाक कर्मचारी	८७७
९८६	स्वास्थ्य सेवा के सहायक महानिदेशक	८७८
९८७	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	८७८
९८८	प्रबंध कार्य में कर्मचारियों का सहयोग	८७८
९८९	अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन	८७८–७९
९९०	शीतोष्ण-नियंत्रित गलियारे वाली रेल गाड़ियां	८७९
९९१	घी में मिलावट	८७९
९९२	अधिक समय तक काम करने के भत्ते	८८०
९९३	खड़गपुर की दुर्घटना	८८०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५५४	विपणन संस्थायें	८८०
५५५	समय सारिणियां	८८०–८१
५५६	तेल प्रौद्योगिकीय संस्था	८८१
५५७	डिवीज़नल प्रणाली	८८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५६०	काजू की खेती	८८२
५६१	काजू की पौधों का रोपण	८८२
५६२	विदेश भेजे गये किसान	८८३
५६३	पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ	८८३
५६४	धातवीय जल स्रोतों का विकास	८८३
५६५	बन्दरगाहें	८८३
५६६	बेगुसराय में माल डिब्बे	८८४
५६७	गन्ना संबंधी गवेषणा	८८४
५६८	बी० सी० जी० के टीके	८८४
५६९	श्रम संबंधी विधियां	८८४
५७०	अनुसूचित जातियों की भर्ती	८८४—८५
५७१	तार घर	८८५
५७२	चंडीगढ़ में हवाई पट्टी	८८५
५७३	मानसिक रोगों के अस्पताल	८८६
५७४	डाक और तार कर्मचारियों के लिये खेल के मैदान	८८६
५७५	दिल्ली में टेलीफोन कनैक्शन	८८६
५७६	भेषजीय जांच समिति	८८६
५७७	गाड़ियों का आना जाना	८८७
५७८	रेलवे रियायतें	८८७
५७९	मुर्गी पालन	८८७
५८०	भेड़ अभिजनन फार्म	८८७
५८१	कण्डाघाट स्टेशन	८८८
५८२	बेजवाडा में दुर्घटना	८८८
५८३	अतिवयस्क पदाधिकारी	८८९
५८४	पर्यटक ब्यूरो	८८९
५८५	मीन क्षेत्र	८८९—९०
५८६	स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था	८९०
५८७	चावल	८९०
५८८	सेवा-निवृत्त-रेलवे पदाधिकारी	८९०—९१
५८९	विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र	८९१—९२
५९०	कुष्ट अस्पताल, अग्रतला	८९२
५९१	ग्राम सेविकायें	८९२
५९२	गोमो-हावड़ा सवारी गाड़ी	८९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५९३	दुर्गापुर में रोजगार की समस्या	८९२–९३
५९४	सिलीगुड़ी लखनऊ की गाड़ियां	८९३
५९५	रेलवे रियायत प्रपत्र	८९३
५९६	बेतार जांच निरीक्षक और बेतार लाइसेंस निरीक्षक .	८९४
५९७	त्रावनकोर-कोचीन में बाढ़ें	८९४–९५
५९८	आराओं और कोसमा के बीच फ्लैग स्टेशन . .	८९५
५९९	खड़गपुर की हड़ताल	८९५
६००	परिवार आयोजन क्लिनिक	८९५
६०१	चीनी का उत्पादन	८९६
६०२	मध्यभारत में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय . .	८९६
६०३	बामन्या स्टेशन	८९६

१० अगस्त, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६	पृष्ठ
स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में .	६९५–९६
स्थगन प्रस्ताव——	
त्रिपुरा में बाढ़े .	६९६–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	६९८–९९
राज्य सभा से सन्देश . . .	६९९
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक .	७००
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	७००–३९
खंड २ से १५	७००–०२
खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३	७०२–१९
खंड ५० से ७० . . .	७१९–३२
खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६	७३२–३९
दैनिक संक्षेपिका	७४०–४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६	
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५	७४३
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक	७४३
राष्ट्रीय राजपथ विधेयक	७४३
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	७४४–८६
खंड २ से १५	७४४–६३
खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . .	७६३–६६
खण्ड ११५ से १३१ . . .	७६६–८६
दैनिक संक्षेपिका . .	७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६	
डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन .	७८९–९०
स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . .	७९०–९५
दैनिक संक्षेपिका .	७९६

अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८

राज्य सभा से सन्देश ७९८

सभा का कार्य ७९८

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२

खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१

नदी बोंड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३

विचार करने का प्रस्ताव ८५२

दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८

कार्य-मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९

नदी बोर्ड विदेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११

बेकारी सहायता विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ९२९

सभा का कार्य ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

ेल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१९०.

लोक-सभा

शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२.०१ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

अहमदाबाद की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अहमदाबाद की गंभीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपालन, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री कामत तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस में कहा गया है कि महागुजरात के एक भाषा-भाषी राज्य का समर्थन करने वाली जनता को सेना द्वारा निर्दयता से कुचला गया जिसके परिणाम स्वरूप लगभग बारह व्यक्ति मरे तथा कितने ही घायल हुये। उन्हें यह सूचना कहां से मिली ?

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : आज समाचारपत्रों के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया है कि सेना बुलाई गयी थी।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को पूर्णतया नहीं पढ़ा है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभा के कल के निर्णय, जो कि ४० मतों के विरुद्ध २४१मतों से पारित हुआ था, के विरुद्ध आपत्ति है। सभा ने विधेयक के प्रस्तावानुसार तीन अलग एककों के स्थान पर, बम्बई के एक द्विभाषाभाषी राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

मुझे मालूम हुआ है कि सशस्त्र सेना नहीं बुलाई गई थी केवल एक बिजली घर की रक्षा के लिये सेना के लगभग २० व्यक्ति बुलाए गये थे। परन्तु इन उपद्रवों से जनता की रक्षा करने के लिये अथवा इन दंगों को दबाने के लिये कभी भी सेना नहीं बुलाई गई थी। सेना का इससे कोई सरोकार नहीं था। संभवतया उससे सावधान रहने को कहा गया था, बुलाया नहीं गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतन व्यक्ति मारे गये। परन्तु यह सभा इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकती है कि जनता इस सभा के निर्णय के विरुद्ध उत्तेजित हो कर कानून अपने हाथ में ले। क्या इस प्रकार के प्रदर्शन से एक द्विभाषाभाषी राज्य एकभाषाभाषी

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

बनाया जा सकता है? जब उस क्षेत्र के प्रतिनिधि इस कार्य में समर्थ नहीं हो सके तब हम वहां की जनता को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। मैं इस प्रस्ताव की अनमति नहीं दे सकता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण-पूर्व) : एक औचित्य प्रश्न है। आपने प्रदर्शनकारियों द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की बात कही। हम वहां की घटनाओं के सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य जानते ही नहीं हैं। कभी कभी पुलिस भी जनता पर गोली चलाकर उस को उत्तेजित करती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सम्बन्ध में अपनी राय नहीं दे रहा हूं कि कौन जिम्मेदार था। स्थगन प्रस्ताव में ही दिया गया है कि यह प्रदर्शन एकभाषाभाषी राज्य के सम्बन्ध में था। यह मामला शांति तथा व्यवस्था का ही था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतने व्यक्ति मारे गये। परन्तु यह सभा तथा सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है।

कार्यमंत्रणा समिति

उन्तालिसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ६

श्री ब० गो० मेहता (गोहिलवाड): अध्यक्ष महोदय, मैं एस्टीमेट्स समिति (१९५५–५६) का कार्यवाही-सारांश, खंड ५–अंक ६ पेश करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

निकोबार दुर्घटना के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति

†**पंडित द्वा०ना० तिवारी** (सारन–दक्षिण) : मैं नियम २१६ के अधीन प्रधान मंत्री का ध्यान निकोबार कांड के लिये पाकिस्तान द्वारा प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में उनके संसद् में दिये गये वक्तव्य के विरोध में, पाकिस्तान सरकार की ४ अगस्त, १९५६ की विज्ञाप्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

†**डा० रामराव** (काकिनाडा) : मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न इस सम्बन्ध में भेजा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे मामलों में कुछ अल्प सूचना प्रश्न आते हैं तथा कुछ ध्यान आकर्षित कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। मैं तब माननीय मंत्री को एक वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं तथा उसके बाद अल्प सूचना प्रश्नों की अनुमति देता हूं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि अल्प सूचना प्रश्न की स्वीकृति की जिम्मेदारी मंत्री पर है तथा अन्य किसी पर नहीं। यह मुझपर है कि मैं उन्हें स्वीकार करूं अथवा नहीं। सामान्यत: मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेता हूं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मुझे इस प्रश्न को अल्प सूचना प्रश्न के रूप में पुन: लेने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि अल्प सूचना प्रश्न विशिष्ट प्रक्रिया है जिससे सामान्य प्रक्रिया को छोड़ दिया जाता है। ऐसा दोनों पक्षों की सहमति से होता है।

निकोबार कांड होने के समय से मेरे तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच पर्याप्त पत्र-व्यवहार हुआ। हमने संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया

---

†मूल अंग्रेजी में।

तथा समुचित प्रतिकर मांगा। पाकिस्तान सरकार ने प्रतिकर भुगतान का कोई भी उत्तरदायित्व लने से इन्कार कर दिया।

अन्त में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने निकोवाल कांड के सम्बन्ध में मुझे एक लम्बा पत्र लिखा। यह एक लम्बा पत्र था जिसमें हमारे तर्कों के तार्किक उत्तर दिये मये थे तथा कहा गया था कि इसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

अपने पत्र में प्रधान मंत्री ने लिखा था कि :

"उपरिलिखित कारणों से मैं नहीं समझता कि मेरी सरकार पर निकोबाल कांड के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत रूप से मुझे जहां इतने व्यक्ति मरे हों, उसके प्रति मुझे हार्दिक दुख है। इस मामले के सम्बन्ध में, हम उन व्यक्तियों के सम्बन्धियों के पुनर्वास के लिये जिनकी इस कांड में मृत्यु हुई है दान के रुप में एक लाख रुपया देते हैं।"

यह पत्र १९ मई, १९५६ का था। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि इस कांड के कारण पाकिस्तान सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिये एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाना चाहिये।

३० मई को दिये गये उत्तर में, अन्य विभिन्न तर्कों का उत्तर देते हुये, अन्त में मैंने कहा था कि मैं निकोवाल सीमा कांड में मरे व्यक्तियों के सम्बन्धियों के पुनर्वास के लिये एक लाख रुपये के दान की सराहना करता हूं तथा स्वीकार करता हूं। संयुक्त वक्तव्य के सम्बन्ध में मैने कहा कि मैं इससे सहमत हूं तथा मैने एक प्रारूप भेजा था। इस पत्र का उत्तर मुझे अभी नहीं मिला है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व से मैं पाकिस्तान प्रधान मंत्री को सुझाव दे रहा हूं कि निकोवाल कांड का हमारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित होना चाहिये। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा कि इनका प्रकाशन उचित नहीं होगा क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन का भी प्रकाशन होगा तथा इसके लिये संयुक्त राष्ट्र की अनुमति लेनी होगी। हमें यह जानकारी है कि यदि दोनो प्रधान मंत्री सहमत हों तो संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव को कोई आपत्ति नहीं है। मैंने दुबारा पकिस्तान के प्रधान मंत्री को इस पत्र-व्यवहार के प्रकाशन की अनुमति के लिये लिखा है।

अब, माननीय सदस्य देखेंगे कि अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के समय मैंने कहा था कि अन्त में पाकिस्तान सरकार ने मरे व्यक्तियों के परिवारों को कुछ सहायता देना स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान सरकार के ये शब्द महत्वपूर्ण हैं कि अंततोगत्वा पाकिस्तान सरकार एक विशेष मामले के रूप में मृत व्यक्तियों के परिवारों के सहायतार्थ कुछ राशि देने को तैयार हो गयी है। मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा था क्योंकि यह तर्क उपस्थित हो सकता था कि इसको प्रकाशित किया जाये अथवा नहीं। परन्तु मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने कुछ धन देना स्वीकार कर लिया है तथा बाद में मैने बताया था कि यह राशि एक लाख रुपये है।

पाकिस्तान सरकार ने इस पर आधारित विज्ञप्ती जारी की है कि उन्होंने प्रतिकर देना स्वीकार नहीं किया है। शब्दशः यह ठीक माना जा सकता है कि उन्होंने प्रतिकर देना स्वीकार नहीं किया है परन्तु उन्होंने जनता की सहायता के लिये एक लाख रुपया देना स्वीकार किया है।

नदी बोर्ड विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम नदी बोर्ड विधेयक पर और आगे विचार करेंगे।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : कल सायं मैं इस बात का उत्तर दे रहा था कि जब कि यह विधान अत्यन्त आवश्यक प्रयोजनों की प्राप्ति के लिये है, सरकार ने इन प्रयोजनों को पूरा करने के लिये पर्याप्त अधिकार नहीं लिए हैं। इसके पश्चात् यह कहा गया था

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नन्दा]

कि अभिकरण तथा व्यवस्था जिसके द्वारा सरकार कार्य करेगी उनको भी पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हैं। उदाहरण के तौर पर यह कहा गया कि नदी बोर्डों का कार्य परामर्श देने का है तथा यह पूछा गया कि यदि वह परामर्श स्वीकार नहीं किया गया तो क्या होगा? उनका विचार था कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में, जिसके द्वारा देश की नदी घाटियों तथा नदियों का विकास होगा, स्थिति इस प्रकार नहीं होनी चाहिये। तभी यह प्रश्न उठाया गया कि विधेयक का इस प्रकार संशोधन क्यों न कर दिया जाये जिसके द्वारा बोर्ड को अपने निर्णय पूर्ण कराने के अधिकार मिल सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने अग्रेतर यह भी कहा कि सरकार को कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के ब्योरे को निश्चित करने के लिये न केवल निश्चयात्मक कार्यवाही करनी चाहिये अपितु यदि इन योजनाओं की कार्यान्विति में कोई कठिनाई सामने आती हो अथवा देरी होती हो तो उसे उन योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य भी स्वयं ही करना चाहिये। इस से बड़े महत्व-पूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और सामान्यतः उनके सम्बन्ध में बताने में मुझे अधिक समय लगेगा। एक ब्योरेवार उत्तर दिये जाने की आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु क्योंकि मैं इस विषय पर पहले ही अपने विचार प्रकट कर चुका हूं, इस लिये मैं इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिये सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बहुत संक्षेप में स्थिति को बताऊंगा।

इसके दो उत्तर हैं। पहला यह है, कि क्या यह बाध्यकारी निर्णय विधि प्रक्रिया के अनुसार किया गया है जैसा कि इस विधेयक में विहित है। संभव है कि सरकार को यह शक्ति ही न हो। यदि माननीय सदस्य इस विधेयक के पहले उपबन्धों का अध्ययन करने का कष्ट करें, तो उन्हें ज्ञात होगा कि अन्त में एक ऐसा प्राधिकार है जो कि कोई प्राधिकृत घोषणा कर सकता है और बाध्यकारी निर्णय दे सकता है। और यह प्राधिकारी है मध्यस्थ। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, इससे देरी हो जाने की भी संभावना है। मैं इसी बात को दूसरी तरह से बताता हूं। परन्तु इस प्रश्न का, कि क्या किसी बाध्यकारी निर्णय के लिये कोई उपबंध है या नहीं, उत्तर बिल्कुल स्पष्ठ है और उत्तर यह है कि इस विधेयक में इसके सम्बन्ध में एक योजना है। अर्थात् यदि बोर्ड की सलाह किसी एक पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो पीड़ित पक्ष मध्यस्थ से आवे-दन कर सकता है, और मध्यस्थ यह बताने की स्थिति में होगा कि योजना क्या होनी चाहिये, उस के व्यय को किसे वहन करना चाहिये और दायिताओं में किसका कितना भाग होना चाहिये इत्यादि।

परन्तु अधिक महत्वपूर्ण उत्तर तो कुछ और ही है। उसका सम्बन्ध न केवल निर्णय से है अपितु योजना की कार्यान्विति जैसी सम्बन्धित व्यवस्था से भी है। इस विधेयक में, उपबन्ध यह है कि यदि मध्यस्थ यह कहता है कि अमुक योजना को पूरा किया ही जाना है, तो सम्बन्धित पक्षों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसे कार्यान्वित करें। परन्तु इसके अतिरिक्त यह उपबन्ध भी है कि केन्द्रीय सरकार, पक्षों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर या अपने आप, हस्तक्षेप कर सकती है और वह सहायता दे सकती है जो कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित हो।

उत्तर का अधिक महत्वपूर्ण भाग यह है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमें इस विधान को इसी समस्या को सुलझाने के लिये उपलब्ध अन्य अभिकरणों से पृथक कर के नहीं देखना चाहिये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये, कि जहां तक विभिन्न राज्यों में स्थित नदियों के विकसित किये जाने का सम्बन्ध है, गत चार या पांच वर्षों में बहुत अधिक कार्य किया गया है ; अनुसन्धान किये गये हैं ; योजनायें बनाई गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया गया है और अपेक्षित प्रबन्ध व्यवस्था को स्थापित किया गया है। योजना आयोग है जो यह निर्णय करता है कि किस को योजना में सम्मिलित किया जाना है और किस योजना को इस वर्ष, या अगले वर्ष या पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, योजना राष्ट्रीय विकास परिषद् के पास भेजी जाती है, जिस में राज्यों के मुख्य मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होता हैं, इस के बाद यह योजना संसद् के समक्ष आती है और एक बड़ी योजना बनाई जाती है, जिस में कि सब छोटी योजनाएं सम्मिलित होती हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : खंड १५ के अन्तर्गत, राज्यों के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वे उन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करें जिन के लिए सलाहकार बोर्ड कहे ?

†**श्री नन्दा** : मैं इसे स्पष्ट करता हूं । चूंकि यह मध्यस्थ का पंचाट होता है, इस लिये खंड २(४) के अन्तर्गत "मध्यस्त का निर्णय अन्तिम होगा और झगड़ा करने वाले पक्षों के लिये बन्धनकारी होगा और उनके द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।" ये शब्द इस में हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खंड १५ के अनुसार, राज्यों के लिये, अनुमोदित योजनाओं को क्रियान्वित करना अनिवार्य नहीं है।

†**श्री नन्दा** : इस लिए मैं यह बता रहा था कि इस मामले में उस समिति को ध्यान में रखना चाहिये, जो विभिन्न राज्यों से आने वालीं योजनाओं की जांच करने के लिये उनकी परीक्षा करने के लिये पहले ही नियुक्त कर दी गई है। प्रविधिक जांच और अनुमोदन के बाद, इन्हें बड़ी योजना में सम्मिलित किया जाता है। मध्यस्थ का निर्णय भी इन योजनाओं के बारे में भी होता है। जब एक पक्ष किसी अनुमोदित योजना को क्रियान्वित करने के लिये तैयार हो और दूसरा पक्ष तैयार न हो, तो वह पक्ष जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मध्यस्थ के समक्ष जाता है और कहता है कि एक राज्य विशेष उस कर्तव्य का पालन करने से इन्कार कर रहा है जो बोर्ड द्वारा उस पर डाला गया है और इस लिये वह मध्यस्थ से यह निर्णय देने की प्रार्थना करता है कि विभिन्न पक्षों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इस मामले में कोई निश्चित या अन्तिम निर्णय किया जायेगा। किन्तु हो सकता है कि कोई राज्य मध्यस्थ के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये तैयार ही न हो। मेरे विचार में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है, किन्तु ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये संविधान में उपबन्ध है। वास्तव में हमारा विचार यह है कि इन बोर्डों को इतना अधिक काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि मैं ने कहा विधेयक में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रति वर्ष बीसियों योजनाओं पर विचार कर के निपटाया जाता रहा है, विभिन्न प्रकार की जांच पड़तालें की जाती हैं और झगड़े भी उत्पन्न होते ही रहते हैं। दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते है और दावे भी भिन्न-भिन्न होते है परन्तु अब इनका निर्णय केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। इस लिये ये सब बातें ऐसे की जा रही हैं।

इस विधेयक की आवश्यकता इसलिये है कि स्वयं योजनाओं के गुण दोष के मामले में किसी झगड़े की संभाव्यता को दूर किया जाये। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग या केन्द्रीय सरकार कुछ भी कर रही हो, हम ने यह अधिक अच्छा समझा कि सरकार और राज्य के बीच एक ऐसी व्यवस्था हो जिस को कुछ शक्ति प्राप्त हो और उसे यह शक्ति एक ओर तो प्रविधिक सक्षमता के कारण– बोर्ड के पास सभी प्रकार के टेकनिकल विशेषज्ञ हैं– और दूसरी ओर ऐसे निष्पक्ष व्यक्तियों से प्राप्त होगी जिस का किसी राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसलिये यह प्राधिकार एक ऐसी घोषणा कर सकने की स्थिति में होगा जो न केवल बन्धनकारी होगी बल्कि जिसका कुछ नैतिक प्रभाव भी होगा। इस समय केन्द्रीय सरकार की जो नैतिक शक्ति है उसके कारण इन सब मामलों को आजकल निपटाया जा सकता है और यह शक्ति एक प्रकार की रक्षित शक्ति है जो समय आने पर काम में लाई जा सकती है। मेरे विचार में जो व्यवस्था की जा रही और या की जानी अपेक्षित है और इस विधेयक में जो उपबन्ध किये जा रहे हैं, उन से हर प्रकार की सम्भावित स्थिति का मुकाबिला करने में बहुत सहायता मिलेगी ; इस में ऐसी स्थिति का मुकाबिला करने का विचार नहीं किया गया है जिस के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। एक और बात यह है कि हमारे लिये इन सभी शक्तियों को ले लेना तो संभव है, परन्तु जैसा कि कहा गया है, हमारे लिये योजनाओं को लागू करना और फिर राज्यों से अपने हिस्से का भुगतान करने के लिये कहना संभव नहीं है। किसी राज्य के लिये भी किसी योजना को लागू न करना बहुत सरल बात होगी और हमारे लिये उस योजना को स्वयं कार्यान्वित करना बहुत कठिन होगा। स्वयं इसी बात से कि कोई मध्यस्थ है शासन के लिये स्थिति सुधर जाती है और राज्यों की भावनाओं का भी अधिक ख्याल

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नन्दा]

रखा जा सकता है। उन्हें संतोष रहेगा कि एक ऐसी व्यवस्था है जो इस मामले में निष्पक्षता से काम लेगी। इस विधेयक की चर्चा से उत्पन्न होने वाली यह एक मुख्य बात है। मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि, इस मामले में जो व्यवस्था सब से अधिक लाभदायक है, उसी को अपनाया जा रहा है। माननीय सदस्यों के कुछ संशोधन इस मामले से सम्बन्धित हैं और उन सभी संशोधनों का उत्तर भी यही है। संभव है कि इस विधेयक के बारे में उन के आयोजन और विचार कुछ और हों परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य तथा आधार उन से भिन्न है। उनकी विचार धारा को अपना या जा सकता ह, किन्तु हम ने ऐसा करना पसन्द नहीं किया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि इस देश की प्रशासन सम्बन्धी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस व्यवस्था से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यद्यपि यह एक कदम नहीं, बल्कि दो या तीन कदम ही हैं, तथापि राज्यों की राय के विरुद्ध उन पर अपनी राय ठोंसने की बजाय इन तीन कदमों के उठाने से अधिक अच्छे परिणाम निकलेंगे।

कुछ प्रश्न इन बोर्डों के गठन और कार्यकरण के बारे में उठाये गये हैं और कहा गया है कि एक ही बोर्ड क्यों न हो और इतने बोर्ड क्यों हों? एक बोर्ड के लिये इतना सब काम करना असंभव होगा, क्योंकि संभव है कि एक ही समय में दो या तीन स्थानों पर प्रश्न उत्पन्न हों, विभिन्न प्रश्नों का विभिन्न महत्व हो, इसलिये एक लचीली व्यवस्था रखना अधिक अच्छा है। प्रश्न बाढ़ों के सम्बन्ध में हो सकते हैं, नदियों के जल के कलुषित होने या भूमि रक्षण के सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। भांति-भांति के और तरह-तरह के प्रश्न हो सकते हैं। इस लिये स्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रख कर बोर्ड के गठन को अनुकूल बनाना होगा। जो लक्ष्य हमारे समक्ष है उसके अनुसार एक बोर्ड रखने का विचार कुछ बहुत उपयुक्त नहीं है।

बोर्ड के गठन के बारे में भी यह कहा गया था कि इस में केवल विशेषज्ञ और विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही हैं, किन्तु इन विशेषज्ञों के काम के बारे में निर्णय कौन करेगा? बोर्ड के गठन सम्बन्धी खंड के शब्दों को देखने से यह मालूम होगा कि ये विशेषज्ञ केवल प्रविधिक विशेषज्ञ ही नहीं हैं, जिन्हें सिंचाई, विद्युत् इन्जीनियरिंग, बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल रक्षण, भूमि रक्षण आदि का विशेष ज्ञान और अनुभव है, बल्कि इन्हें प्रशासन और वित्त सम्बन्धी अनुभव भी है। इस लिये एक विशेष प्रकार के विशेषज्ञ भी इस में आ गये हैं। प्रशासन का बहुत विस्तृत तथा व्यापक क्षेत्र होता है इतना संकुचित नहीं जितना कि माननीय सदस्य का विचार है।

यह भी कहा गया था कि इन बोर्डों में राज्यों के कुछ प्रतिनिधि क्यों न रखे जायें? ऐसा करने के लिये हम पर कोई रोक नहीं है। वास्तव में मूल विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में विशिष्ट रूप से यह कहा गया था कि जहां तक हो सके, विशेषज्ञ और प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित व्यक्ति राज्यों से लिये जायें। यह बहुत उपयोगी होगा क्योंकि बोर्ड को जिन मामलों का निर्णय करना पड़ेगा उनका सम्बन्ध विभिन्न राज्यों से होगा। इस लिये हमारी कोशिश यही होगी और जहां तक संभव होगा हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करेंगे।

मध्यस्थ निर्णय के लिये कोई गुंजाइश है भी या नहीं इस सम्बन्ध में श्री टेक चन्द ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि यहां दोनों पक्षों को परामर्श दिया जाना है। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं ऐसी स्थिति में क्या वह एक झगड़ा बन जाता है? यह एक संकीर्ण निर्वचन है। हमने यह खास तौर से बताया है कि परामर्श दिये जाने के बाद यदि उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो परामर्श की अस्वीकृति से एक विशेष स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक पक्ष का यह ख्याल हो जाता है कि उसे उसका उचित हिस्सा उसे नहीं दिया जा रहा है या दूसरा पक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। वह मध्यस्थ के समक्ष अवश्य आना चाहिये। मेरा ख्याल है कि मध्यस्थ निर्णय व्यवस्था के कार्यकरण के बारे में कोई मान्य आपत्ति नही की गई है?

यह कहा गया था कि हमें बहुत सी मंत्रणा समितियां बनाने का शौक था। इस विधेयक के अन्तर्गत जिन मंत्रणा समितियों की प्रस्थापना की गई है वे बिल्कुल भिन्न प्रकार की हैं। चूंकि विशेष प्रश्न उत्पन्न होंगे इस लिये असेसर पर्याप्त नहीं होंगे। किसी प्रविधिक मामले के बारे में किसी व्यक्ति विशेष के परामर्श की आवश्यकता हो सकती है; और संभव है कि एक या दो व्यक्तियों ने उस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो। बोर्ड के समक्ष किसी मामले के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की जाये उस में एक या दो समितियों की आवश्यकता हो सकती है। समिति एक हो सकती है और कभी कभी एक ही समय में एक से अधिक भी हो सकती हैं।

एक दो छोटी मोटी बातें और भी हैं। कहा गया है कि हमने नदियों की परिभाषा नहीं की है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर उसी समय देते हुये कहा था कि 'नदी' की परिभाषा में किसी नदी की सहायक नदियाँ भी आ जाती हैं। इसका उल्लेख विशेष रूप से संगत खंड में किया गया है। यदि कोई नदी बारह मासी नहीं है, तो क्या वह भी इस खंड के अन्तर्गत आयेगी ? मेरे विचार में इन सब की व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। यदि किसी नदी में एक या दो दिन पानी नहीं रहता है, तब भी वह नदी ही रहती है और यह बात स्पष्ट है। मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

लेखा परीक्षा कौन करेगा। यह पूछा गया है। यहां बहुत अधिक लेखा परीक्षा अथवा अत्यधिक व्यय नहीं होने जा रहा है। लेखा परीक्षा के लिये उपबन्ध कर दिया गया है और मेरे विचार से इस सम्बन्ध में और कुछ किया जाना बाकी नहीं है। हमसे नियमों को शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रखने के लिये कहा गया था और हम ऐसा करेंगे भी। किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि तीस दिन में इस कार्य को करना संभव है, क्योंकि सब राज्यों से विचारविनिमय करने के लिये यह समय पर्याप्त नहीं है; इसमें अधिक समय लग सकता है किन्तु इस सम्बन्ध में राज्यों से विचार विमर्श कर लेने के पश्चात् हम नियमों को लोकसभा पटल पर शीघ्रातिशीघ्र रखने का प्रयत्न करेंगे।

मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। मैं अपने नाम वाले संशोधन को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। वह एक शाब्दिक संशोधन है और जिसे माननीय अध्यक्ष स्वयं ही कर सकते है। कुछ अन्य संशोधन भी हैं और मैंने उन्हें स्वीकार न करने के कारण बता दिये हैं। इन संशोधनों को प्रस्तुत करने में पंडित भार्गव का जो उद्देश्य था उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, किन्तु उक्त लक्ष्य को दूसरे तरीके से प्राप्त कर लिया गया है। मैंने इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है। माननीय सदस्य जो कुछ कराना चाहते हैं, उसे पहले ही किसी दूसरे तरीके से किया जा रहा है, इसलिये मैं उस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री र० द० मिश्र का संशोधन मध्यस्थों और असेसरों के वेतनों, भत्तों और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में है। हमने बोर्डों के सदस्यों आदि के बारे में उपबन्ध कर दिये हैं किन्तु जहां तक मध्यस्थो का सम्बन्ध है, हम उन्हें हमारे द्वारा बनाये गये नियमों की परिधि में नहीं लाये हैं। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी हैं और संभव है कि उनकी सेवा की शर्तों को भी वही निर्धारित कर रहे हैं। एक दो शाब्दिक संशोधन और भी हैं, किन्तु मैं उन्हें आवश्यक नहीं समझता।

श्री र० द० मिश्र का एक और संशोधन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री नन्दा** : मैं यह बताना चाहता था कि उद्देश्य क्या था। यह संशोधन जिस खंड के बारे में है उस से यह संशोधन संगत नहीं है, इस का सम्बन्ध विवादों से नहीं है। यह विधेयक समन्वय के उन तरीकों के बारे में है, जो अप्रत्यक्ष रूप से विवादों और संघर्षों को हल करेंगे। इस लिए यह आवश्यक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और बिकास के लिये नदी बोर्डों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर खंड वार चर्चा स्थगित रखी जायेगी और अब राज्य पुनर्गठन विधेयक का तृतीय वाचन शुरू किया जायेगा, जो कि तीन घंटे तक चलेगा।

राज्य पुनर्गठन विधेयक—(समाप्त)

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नूर): मेरा सुझाव है कि तृतीय वाचन के लिये चार घंटे दिये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : तीन घंटे का समय देने के लिये मैं सहमत था और हमारी चर्चा लगभग साढ़े तीन बजे समाप्त होगी। हम चार या पांच मिनट और ले सकते हैं।

खंड ४— (राज्य क्षेत्र का त्रावनकोर कोचीन से मद्रास को हस्तान्तरण)

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं

कि पृष्ठ ४, पंक्ति १ और २ के स्थान पर यह रखा जाए :

"(*b*) Shall form a separate district to be known as Kanyakumari District in the State of Madras"

["(ख) वह मद्रास राज्य में एक अलग जिला बनेगा जो कि जिला कन्याकुमारी कहलायेगा।"]

खंड ११ (नये मध्यप्रदेश राज्य की रचना)

†**पंडित गो० व० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ६, पंक्ति २०

"९" के स्थान पर "८" रखा जाये।

खंड १२ (कुछ राज्य वित्तीय निगमों सम्बन्धी उपबन्ध)

†**पंडित गो० व० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ४४, पंक्ति २३ में

"महाराष्ट्र" के स्थान पर "बम्बई" रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इन संशोधनों को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा पहल मैं ६०७ को मत दान के लिये रखूंगा।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : अब जो परिवर्तन किये गये हैं उनसे शेनकोटा तालुका कन्याकुमारी से संस्पर्शी नहीं रह जाता है और वह त्रावनकोर-कोचीन से भी अलग है।

†**पंडित गो० व० पन्त** : शेनकोटा को अलग रहने दिया जाये और अन्य चार तालुकों को मिला कर जिला कन्याकुमारी बनाया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अन्य दो संशोधनों को मत दान के लिये रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ६, पंक्ति २० में

"९" के स्थान पर "८" रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

कि पृष्ठ ४४ पंक्ति २३ में

"महाराष्ट्र" के स्थान पर "बम्बई" रखा जाये ।

†**श्री गाडगील** (पूना–मध्य) : जिस प्रकार श्री चर्चिल ने १९३५ के भारत सरकार विधेयक पर ४०० बार वक्तव्य देने के पश्चात् अन्त में अपना कर्तव्य समझ कर उसे स्वीकार कर लिया था उसी प्रकार जब तक इस विधेयक में कोई संशोधन, परिवर्तन नहीं किया जाता है अथवा लोकतन्त्रात्मक साधनों से इसका उत्सादन नहीं हो जाता है मैं भी इसे स्वीकार करता हूं।

सभा का यह निर्णय मुझे पसन्द नहीं है परन्तु जैसा कि शिवाजी के गुरु संत रामदास ने कहा है :

"सदा सर्वदा सजै। मग अवधेच होती राजे।
काहीं सजै काहीं न सजै। ऐसे आहे।"

इस भावना से मैं यह निर्णय स्वीकार करता हूं।

सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि देश में अच्छा वातावरण पैदा हो और इसके लिये प्रयत्न करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

वर्तमान प्रस्थापना पर १९५० में, जब सरदार पटेल जीवित थे, विचार किया गया परन्तु यह उस समय के राजनैतिक सुझाव के प्रतिकूल था इस लिये मैं ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

जब राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया उस समय मैं ने महाराष्ट्र कांग्रेस में अपने साथियों के सामने यह सुझाव रखा था कि गुजराती और मराठी भाषी क्षेत्रों का एक संयुक्त राज्य बना कर यह देखा जाये कि वह सफल होता है या नहीं परन्तु मेरे साथी कोई अन्तर्कालीन प्रबन्ध नहीं चाहते थे इस लिये हम ने बम्बई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र की मांग करने का निश्चय किया।

१८ अक्तूबर को मैं ने यह प्रस्थापना श्री ढेबर के सामने रखी, श्री शंकर राव देव के द्वारा इसे हाई कमान के सामने रखा गया और २१ अक्तूबर को मैं ने इसे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखा परन्तु बड़े दुःख की बात है कि इसकी बड़ी निन्दा की गई और इसे अस्वीकृत कर दिया गया। परन्तु अब इसे पुनरीक्षित करके स्वीकार कर लिया गया है। यदि इसे अक्तूबर में ही स्वीकार कर लिया जाता तो वे दुखद घटनायें न होतीं।

वर्तमान हल में मुझे कोई विशेष अच्छाई दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसे सफलता पूर्वक चलाने के लिये जो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि अपेक्षित थी वह नहीं है परन्तु क्योंकि संसद् ने इसका अनुमोदन कर दिया है इस लिये इस प्रयोग की सफलता के लिये हम सभी को प्रयत्न करना चाहिये।

मैं अनुभव करता हूं कि इस व्यवस्था से अन्याय की मात्रा कम भले ही हो गई हो परन्तु वह दूर नहीं हुई है। इसीलिये मैंने इस के खिलाफ मत दिया था। प्रशासन का अर्थ केवल क्षेत्रों

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री गाडगील]

का समायोजन ही नहीं है बल्कि इसे लोगों की भावनाओं, उनकी राय और इच्छाओं का ध्यान रख कर उनका सहयोग प्राप्त करना होता है। आशा है कि पन्तजी सीमा विवादों का कोई सन्तोषजनक हल निकाल लेंगे। इस लिये मैं सम्बन्धित दलों को मंत्रणा देता हूं कि वे सद्भावना और मैत्रीपूर्ण वातावरण को पैदा करने का प्रयास करें।

राजनीति में किसी बात को सम्पूर्ण नहीं समझा जाता है क्योंकि यदि ऐसा हो जाये तो राजनीतिज्ञों के पास कोई काम नहीं रहेगा। जैसे कि महाभारत में कहा गया है :

"अर्थात्तु शम्यते मोक्तम कृतकार्योऽवमन्यते
तस्मात् सर्वाणि कार्यानि सोऽवशेषणि कारयैत्"

किस्सा सह सुरजनी की तरह इसका कभी अन्त नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि यह प्रबन्धी स्थायी रहे। इससे मेरी पूर्ण सहानुभूति है और मुझे आशा है कि महाराष्ट्र और गुजरात की जनता इसे सद्भावना से स्वीकार करेंगी और महाराष्ट्र की सफलता इस बात से देखी जायेगी कि गुजरात की जनता उस पर कितना विश्वास करती है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें सफलता प्राप्त होगी।

शभास्ते सन्तु पथानः

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : इस विधेयक से जनता को बड़ी आशायें थीं क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के समय देश भर में बहुत से प्रदर्शन किये गये थे जिस से पता चलता था कि लोग क्या चाहते थे। परन्तु बहुत सी जगहों पर लोगों की यह आशायें मिट्टी में मिल चुकी हैं और मैं समझता हूं कि बम्बई राज्य की स्थापना लोकतन्त्र के प्रत्येक सिद्धान्त का विरोध करते हुये की गई है।

महाराष्ट्र और गुजरात की जनता की राय को पांव तले रोंदा गया है। उन संसद् सदस्यों ने, जो पीड़ित व्यक्तियों की मनोस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते हैं, सरकार के सामने राष्ट्रीय एकता का बहाना रखा जिस से कि वह बम्बई को द्विभाषा भाषी राज्य बना सकें। यदि सरकार अपने अधिकार की भावना से इतनी फूल न गई होती तो वह अनुभव कर सकती थी कि यह कोई हल नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र की जनता पर एक ऐसा राज्य ढूंसा जा रहा है जो पूर्णतः वैसा है जैसा कि वह अंग्रेजी शासन काल में था और जिसे स्वयं कांग्रेस बदलना चाहती थी।

यह अन्याय केवल बम्बई के धनी व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिये किया गया है। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने एक दो बहुत अच्छे वक्तव्य दिये परन्तु बाद में उनका व्यवहार कुछ इस प्रकार का हो गया कि जिस से न तो महाराष्ट्र को और न ही देश को कोई लाभ हुआ है।

महाराष्ट्र की मांगों के बारे में कई बार कहा जा चुका है परन्तु गुजरातियों की मांगों का यहां उल्लेख करना ठीक नहीं समझा गया है। परन्तु इस आवाज को रोका नहीं जा सकता है। आज जनता प्रदर्शन कर रही और वह गृह-कार्य मंत्री की गोलियों और बंदूकों की परवाह न करके अपनी मांग को दोहरा रही है। वह गुजराती राज्य चाहते हैं। यह विचार किया जाता था कि गुजरात द्विभाषा भाषी सूत्र के पक्ष में था परन्तु अब सचाई का पता चला है जब कि केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि विधि-जीवी संघ और मिल मालिकों ने भी इसका विरोध किया है।

यह कहा जाता है कि कुछ समाज विरोधी तत्व यह हानि पहुंचा रहे हैं। बम्बई के बारे मे भी यही कहा जाता था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह कहना ठीक नहीं होगा कि भाषाई प्रान्तों का निर्माण राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। प्रधान मंत्री इस परिणाम पर कैसे पहुंचे यह बड़े आश्चर्य की बात है। गुजरात और महाराष्ट्र की जनता को अपने छोटे से एकक में स्वतन्त्रता पूर्वक रहने का जो मूल अधिकार था उससे उन्हें वंचित किया गया है। यदि वे इसका विरोध करते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं।

राष्ट्रीय एकता इस प्रकार स्थापित नहीं की जा सकती है। २०० व्यक्तियों के हस्ताक्षर करने पर बम्बई को द्विभाषी राज्य बना दिया गया परन्तु गृह-कार्य मंत्री की शुभ कामनाओं से बंगाल को बिहार से और कर्नाटक और केरल को मिलाया जा सकता था परन्तु जनता की सहनशीलता का अन्त हो चुका है।

विधेयक की अन्य त्रुटियां जनता की अपेक्षा से ही पैदा हुई हैं। सीमा आयोग की स्थापना से इनकार किया गया है जिस से कई बुराइयां पैदा हो जायंगी परन्तु सरकार किसी बात की परवाह नहीं करती है।

उड़ीसा का प्रश्न कई बार उठाया गया परन्तु गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि सीमा आयोग इतनी बड़ी समस्या को हल नहीं कर सकता है। आदिम जातियों को भी इस विधेयक से बड़ी निराशा हुई है क्योंकि उनकी समस्याओं का कहीं उल्लेख ही नहीं है। हम चिल्लाते रहे हैं कि संविधान की छठी अनुसूची में परिवर्तन किये जायें। यह दुख की बात है कि आदिम जातियों के प्रवक्ता श्री जयपाल सिंह ने इन बातों की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया है। आदिम जातियों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और सरकार ने इस बारे में एक शब्द नहीं कहा है। काश कि मैं कह सकता :

संगच्छध्वं, संवदध्वं संवो मनांसि जानताम ।

परन्तु इस अवसर पर हम यह नहीं कह सकते। सरकार ने जान बूझ कर इस राष्ट्रीय प्रश्न को स्थायी रूप से हल नही किया है बल्कि जहां एकता थी वहां फूट डाली है। इसके लिये मैं सरकार को दोषी ठहराता हूं और मैं इस विधेयक के बारे में यह भी नहीं कह सकता कि :

एको ही दोषो, गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः
किरणेष्विवांकः

इस में कोई साधरण और एक आध ही त्रुटि नहीं है। इसमें अन्याय और असमता के कई उदाहरण हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से विधेयक का विरोध तो कर नहीं सकते परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सरकार ने राज्य पुनर्गठन की समस्या को जिस प्रकार से हल किया है उससे हमें बहुत दुःख हुआ है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : हमें इस बात का पता होना चाहिये कि भारत में इस समय क्या हो रहा है। अहमदाबाद में हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं और बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है।

मैं देखता हूं कि राज्य पुनर्गठन का जो मूल उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। इसका उद्देश्य था देश की एकता को बढ़ाना और एक नये भारत का निर्माण करना, परन्तु प्रादेशिक विचार और भावनाओं ने इसे बहुत हानि पहुंचाई है।

बाल गंगाधर तिलक शताब्दी समारोह समिति का सभापति होने के नाते मैं समारोह में गया था परन्तु मैंने देखा कि महाराष्ट्र की जनता, जिसने रानाडे, गोखले और तिलक जैसे महा-पुरुषों को जन्म दिया, इस द्विभाषी राज्य के प्रश्न से अप्रसन्न है। मेरी तो यह राय है कि यदि आप अनुभव करते थे कि द्विभाषी राज्य से महाराष्ट्र, गुजरात और समस्त भारत का कल्याण होगा तो आप को वहां की जनता की राय लेनी चाहिये थी। संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि जनता की राय लिये बिना कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिये परन्तु हमने जनता की राय

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

नहीं ली और परिणाम यह हुआ कि कई स्थानों पर हिंसात्मक घटनायें और हुल्लड़बाजी हुई। पंजाब में अब भी तनाव है। १९२० में स्वयं गांधी जी ने भी भाषाई सिद्धान्तों के आधार पर एक संविधान बनाये जाने की भी मंत्रणा दी थी, क्योंकि इस से संगठन और एकता बढ़ती है और भारत गणराज्य की शक्ति इसके प्रत्येक एकक की शक्ति पर निर्भर करती है। अतः हमें इन एककों का निर्माण किसी विशेष सिद्धान्त के आधार पर करना होगा। मैं यह भी नहीं कहता कि भाषाई प्रश्न का हठधर्मी से पालन किया जाये। जहां देश की सुरक्षा का प्रश्न हो वहां इस का बलिदान दिया जा सकता है।

पंडित हृदय नाथ कुंजरू और सरदार पन्निकर कोई साम्प्रदायिक भावनाओं वाले व्यक्ति नहीं हैं। वे भारत को सुरक्षित रखने के लिये पंजाब की शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। उनका विचार था कि हिमाचल प्रदेश का छोटा सा राज्य भारत-चीन की सीमा पर हो रहे चोरी छुपे निष्क्रमण को रोकने की सामर्थ्य नहीं रखता है। इसी लिये वे पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश के मिलाने जाने के पक्ष में थे। इसे अस्वीकृत किया गया क्योंकि सरकार का कोई सिद्धान्त ही नहीं है। वह दलगत नीति के आधार पर कार्य कर रही है। परन्तु इस से काम नहीं चलेगा। पुनर्गठन आयोग के सदस्य पंजाब के लोगों से बातचीत करके इस परिणाम पर पहुंचे थे कि पंजाब की शक्ति को बढ़ाये बिना केन्द्र सीमा विवादों की ओर ध्यान नहीं दे सकता है और देश की रक्षा नहीं कर सकता है। इसी कारण उन्होंने सिफारिश की थी कि इन सब राज्यों का विलय करके साम्प्रदायिक और अन्य भेद भाव मिटा दिये जाये और इस एकक को शक्तिशाली बनाया जाये परन्तु दुर्भाग्यवश इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

श्रीमान् जी, मैंने अपने गुजराती मित्रों पर यह आरोप लगाया था कि यद्यपि द्विभाषी बम्बई राज्य में उनकी जनसंख्या एक तिहाई है परन्तु फिर भी उन्होंने किसी क्षेत्रीय समिति जैसे किसी भी प्रकार के वैधानिक परित्राण की व्यवस्था किये जाने की मांग नहीं की। श्री तुलसीदास किलाचन्द ने कहा कि वह कोई परित्राण नहीं चाहते थे, और अन्य सदस्यों ने भी ऐसा ही कहा। परन्तु मुझे भय है कि इन महानुभावों को जनता की भावना का पता नहीं था। आज ही दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि वहां कांग्रेस भवन पर हमला किया गया। कांग्रेस भवन पर हमला करना तो मैं चाहता हूं परन्तु वह हमला वैधानिक होना चाहिये। गुंडागर्दी और हिंसात्मक कार्यवाहियों से काम नहीं चल सकता है। जो कुछ भी आज हो रहा है वह बड़ा हृदय विदारक है। यदि गुजराती सदस्यों ने अपनी जनता का मत जान लिया होता तो ऐसा न होता। खेद है कि महात्मा गांधी के राज्य की जनता भी उच्च आदर्शों को नहीं अपना सकी है। भारत की आधारभूत मौलिक एकता का आधार मजबूत होना चाहिये और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि भारत की सामाजिक व्यवस्था का आधार विभिन्नता में एकता रहा है और हमें सभी वर्गों से एक समान व्यवहार करना है।

मैं राजनीतिक कलाबाजियों में विश्वास नहीं रखता हूं। इसीलिये मैं द्विभाषी बम्बई राज्य के पक्ष में की गई कलाबाजियों की निंदा कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि काका साहब गाडगील ने सहयोग देने का आश्वासन दिया है। परन्तु मुझे भारी सन्देह है कि महाराष्ट्र की जनता उसे पसन्द भी करेगी।

मुझे संसद् के गुजराती सदस्यों से भी निराशा हुई है क्योंकि उनका मन निश्चित नहीं है। जब बम्बई में कुछ गड़बड़ी हुई तो वह कोई समझौते का मार्ग निकालने लगे। गुजरातियों को यह प्रस्थापना स्वीकार नहीं थी। इस परन्तु तो भी उन्हें राज्य में गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। परन्तु मैं इस अकस्मात् कलाबाजी के प्रति विरोध प्रकट करता हूं। यह भी राजनीतिज्ञों का वैसा ही प्रमाद है जैसा कि बंगाल-बिहार विलय के मामले में था। यह बात समझ ली जानी चाहिये कि यह कांग्रेस का मामला नहीं है। कांग्रेस देश नहीं है। राज्य पुनर्गठन के मामले में डा० राय ने किसी से परामर्श नहीं लिया और विलय का सुझाव प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार

की कलाबाजियों से बहुत गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिये मैं निवेदन करता हूं कि द्विभाषी सूत्र इस अवस्था में नहीं चलेगा। प्रधान मंत्री ने कहा था कि बम्बई महाराष्ट्र का है तो वह उसे मिलना चाहिये। महात्मा गांधी के समय से लेकर गत चुनावों तक लगभग ४० वर्षों से यही कहा जाता रहा है कि द्विभाषी क्षेत्र नहीं चल सकते थे, परन्तु अब वही किया जा रहा है। पंडित मोती लाल नेहरू ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि बहुभाषी क्षेत्र लोकतंत्र की भावना के विरूद्ध थे और उनसे सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता था। परन्तु बिना किसी युक्ति के यह सब बातें समाप्त कर दी गयीं।

इस बात की भी कोई ठोस दलील नहीं दी गयी है कि एक सीमान्त राज्य को मजबूत करने के लिये महा पंजाब क्यों नहीं बनाया गया। जब कि हमारा पड़ोसी देश साम्राज्यवादी शक्तियों से सहायता प्राप्त कर के भारत के विरुद्ध अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और हमारे प्रधान मंत्री के विरूद्ध विदेशों में काश्मीर के मामले को लेकर प्रचार कर रहा है। इस मामले में हम सब एक हैं क्योंकि नेहरू के विरुद्ध प्रचार भारत के विरुद्ध प्रचार ही है। इस लिये सभी दृष्टिकोणों से यह भारत के हित में था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर के सीमा पर एक सबल राज्य की स्थापना की जाती।

मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक को जान बूझ कर प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कि लोकतंत्र का समूल नाश हो जाय। गत ५० वर्षों में आपने यह कहा है कि यह बेढ़ंगे प्रान्तों की रचना ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शरारत थी, और भारत के स्वतन्त्र होते ही जब सत्ता हमारे हाथ में आयेगी हम सब ठीक कर लेंगे। परन्तु अब आप अपने शब्दों को वापिस ले रहे हैं और वह भी जनता की इच्छा के विरूद्ध। जनता की सम्पूर्ण प्रमुख सम्पन्नता के जिस सिद्धान्त का आपने प्रचार किया था उसकी भारत का नया मानचित्र बनाते समय उपेक्षा की जा रही है।

मुझे आशा है कि पंजाब, बम्बई और गुजरात के संबंध में कुछ ऐसे ठोस सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा जिनसे विभिन्न वर्गों में उत्पन्न हुई गलतफहमियां दूर हो जायें। यदि प्रधान मंत्री दलगत भावनाओं से निकल कर बाहर आयें तो उन्हें अभी काफी सद्भावना का काम करना है। उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से परामर्श करके कोई ऐसा सूत्र निकालना चाहिये जो सभी को स्वीकार्य हो। क्षेत्रीय भावना को बढ़ने नहीं देना चाहिये। इसी से भारत की एकता का नाश हुआ है। हमें भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना है। यह कार्य कठिन अवश्य है परन्तु इसे हमें हल करना है ताकि सब वर्गों में एकता, मेलजोल और शांति रह सके।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** अब हम एक लम्बी यात्रा की अन्तिम अवस्था पर पहुंच गये हैं। लोक-सभा के अन्य सदस्यों की भांति, मैंने भी इस विधेयक की सभी अवस्थाओं का और उससे पहले भी जो कुछ हुआ है उसका बड़ी सूक्षमता से अध्ययन किया है। शायद इस विषय के विशेष के सम्बन्ध में मैं अपने अधिकांश सहयोगियों की अपेक्षा लोक-सभा के कई अन्य सदस्यों की अपेक्षा, कम बोला हूं। इसका यह कारण नहीं है कि मुझे इसमें कोई गहरी रुचि नहीं थी। यहां जो भी कुछ कहा गया उस पर मैंने सोच विचार किया, कुछ बातें तो काफी समझदारी की थीं, और काफी बातें समझदारी से बि और मैं नहीं समझता कि मैं इस विवाद में कोई नई बातें कह सकता हूं। लेकिन इस इतने अधिक महत्वपूर्ण विधान की अन्तिम अवस्था पर पहुंच गये हैं इसलिये इ का विषय बनी हुई, इस समस्या पर मैं कोई नयी रोशनी डालने, या नया दृ लिये नहीं, बल्कि वास्तव में उसके साथ अपने आप को पूरी तौर से मिलाने के लिये ह अवस्था पर कुछ कहना चाहता हूं।

अभी अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि कांग्रेस की नीति क्या रही है। क्या मैं आदरपूर्वक उन्हें यह बताया कि उनकी अपेक्षा मैं कांग्रेस की नीति को अधिक अच्छी तरह से समझता हूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

क्या मैं उन्हें बता दूं कि उन्होंने जिस नीति का उल्लेख किया वह पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की नीति नहीं रही है ? मैं उन्हें यह भी बता दूं कि प्रारम्भ में कांग्रेस की नीति जब यह थी, तो वह आप से बिलकुल ही भिन्न परिस्थितियों में निर्धारित की गई थी। आज कांग्रेस की नीतियां उसके बिलकुल ही विपरीत हैं। यह हमें बात स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिये। हम इस एक-भाषावाद के सिद्धान्त के हामी नहीं हैं। यह हो सकता है कि हम कोई एक-भाषीय राज्य बना दें, यह तो हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस सिद्धांत को ही मानते हैं। हम आधारभूत रूप में उससे एक बिलकुल ही भिन्न सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। यही कांग्रेस की नीति है। यह तो स्वाभाविक ही है कि किसी भी नीति को इस या उस प्रकार से बिलकुल सख्ती के साथ लागू नहीं किया जा सकता है। उसका लागू किया जाना कई बातों पर निर्भर करता है। लेकिन जब हमें बार-बार याद दिलाई जाती है कि १९२२ या उससे पहले हमने भाषावार प्रान्तों की बात कही थी, और अब हम उसके उद्देश्य को धता बता रहे हैं, तो मुझे यह अचम्भा होता है कि लोग कैसे परिस्थितियों को जाने बिना, उस समय दिये गये किसी वक्तव्य विशेष के संदर्भ को और उसके बाद की घटनाओं को जाने बिना इस प्रकार की बात कह देते हैं। कांग्रेस ने इस विषय पर बार-बार विचार किया है, और हमने बार-बार ही इस बात पर जोर दिया है कि सब से अधिक महत्वपूर्ण चीज एक-भाषी प्रान्त ही नहीं है, और एक भाषावार प्रान्त के निर्माण से भी अधिक महत्वपूर्ण और बातें भी हैं।

भाषा अवश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोक-सभा इस पर भी विचार करे कि किसी भाषा के महत्व को या किसी भाषा को प्रोत्साहन देने में और किसी राज्य की सीमाओं में अन्तर है; वे दोनों एक नहीं हैं। भाषा को राज्य की सीमाओं के साथ गड़बड़ाना नहीं चाहिये। हो सकता है कि किसी मामले में सीमायें भाषावार हों। हमें उस पर आपत्ति नहीं है। वह तो एक अच्छी चीज है। लेकिन यह सोचना कि भाषा ही अत्यधिक महत्वपूर्ण मसला है, कि एक राज्य में एक निश्चित भाषाभाषी क्षेत्र ही रहना चाहिये, मेरी राय में तो आधारभूत रूप से एक गलत दृष्टिकोण है और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पर मेरा जो कुछ भी प्रभाव है मैंने उस सब को इसके विरुद्ध लगाया है, और मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि गत कुछ वर्षों से कांग्रेस ने उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार भी कर लिया है । आप उसके संकल्पों को देख लीजिये। अतः कांग्रेस की नीति के बारे में कोई भी गलत धारणा नहीं रहनी चाहिये। यह तो ठीक है कि मैं दूसरों की नीति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने इस देश में भाषा के नाम पर भाषावार प्रान्तों के नाम पर कुछ ऐसी घटनाओं को होते देखा है जिनको कि मैं समझता हूं कि लोक-सभा का प्रत्येक सदस्य भी नितान्त रूप से निन्दनीय समझता है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि राज्य की सीमा कहां तक रखी जाती है। इस का कोई अधिक महत्व नहीं है। इस विषय पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये। उसके बारे में लोगों की अपनी अपनी भावनायें हैं। हमें उन भावनाओं पर विचार करना चाहिये। हमें इस प्रश्न के आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक या जिस पर जिसे भी आप चाहें, उस पहलु पर विचार करना चाहिये। लेकिन, यह एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे कि सड़कों पर लड़ाई-झगड़ा करके विध्वंस, लूटमार या गोलीबारी के द्वारा तय किया जाये।

और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है कि बहुधा इस संसद् के प्राधिकार को चुनौती दी गई है। और कभी-कभी तो इस लोक-सभा के माननीय सदस्यों ही ने, यहां तक कि संसद् के बाहरी दरवाजे या उससे कुछ ही दूर, संसद् के प्राधिकार को दी जाने वाली उस चुनौती को प्रोत्साहित किया है। मेर विचार है कि इस लोक-सभा और संसद् के लिये यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम किस स्थिति में हैं ? यदि हमारे किसी निर्णय को चुनौती दी जाती है, तो हमारी क्या स्थिति रह जाती है ? मैं यह नहीं कहता कि उसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिये, पर प्रश्न तो यह है कि चुनौती किस प्रकार से दी जाती है और उसे किस ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है। यह तो अब एक आदत सी ही बनती जा रही है, कि जब भी कोई काम किया जाता है, तो उसका विरोध किया जाता है, और तब जनता पुलिस पर आक्रमण करती है, लूटमार और तोड़फोड़ करती फिरती है और फिर

पुलिस आकर उसे रोकती है और गोली चलाती है। पुलिस की भी गलती हो सकती है और अन्य लोगों की भी हो सकती है। मैं कोई उदाहरण विशेष के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं। लेकिन यह एक विचित्र सा, बड़ा कुत्सित सा एक क्रम बन गया है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं।

और तब उसके बाद स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं और कहा जाता है कि वह एक वीभत्स कांड है, पुलिस ने गोली चलाई है, कठोरता से दामन किया है, इत्यादि। मैं वास्तव में चाहता हूं कि लोक-सभा इस बात पर विचार करे हमारी स्थिति क्या रह गई है। इस प्रकार की सार्वजनिक हिंसा को प्रोत्साहन देकर, इस लोक-सभा द्वारा किये गये निर्णयों, या लोक-सभा में जिन विषयों के बारे में चर्चा हो रही होती है उनको चुनौती देकर हम किस ओर जा रहे हैं? किसी भी देश में यह आदत सामान्य नहीं हुआ करती, वह देश चाहे कम्यूनिस्ट हो, या गैर-कम्युनिस्ट देश हो। किसी भी कम्युनिस्ट देश में यदि कोई व्यक्ति सरकार के निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाये तो उसकी मुसीबत आ जायेगी। माननीय सदस्य इसे भली भांति जानते हैं। वहां कोई भी सिर नहीं उठा सकता है। यदि वह सिर उठाता है, तो वह सिर ही गायब हो जाता है। वहां कोई भी स्थगन-प्रस्ताव नहीं होता है, और न उस विषय पर चर्चा ही होती है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या आप भी उसका अनुकरण कर रहे हैं या करने जा रहे हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं तो इसका उत्तर यही है कि यहां उनका सिर बिलकुल सुरक्षित है। क्या माननीय सदस्य का तर्क यह है कि जनता को लूटमार करनी चाहिये, लोगों के सिर फोड़ने चाहिये, और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की जानी चाहिये?

मुझे खुशी है कि किसी ने भी ऐसा तर्क नहीं दिया है। लेकिन यह तो बार-बार कहा जाता है कि पुलिस सदा से ही बुरी है। पुलिस ने गलतियां की होंगी। किसी ने भी यह नहीं कहा है कि पुलिस ने ठीक ही किया है। लेकिन आज सुबह तो माननीय सदस्य ने एक बड़ी ही असाधारण बात कही कि अहमदाबाद में हुआ दंगा पुलिस द्वारा कराया गया है। यह बिल्कुल बे सिर पैर की बक-वास है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : सरकार के निर्णय से उत्तेजित होकर।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि सरकार के निर्णय से उत्तेजित होकर, उनके द्वारा उत्तेजित किये जा कर, माननीय सदस्य के वहां के सहयोगियों द्वारा उत्तेजित किये जाकर यह सब कुछ हुआ है। उनके सहयोगियों का मुख्य उद्देश्य तो कहीं भी उपद्रव करना ही है। (**अन्तर्बाधायें**) माननीय सदस्य ही को लोक-सभा में बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं और चुनौती के साथ कहता हूं कि लोक-सभा में यहां बैठे हुए कुछ माननीय सदस्यों ने उन दंगों को कराया था, उन दंगों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया था। (**अन्तर्बाधायें**) मैं पीछे नहीं हटता हूं। (**अन्तर्बाधायें**) मुझे प्रसन्नता है कि कुछ सत्य शब्दों ने सही स्थान पर चोट की है। मुझे प्रसन्नता है कि स्पष्ट तौर पर रखे गये कुछ तथ्यों को याद भर दिलाने से विरोधी दल के माननीय सदस्यों के हृदयों और मस्तिष्कों में उसकी कुछ गूंज तो हुई है।

मैं लोक-सभा से इस बात पर विचार करने के लिये अनुरोध करता हूं। क्या हिंसा की निन्दा में एक शब्द भी कहा गया है? जहां भी पुलिस की गलती होती है, मैंने बहुधा उसकी निन्दा की है। लेकिन क्या विरोधी दल के किसी भी माननीय सदस्य ने कभी किसी हिंसा पूर्ण कार्य की निन्दा की है? मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वे कब इन हिंसापूर्ण कार्यों की निन्दा करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार-बार प्रस्तुत किये गये स्थगन-प्रस्ताव से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस पर लोक-सभा को विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : प्रस्ताव की ग्राह्यता निश्चित करने का अधिकार प्रधान मंत्री को नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री उसके बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं किसी भी स्थगन-प्रस्ताव विशेष का उल्लेख नहीं कर रहा था। मैं तो केवल उस प्रक्रिया का उल्लेख कर रहा हूं जो कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों का एकाधिकार सी बन गयी है। मुझे वास्तव में कुछ लोगों की समझदारी की कमी पर आश्चर्य होता है कि उन्हें कोई नवीन विचार ही नहीं मिलते है और वे, मैं लोक-सभा को याद दिला दूं, युद्धों और कष्टों और बड़ी-बड़ी समस्याओं से पूर्ण इस संसार में, यहां लोक-सभा में बैठकर उसी प्रवाह से बार-बार उन्हीं बातों को दोहराते जा सकते हैं कि पुलिस बुरी है, गोली गलत चलाई गई है, कठोर दमन किया जा रहा है, आदि आदि। (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति। शांति। जब आप कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे सुनने के लिये भी तैयार रहना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि मैं ने गलती से असंसदीय भाषा का प्रयोग कर दिया हो तो मुझे खेद है। लेकिन यदि मैं यह कहूं कि चीखना चिल्लाना बुद्धिमानी का स्थान नहीं ले सकता है तो मैं समझता हूं कि यह असंसदीय भाषा नहीं है। यदि मैं यह कहूं कि हाथ हिलाना और जोर-जोर से चीखना कोई तर्क नहीं बन जाता तो शायद यह कथन भी असंसदीय नहीं है। अब यह सब कुछ बहुत हो चुका है।

हम यहां कठोर तथ्यों और विषम परिस्थितियों पर विचार कर रहे हैं। हम समस्त संसार की परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। मैं बड़ी ही गम्भीरता से निवेदन करता हूं कि संसार की वर्तमान स्थिति बहुत ही खतरनाक है आप और हम जानते है कि वह भविष्य में इससे अधिक खतरनाक बन सकती हैं। और ऐसी स्थिति में, हम बिना अपनी स्थिति का कोई अनुमान लगाये, ऐसी छोटी-मोटी बातों में उलझे हुए हैं। चाहे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति हो या चाहे हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो, उन सबको इन छोटी-मोटी आपत्तियों, दलीलों और चिल्ल पुकार से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिये। हमें मामलों पर एक तर्क पूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये। इस सरकार को, या मुझे, मैं यह नहीं कहूंगा कि लोक-सभा के किसी भी सदस्य को, उससे क्या फर्क पड़ेगा यदि बिहार-बंगाल सीमा एक स्थान पर न रख कर किसी दूसरे स्थान पर रख दी जाये, या किसी प्रान्त की सीमा इस स्थान की बजाये उस स्थान पर निश्चित कर दी जाये। मेरे लिये वह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। स्पष्ट ही है, कि वह कोई आर्थिक प्रश्न भी नहीं है। वहां के निवासियों के लिये वह अत्यधिक भावुकता से भरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। मैं इसे मानता हूं। लेकिन जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, हमारे लिये इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सीमा कुछ इधर को हटाई जाती है या कुछ उधर को। हम गलती भी कर सकते हैं। हमने गलतियां की भी हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्यों की सीमायें क्या होनी चाहिये इससे सरकार का कुछ भी नहीं बनता बिगड़ता ।

लोक-सभा यह अच्छी तरह से जानती है कि इसी लिये हमने जनता की सहमति प्राप्त करने के लिये, उसका यथा सम्भव अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करने के लिये, पूरा-पूरा प्रयास किया है। हम इसमें काफी हद तक सफल भी हुये, हम कह सकते हैं कि हमने ९० प्रतिशत जनता का समर्थन प्राप्त भी कर लिया है। कुछ मामलों में हम सफल नहीं भी हुए। परन्तु हमें निर्णय करना था। हमने जो कुछ भी सर्वोत्तम समझा उसी के अनुसार कुछ निर्णय किया।

अब इसके बाद, माननीय सदस्य श्री नि० चं० चटर्जी का यह कथन बिलकुल ठीक नहीं है कि हमने इस या उस व्यक्ति से और इस या उस दल की राय नहीं ली है। स्पष्ट ही है कि हमने प्रत्येक

---

†मूल अंग्रेजी में।

व्यक्ति से परामर्श नहीं किया है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमने कांग्रेस दल के बाहर के व्यक्तियों और दलों के साथ भी कई बार परामर्श किया है। वे स्वयं इस बात को मानते हैं। मुझे स्वयं एक से अधिक बार इन विषयों के सम्बन्ध में उनसे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि हमने किसी से भी परामर्श ही नहीं किया।

इसके सम्बन्ध में जो भी उत्तेजना पैदा हो चुकी है, उससे जरा अलग हटकर हमें इस विषय पर विचार करना चाहिये। यह एक बड़ा साधारण सा विषय था। किसी भी अन्य विचार से नहीं, बल्कि इस विचार से यह एक साधारण विषय था कि यह एक अ-राजनीतिक और गैर-आर्थिक विषय है। देश बड़े-बड़े राजनीतिक और आर्थिक मसलों के प्रति चिन्तित है। यह न तो कोई बड़ा राजनीतिक मसला था और न ही कोई बड़ा आर्थिक मसला था। यह एक भावना प्रधान मसला था जिससे बहुधा उत्तेजना फैल जाती है। हम इसे मानते हैं। हमें उस भावना को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिये। ठीक है। लेकिन यदि दो भावनाओं में संघर्ष होता है तो वहां कठिनाई उत्पन्न हो जाती है ; और हमें इन परस्पर विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ा था।

अब, दूसरी बात यह कि हमें इस विषय में किस आधारभूत नीति का पालन करना चाहिये। कांग्रेस द्वारा आरम्भ से ही, सदा यह बात कही गयी है कि इस विषय में हमारा सर्वप्रथम, और एक-मात्र सर्व प्रथम विचार भारत की एकता और भारत की समरसता का ही होना चाहिए। कांग्रेस न अभी गत चार, पांच या छैः वर्षों में इस बात को दोहराया है, और मैं समझता हूं कि लोक-सभा भी अवश्यही इससे सहमत होगी। यदि यह ठीक है, तो हमें प्रत्येक तर्क को इसी दृष्टिकोण से जांचना चाहिये। दूसरी बात यह होगी कि भारत के या उस स्थान विशेष के आर्थिक लाभ को देखा जाये। ये दो बातेंही आधारभूत हैं, और शेष सभी विचार इसके बाद आते हैं।

गत कुछ माहों में हमने देख लिया है कि इस प्रश्न से किस प्रकार उत्तेजना पैदा हो जाती है, किस प्रकार एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी पर आक्रमण कर बैठता है, किस प्रकार एक भाषावार क्षेत्र दूसरे भाषावार क्षेत्र के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। इसके लिये हम सभी दोषी हैं कोई भी इस से मुक्त नहीं है। हम यह देख चुके हैं। हमने जो कुछ भी देखा है वह एक खतरनाक चीज है, बुरी चीज है। मुझे आशा है कि किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया है। उसे प्रोत्साहित करना तो दूर। उसे निरुत्साहित करने के लिये हमें प्रत्येक संभव प्रयास करना चाहिये।

यदि मैं अपनी बात कहूं, तो मैं इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भाषावार राज्यों का यह विचार हमें एक खतरनाक दिशा में ले जाता है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है हमें उसे बिल-कुल ही त्याग देना चाहिये ; मेरा विचार यह नहीं है। लेकिन, शुद्ध रूप से भाषावार प्रान्त बनाने और बिलकुल ही "स्पष्ट" सीमायें निर्धारित करने की बातें भारत की एकता के विचार के महत्व को कम करती हैं। कहा जाता है कि भाषावार प्रान्त बनाने से समुदाय सामाजिक रूप से समरस बन जाते हैं। मैं इसे मानता हूं और इसीलिये मैं भाषा को महत्व भी देता हूं। लेकिन मैं भाषा के महत्व तथा उस स्थान की संस्कृति और एक राज्य की भौतिक सीमा, इन दोनों के बीच विभेद भी करता हूं। मेरे विचार से इन दोनों को अलग-अलग ही रखा जाना चाहिये।

अतः हमने जो कुछ देखा है उस से हमें भारत की एकता की मूल कल्पना के सम्बन्ध में सन्देह हो गया है। हमने देखा कि कितनी सरलता से इसे नष्ट किया जा सकता है और लोग महत्व-पूर्ण बातों को भूल कर अन्य विवादों के पीछे कैसे भागने लगते हैं। इसलिये मैं अब पहले से भी अधिक ऐसे छोटे राज्यों के जो केवल अपने ही दृष्टिकोण से सोचते हैं और बड़े मामलों को भूल जाते हैं, बनाये जाने का विरोध करता हूं। आज से २० वर्ष पूर्व मैं भारत के अधिक से अधिक छोटे राज्यों के बनाये जाने के पक्ष में था, परन्तु अब मैंने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है और मैं बड़े राज्यों के अस्तित्व में विश्वास करता हूं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और भी बहुत सी बातें हैं; इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि मैं उनमें विश्वास करता हूं या नहीं; परन्तु मैं चाहता हूं कि लोक सभा सदैव और विशेषकर इस समय प्रत्येक बात पर, समूची विश्व स्थिति, भारत की अवस्था, हमारे औद्योगिक विकास और पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए विचार करे जिस से कि भारत की एकता बनी रहे और हमारी पंचवर्षीय योजना का काम शान्तिपूर्वक चलता रहे। बाकी सब बातें बाद में आती हैं। इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि हमारी सीमायें कहां तक हैं। यदि हम अपने औद्योगिक विकास में कोई वास्तविक प्रगति नहीं करते हैं, तो सीमाओं से वह प्रगति नहीं हो सकेगी। यदि हम ऐसा करने पर तुले हुये हैं, और यदि हम इन मामलों पर तर्क वितर्क करते हैं और गली कूचों में झगड़े करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि न तो देश में और न ही बाहर हमारा आदर होगा और न ही हम स्वयं अपना आदर कर सकेंगे।

अतः सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम देश में ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें मुक्त तथा स्वतंत्र रूप से चर्चा की जा सके। विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त किया जा सके, प्रत्येक प्रकार के वाद विवाद और तर्क वितर्क हो सकें परन्तु यह सब कुछ शान्तिपूर्वक होना चाहिये इस प्रकार से नहीं जैसे कि अब हो रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। इस प्रश्न के गुणावगुण चाहे कुछ भी क्यों न हों, मतवैभिन्य चाहे किसी प्रकार का हो, परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं चाहता हूं कि लोक सभा इस पर विचार करे। यह जो बलात् प्रचार किया जा रहा है कि यह कार्यवाही हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का विस्तार मात्र ही है, बिल्कुल गलत है। किसी साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला करना और बात है, और वह मुकाबिला भी हमने शान्तिपूर्ण साधनों से किया था, परन्तु यह और बात है। जिस प्रकार के 'सत्याग्रह' का दुरुपयोग किया जा रहा है उस में और महात्माजी के सत्याग्रह में भूमि और आकाश का अन्तर है।

लोग जेल जा रहे हैं।यह एक मजाक है—हजार व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये जाते हैं और एक घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि कुछ घंटों की कैद से शहीदों में नाम हो जाना एक मजाक ही है। इस से क्या होगा? क्या हम अपने देश को संसार भर के मनोरंजन के लिये एक विदूषक बनाना चाहते हैं? पंजाब के लोगों का झंडे लेकर आना और बलपूर्वक उन्हें इंजनों पर लगा देना और इंजन चालक को धमकियां देना यह सब क्या हैं—यह सब क्या हो रहा है। क्या यह अन्य लोगों के विनोद के लिये किसी नाटक का अभिनय किया जा रहा है या कोई गम्भीर कार्य है?

माननीय सदस्य श्री नि० चं० चटर्जी ने किसी स्थान पर बम्बई और पंजाब प्रान्तों के बारे में दिये गये मेरे किसी वक्तव्य का उल्लेख किया। मैं उन्हें बता दूं कि यह मेरा अटल विश्वास है कि जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, वहां हिन्दू महासभा ने बिना किसी आधार के जो आन्दोलन किया वैसा शरारतपूर्ण और बेहूदा काम मैंने कहीं और नहीं देखा। मैं अपनी राय व्यक्त करने का साहस करता हूं। भारत के शेष भागो में जैसे कि गुजरातियों अथवा महाराष्ट्रीयनों अथवा कन्नड लोगों के सहमत अथवा असहमत होने या न होने के कोई कारण हो सकते हैं, परन्तु जहां तक कि पंजाब के आन्दोलन का सम्बन्ध है, उसमें शरारत के अतिरिक्त लेशमात्र भी युक्ति नहीं है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** वे राज्य पुनर्गठन आयोग की योजना को पूर्णतः कार्यान्वित किये जाने की मांग कर रहे है। क्या वह शरारत पूर्ण और बेहूदा बात है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा अभिप्राय यह है कि आन्दोलन करने का यह तरीका, इसका उद्देश्य, उसकी पृष्ठभूमि, इन सभी बातों के केवल दो ही आशय हो सकते हैं, या तो यह कि आन्दोलन करने वाले यह समझे ही नहीं हैं कि वह सूत्र क्या हो या समझने पर भी वे कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कि मेरे विचार से, बिल्कुल गलत है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

फिर भी हम अपनी यात्रा के अन्त तक पहुंच गये हैं। मैं या अन्य कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भारत की प्रत्येक समस्या का यही सर्वोत्तम अथवा एकमात्र हल है। ऐसी बात नहीं है। किसी भी समस्या का कोई आदर्श हल नहीं होता है। परन्तु आप ऐसे मामलो का निबटारा किस प्रकार करते हैं? काफी बिलम्ब के बाद आप किसी परिणाम पर पहुंचते हैं, और संसद् उस पर अपनी मुहर लगा देती है। जब संसद् का निर्णय हो जाता है—और मुझे विश्वास है कि यह निर्णय कर देगी—तो वह देश की विधि बन जाता है।

यदि हम इसी प्रकार दिन प्रति दिन लड़ते झगड़ते रहे तो देश का क्या होगा? क्या सभ्य राष्ट्र इसी प्रकार बर्ताव करते हैं? क्या शिष्ट राजनीति इस प्रकार से चलाई जाती है? यदि कोई व्यक्ति संसद् को अपने दृष्टिकोण से सहमत नहीं करा पाता तो वह उस मामले को गलियों और कूचों में ले जाता है और प्रदर्शन कराने लगता है। यह एक विशाल देश है। सभा को स्मरण रहना चाहिये कि किसी प्रदर्शन का यह अर्थ नहीं होता कि सारी जनता उसके खिलाफ है। जब भी बहु-संख्यक वर्ग कोई कार्य करता है तो प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग प्रदर्शन कर सकता है। इस का यह अर्थ नहीं है कि जनता इसके खिलाफ है। जनता की राय जानने का एकमात्र साधन सामान्य निर्वाचन में अथवा किसी अन्य निर्वाचन में या किसी अन्य तरीके से दिये गये मत होते हैं। किसी अन्य तरीके से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी तरीके से मत प्राप्त किये जा सकते हैं। परन्तु इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर और हिंसात्मक रूप से मैं शान्तिपूर्ण ढंग से राय व्यक्त किये जाने के बारे में नहीं कह रहा हूं—संसद् के निर्णय को चुनौती देना लोकतंत्र की कल्पना और कार्य-प्रणाली के सर्वथा विरुद्ध है।

दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्य ने इस सरकार द्वारा लोकतन्त्र का दमन किये जाने की बात कही। मैं नहीं जानता कि लोकतन्त्र के बारे में उनकी धारणा क्या है। वह धारणा निश्चय ही लोकतन्त्र की सामान्य धारणा से बिल्कुल विभिन्न होगी। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिन्दू महासभा जैसे संगठनों के संचालन से लोकतन्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं है।

हम एक मंजिल पर पहुंच गये हैं और शीघ्र ही हम इसे पार करके दूसरी मंजिल पर पहुंच जायेंगे। हम लोग सभा को इस सरकार को और प्रत्येक सदस्य को स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिये कि पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात् किये गये विनिश्चय को हमें स्वीकार कर लेना चाहिये। मुझे पता चला है कि मेरे सहयोगी श्री गडगील ने कहा कि वह इसका विरोध करते रहे हैं, अन्त तक उन्होंने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ मत भी दिया। परन्तु तो भी उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया जाता है और यह स्वीकार्य होता है तो वह भी इसे स्वीकार करते हैं। साधारण स्थिति में उन्हें कुछ न कुछ कहना ही होता है और वह उन्होंने कह दिया है। वह इसे स्वीकार करते हैं। मेरा निवेदन है कि किसी मामले का निबटारा करने का यही तरीका है। यदि संसद् कोई विनिश्चय करती है तो उसे स्वीकार करके कार्यान्वित किया जाये। यदि किसी का अन्तःकरण उसे स्वीकार न करे—मेरे विचार से किसी जिले या राज्य की सीमा का अन्तःकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता है चाहे राज्यों या जिलों की सीमाओं से अधिक गहरे मामलों का अन्तःकरण का कोई सम्बन्ध हो—तो उसके अन्तःकरण को रुचे वह करे। परन्तु अन्तःकरण हिंसात्मक कार्य करने के लिये कैसे बाध्य करता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसी कारण से इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। अहमदाबाद में क्या हो रहा है? वहां भीड़ के आक्रमण का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो निर्णय हमने किया है वह उन लोगों को पसन्द नहीं आया है।

पहली बात तो यह कि कई मास तक वाद विवाद करने, व्यक्तिगत चर्चा करने और इस प्रश्न के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किये जाने के पश्चात् हमने यह विनिश्चय किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० क० गोपालन** : यह विनिश्चय २४ घंटे के अन्दर किया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह विनिश्चय २४ घंटे के अन्दर नहीं किया गया था। मैं अपने माननीय मित्र को याद दिला दूं कि इसका सदा उल्लेख किया जाता था। उनका यह कहना ठीक है कि एक अन्तर्कालीन विनिश्चय को बदल दिया गया था। यह ठीक है, परन्तु प्रश्न यह नहीं है। हमने एक विनिश्चय किया है और अब अहमदाबाद या कलकत्ता या मद्रास या इलाहाबाद के लोग बिना किसी प्रकार का विचार किये अथवा उस लम्बे वाद विवाद को पढ़े जो यहां होता रहा है केवल अपनी भावनाओं के आधार पर इसे गलत समझ रहे हैं। यह लोकतन्त्र के अथवा किसी कार्य को करने के युक्तियुक्त तरीके के एकदम प्रतिकूल है। इस प्रकार संसद् का कोई महत्व ही नहीं रह जायेगा। मान लीजिये कि यदि पुलिस प्रदर्शन करने वालों को सदन के बाहर न रोकती; वे अन्दर आकर आपके पास बैठ जाते और आपको धमकी देते। संसद् इस दशा में कैसे कार्य करेगी? निस्सन्देह पुलिस ने उन्हें रोका, और उन्हें रोकने में उसे बल से काम लेना पड़ा। गिरफ्तार किये गये लोगों की स्वाभाविक भावनाओं को दबाने अथवा पुलिस द्वारा किये गये बुरे बर्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी। यह कोई उचित तरीका नहीं है। इस सभा के पूर्ति आदर प्रकट करते हुये मैं प्रधान मंत्री या कांग्रेस दल के सदस्य की हैसियत से नहीं—यद्यपि मुझे गत ४० या ४५ वर्ष से कांग्रेस में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है—परन्तु लोक सभा का एक सदस्य होने के नाते मैं सब बातें लोक सभा, संसद्, लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया, भारत और राष्ट्र की गरिमा को बनाये रखने की इच्छा से यहां कहता हूं; और मैं जानता हूं कि आप सब को और प्रत्येक भारत निवासी को इनका ख्याल है। हम गलतियां कर सकते हैं परन्तु आप उन्हें गलत तरिकों से, साधनों से और गलत कार्य कर के ठीक न करें। आपको इस देश का निर्माण करना है और उसके लिये प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्नों की आवश्यकता है। इसके लिये वाक स्वातन्त्र्य, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, विरोध करने की स्वतन्त्रता और ऐसी ही अन्य बाते अपेक्षित हैं। परन्तु यदि गली मुहल्लों में हिंसात्मक घटनायें होती हों तो वाक स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता रह ही नहीं जाती है। इसे वाक स्वातन्त्र्य नहीं कहा जा सकता है। पंजाब में क्या हो रहा था? एक व्यक्ति को किसी बैठक में जाकर भाषण देना था। बीस या तीस उपद्रवियों ने उसे बोलने से रोका। ऐसा करना वाक स्वातन्त्र्य को समाप्त करना है, यह अनुचित है। सरकार द्वारा दमन करना भी गलत है और वाक स्वातन्त्र्य को कुचलना भी उतना ही बुरा है। यह दोनों बातें बुरी हैं। शासन को विनियमित किया जा सकता है; परन्तु लोकप्रिय अभिव्यक्ति को विनियमित नहीं किया जा सकता है। और जब कोई उत्तरदायी नहीं होता तो यह सब से ज्यादा खराब बात होती है।

इस लिये मैं लोकसभा से, जिसमें बुद्धिमत्ता से कार्य करने की क्षमता है, और जनता से अपील करूंगा कि इन हिंसात्मक साधनों को केवल इस लिये नहीं कि यह बहुत बुरे हैं बल्कि इसलिये भी कि भविष्य में हमारे सहयोग में यह अड़चन पैदा करेंगे, छोड़ दिया जाये। जब तक कि हम एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे जब तक तामिल, तेलगु और कन्नड़, मलयाली और मराठी और गुजराती और बंगाली और पंजाबी आदि एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम इस देश मे कार्य नहीं कर सकते। इन झगड़ों से लोगों का एक दूसरे को सहयोग देना कठिन हो गया है। इस से एक विचित्र वातावरण बन गया है। अब चाहे यह ठीक है या गलत हमें चाहिये कि हम इसे समाप्त करके सहयोग का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश करें।

†**श्री केलप्पन** (पोन्नानी) : यह बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने बम्बई की समस्या को हल कर दिया है : सरकार ने अपनी गलती को सुधारने में जो साहस दिखाया है उसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं। सब से बड़ी गलती तो यह हुई कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया और फिर एक के बाद दूसरी गलती होती ही चली गई। बेहतर होता यदि इस प्रश्न को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री केलप्पन]

भारत एक ही राज्य है और इसकी संस्कृति, दर्शन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक जैसा ही है। व्यास, वाल्मीकि, भगवान बुद्ध और श्री शंकराचार्य समूचे भारत के गुरु थे। इस प्रकार की अखंडता आप को किसी अन्य देश में नहीं मिलेगी। विदेशी शासन से यह सम्बन्ध ढीले पड़ने लगे थे और एक भाषा भाषी राज्यों की स्थापना किये जाने पर तो सर्वनाश की यह क्रिया पूर्ण ही हो जाती परन्तु इसे रोक दिया गया है और मुझे आशा है कि बहुभाषा भाषी राज्यों की स्थापना से भारत की एकता बनी रहेगी।

बहुत सी भाषायें होने पर भी हमारा देश एक ही राष्ट्र है, एक दक्षिणी राज्य है जिसमें कन्नड़, तेलगु, तामिल और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिये।

मैं लोक सभा का ध्यान एक ऐसे तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह संसद् भारत का एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न विधान मंडल है और इस निकाय के निर्णय को पत्थर फेंक कर और राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट करके नहीं बदला जा सकता है। यदि उसे बदलना ही हो तो राष्ट्र और मतदाताओं से अपील की जानी चाहिये। इसे बदलने के लिये बम्बई और अहमदाबाद के गली कूचों में उपद्रव करना लोकतन्त्र को नष्ट करने जैसा है।

विद्यार्थियों के व्यवहार पर नेताओं को ध्यान देना चाहिये। यह ठीक है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में विद्यार्थी राजनैतिक प्रचार करते रहे हैं परन्तु उस समय हम दासता में जकड़े हुए थे। परन्तु स्वतन्त्र भारत में विद्यार्थियों को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग न लेते हुए अपनी शिक्षा में रुचि लेनी चाहिये। सरकार के निर्णयों को बदलने के लिये हिंसात्मक कार्यवाहियां करना उनका काम नहीं है। कालिजों में भी उनका व्यवहार और भी आपत्तिजनक रहता होता है और परीक्षा भवन में वे रिवाल्वर आदि लेकर जाना और निरीक्षकों को धमकाना एक ऐसी बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हमें इस पर विचार करके स्थिति को सुधारना होगा।

देश की एकता को दृढ़ बनाने के लिये सरकार जो कुछ कर रही है मैं उसका समर्थन करता हूं और केरल राज्य के प्रति जो अन्याय हुआ है उसके विषय में इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

†**श्री चि० द्वा० देशमुख** (कोलाबा): विचार अवस्था के बाद, विधेयक का अब जो रूप निकला है, उसके और विशेष कर उस संशोधन से जिस के कारण बम्बई का नया राज्य बनाया गया है, मैं काफी संतुष्ट हूं। किन्तु मुझे यह कहना पड़ेगा कि क्षेत्रीय परिषदों से बहुत अधिक आशा नहीं की जा सकती है। इन परिषदों द्वारा उसी प्रक्रिया को, जिस का प्रयोग अब भी विभिन्न राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा करने के लिया किया जाता है, केवल वैधानिक रूप दे दिया गया है। मेरी राय में वर्तमान प्रक्रिया अधिक उपयोगी है।

यदि इन परिषदों के गठन को देखा जाये, तो मालूम होगा कि सामान्यत: इन में दोनों पक्षों के तीन तीन मंत्री होंगे और अध्यक्ष संघ मंत्री होगा। इस से संघ मंत्री की स्थिति एक मध्यस्थ जैसी हो जाती है। उसे कुछ असुविधा भी होगी क्योंकि एक बार निर्णय कर लिये जाने के बाद भी बहुत से मामलों में क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को भेजी जायेंगी तथापि में आशा करता हूं कि इस व्यवस्था से सभी संतुष्ट रहेंगे।

सीमान्त विवादों के बारे में स्थिति को अस्पष्ट ही छोड़ दिया गया है और मैं इससे चिन्तित हूं। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि इन विवादों को सम्बन्धित क्षेत्रीय परिषदों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। किन्तु मुझे यह खेद है कि इस बात का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है कि सभापति सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर कार्यवाही करेगा और न ही यह प्रकट होता है कि वे प्रत्येक विवाद को अन्तिम निर्णय के लिये केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करने के लिये तैयार होंगी। इस लिये मुझे भय है कि अधिकतर सीमान्त विवाद अनिर्णीत ही रह जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री चि० द्वा० देशमुख]

इस व्यवस्था से लगभग चार करोड़ व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार में यदि वर्तमान सिद्धांत को ही संशोधित कर लिया जाये, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या काफी कम की जा सकती है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि दर आयोग द्वारा जिस सूत्र का सुझाव दिया गया था वह सब से अच्छा सूत्र है और यदि दोनों पक्ष सहमत न हों, तो मामलों को उसी स्थिति में रहने दिया जाये जिसमें कि वे आज हैं। इस सूत्र का उल्लेख राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ १२ की कंडिका ६३ में किया गया है। इस सूत्र के अनुसार बेलगांव के मामले को लेते हुए...

†**श्री वेंकटरामन्** (तंजोर) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में। नियम १३२ में तृतीय वाचन केसमय चर्चा के क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने आरम्भ में कहा था कि वह विधेयक के वर्तमान रूप के पक्ष में हैं। किन्तु वह अब खंडों के विस्तार में जा रहे हैं। विधेयक के तृतीय वाचन में इस प्रकार की चर्चा करना नियमानुकूल नहीं है।

†**श्री चि० द्वा० देशमुख** : मैं यह कह रहा था कि यद्यपि मैं विधेयक के पक्ष में हूं, तथापि क्षेत्रीय परिषदों सम्बन्धी उपबन्धों के बारे में मुझे आशंका है, क्योंकि इन के सम्बन्ध में उचित सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये गये थे। यदि सीमा आयोग सम्बन्धी संशोधन संख्या ४९० को स्वीकार कर लिया गया होता, तो ऐसा किया जा सकता था। अब मैं यह कह रह था कि दर आयोग.....

†**अध्यक्ष महोदय** : तृतीय वाचन की अवस्था में सीमा आयोग को आवश्यकता और दर आयोग के प्रतिवेदन पर सविस्तार चर्चा करना उचित नहीं है। इस अवस्था में विधेयक पर केवल सामान्य रूप से चर्चा की जा सकती है।

†**श्री चि० द्वा० देशमुख** : मैं केवल यह प्रयत्न कर रहा हूं कि उन लोगों की जो बम्बई के बारे में इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, यह समझाया जाये, कि यह व्यवस्था सभी के हित में हैं। यदि आप समझते हैं, कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री कामत** : आप ने प्रधान मंत्री को सभी प्रकार की बातें कहने दी थीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने सभी प्रकार की बातें नहीं कही थीं। उन्होंने कहा था कि जब सदन में एक निर्णय कर लिया जाये, तो उसको रद्द करने का यह तरीका नहीं है। जब एक विधेयक को क्रियान्वित करने के लिये ही पारित किया जाता है, तो कोई माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता कि वह इसे कार्यान्वित नहीं करेंगे।

†**श्री चि० द्वा० देशमुख** : यदि वे लोग जो आपत्ति कर रहे हैं, यह समझ जायें कि उनकी आपत्तियां निराधार हैं, तो इसे क्रियान्वित करना और भी आसान हो जायेगा। मेरे विचार में हमें इस प्रश्न को, कि कोई राज्य एक भाषीय हो या द्विभाषीय हो, अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिये। हम केवल यही देखना चाहिये कि संसद् द्वारा की गई कोई व्यवस्था विशेष उन के हित में हो सकती है या नहीं।

इस दृष्टिकोण से देखते हुये, मुझे विश्वास है कि बम्बई का नया राज्य बनाने की जो व्यवस्था की गई है, वह राज्य के सभी भागों के हित में है। इसी बात को मानते हुए, मैंने आयोग को यह सुझाव दिया था कि भारत में कम से कम एक प्रमुख द्विभाषीय राज्य तो होना ही चाहिये। लोगों की प्रतिक्रियाओं का पता इस बात से चलता है कि मुझे बहुत से तार प्राप्त हुए हैं, जिन में बम्बई के नये द्विभाषीय राज्य का समर्थन किया गया है। यह सच है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में कुछ लोगों को आशंकायें हैं किंतु इन अल्पसंख्यकों की आशंकायें एक दूसरे की आशंकाओं से दूर हो जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उस हल को अच्छा नहीं कहा जा सकता जिसे केवल एक पक्ष ही अपनी विजय समझे। केवल किसी दल विशेष की सफलता को संतोषजनक व्यवस्था की सफलता की कसौटी नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रीय हितों का विकास भी उतना ही आवश्यक है। इस लिये मुझे संतोष है द्विभाषीय बम्बई राज्य ही प्रस्तुत समस्या का उचित हल है। बम्बई नगर अब अपने द्वार सभी के लिये खोल सकता है; जैसा कि वह अब तक करता रहा है और हमें भी यह संकल्प कर लेना चाहिये कि विभाजन की बात कभी नहीं सोचेंगे। मुझे विश्वास है कि यह व्यवस्था अवश्य सफल होगी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मुझे प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब कि मत भेद होने की स्थिति में उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करने और हमें विश्वास दिलाने की बजाय ऐसी बातें कही हैं। परन्तु मुझे हर्ष है कि उन्होंने एक बात तो मान ली है कि आज का कांग्रेस दल १९४७ के कांग्रेस दल से सर्वथा भिन्न है और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के सिद्धान्तोंपर आधारित नहीं है। लोग कम से कम इस नई स्थिति को तो समझ गये हैं। गुजरात और अन्य स्थानों पर इसी कारण कुछ घटनायें हो रही हैं।

आजकल देश की स्थिति क्या है? देश में निराशा की भावना क्यों है? जनता को विश्वास था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जायेगा, क्योंकि कांग्रेस दल का पिछले ४० वर्षों से यही सिद्धान्त रहा है। अब जब कि उसने अपनी नीति बदल दी है, लोगों में निराशा होना स्वाभाविक है और इस निराशा के कारण ये दुखद घटनायें हुई हैं।

इस समय जब कि यह विधेयक पारित किया जा रहा है, हम नहीं कह सकते कि गुजरात और अन्य स्थानों पर कितने व्यक्ति न मारे गये होंगे। देश के हजारों व्यक्ति इस से चिन्तित हैं। क्या वे सब समाज विरोधी बन गये हैं? क्या गुजरात की समस्त जनता समाज विरोधी है?

जहां भी नये राज्य बनाये जा रहे है, वहां निराशा है। केरल राज्य के बनाये जाने पर कहा जाता है कि चूंकि वहां की विधान सभा को विघटित कर दिया गया है, इस लिये कुछ नहीं किया जा सकता है। तामिलनाड और कर्नाटक की जनता भी संतुष्ट नहीं है। सीमान्त विवादों को नहीं निपटाया गया है और न ही इन विवादों का निपटारा करने के लिये सीमान्त आयोग ही नियुक्त किये गये हैं। उन स्थानों पर भी जहां राज्य अधिकतर भाषा के आधार पर बनाये गये हैं, लोग प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि उस सिद्धांत को जो इतने वर्षों से अपनाया जाता रहा है, क्रियान्वित नहीं किया गया है। यदि कांग्रेस को अपनी नीति बदलनी थी, तो उसे पहले लोगों को संतुष्ट करके इस पुनर्गठन के कार्य को करना चाहिये था।

हमने सदा ही यह कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। प्रधान मंत्री ने संसद् को चुनौती दी है। यह संसद् को चुनौती देने का प्रश्न नहीं है, सरकार को चुनौती देने का प्रश्न है। यह कहना कि जब बहुसंख्या ने एक ऐसे विधान को पारित कर दिया है, जिसे हम ठीक नहीं समझते तो भी हमें उस पर कायम रहना चाहिये और उसे क्रियान्वित करना चाहिये। यह तर्क उचित नहीं है। लोकतंत्र में अल्प संख्यकों को भी जनता को प्रभावित करके उसे संगठित करने और गलत कार्यवाही को ठीक कराने का अधिकार है। किन्तु हमसे कहा जाता है कि यह चुनौती है।

सीमा आयोग के प्रश्न को लीजिये। अधिकांश सदस्य यह अनुभव करते हैं कि यह आयोग अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिये और क्षेत्रीय परिषदों को यह शक्ति नहीं दी जानी चाहिये। इससे संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। भाषावार अल्पसंख्यकों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिये संविहित संरक्षणों की मांग की गई थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र की जनता की मांग यह थी कि बम्बई को मिलाकर संयुक्त महाराष्ट्र बनाया जाये क्योंकि उसका ख्याल था कि कांग्रेस के सिद्धान्त के अनुसार बम्बई महाराष्ट्र को मिल जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० क० गोपालन]

अगले दिन यह घोषणा की गई कि द्विभाषीय राज्य बनाया जायेगा। इस घोषणा के बाद हजारों लोगोंने, विद्यार्थियों, श्रमिकों और अन्य लोगों ने, यह मांग की कि उन्हें महागुजरात चाहिये, द्विभाषी राज्य नहीं। हम ने यह कहा था कि जनता की इच्छाएं मालूम की जायें, क्योंकि इस के बिना कोई अच्छा हल नहीं निकाला जा सकता था। यदि आप समझते हैं कि जनता आप के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, तो आप कम से कम उन्हें यह समझाने का प्रयत्न तो करें कि वर्तमान परिस्थितियों में द्विभाषीय राज्य ही सब से अच्छा हल है। ऐसा नहीं किया गया, निर्णय को सहसा बदल दिया गया और लोगों को कोई समय नहीं दिया गया, जिस में वे अपनी सन्तुष्टि कर सकें कि यही हल सबसे उत्तम है और इसे ही अपनाना चाहिये। इसकी बजाय एक चुनौती और धमकी दी गई है।

हम ने इस का विरोध किया है और जब कल इस निर्णय का जनता द्वारा विरोध किया जायेगा तो कहा जायेगा कि हिंसा की जा रही है। इसका किसी ने उल्लेख नहीं किया। सरकार के लिये यह कहना ठीक नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र बल्कि हर जगह सैकड़ों, हजारों समाज विरोधी व्यक्ति हैं। क्या सरकार का विचार यह है कि १९४७ से पहले सब विद्यार्थी और अन्य लोग ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक थे और उन के चले जाने के बाद देश के हितों के विरुद्ध कार्यवाही करने लगे हैं? क्या सरकार का यह विचार है कि जो भी आन्दोलन करता है, वह देश भक्त नहीं है? क्या वह यह कहती है कि भाषावार राज्यों के सभी समर्थक समाज विरोधी और देशद्रोही हैं? यदि सरकार बार बार यही उत्तर देगी, तो मुझे कहना पड़ेगा कि सरकार गलती पर गलती करती चली जा रही है।

अभी क्या है जब अल्पसंख्यकों को परित्राण देने का प्रश्न उत्पन्न होगा तो और भी गड़बड़ी मचेगी। इस समस्या का समाधान लाठी या गोली से नहीं किया जा सकता है सरकार को अपनी गलती को मान कर उसे ठीक करना चाहिये।

जिस क्षण संसद् सदस्यों ने/बम्बई के बारे में निर्णय किया और सरकार ने उसे घोषित किया गुजरात की जनता की प्रतिक्रिया इस के विरुद्ध हुई क्योंकि उस के अपने कुछ सिद्धांत हैं। यदि आप उन की भावनाओं की उपेक्षा करेंगे, तो राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित करने से देश का भला होने की बजाय, नुकसान होगा। यदि इस की त्रुटियों को न समझा गया यदि जनता की इच्छाओं का समादर न किया गया, यदि भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण न दिया गया और सीमान्त विवाद का हल न निकाला गया, तो गड़बड़ी होना अनिवार्य है। इस विधेयक से अव्यवस्था फैलेगी और सरकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहेगी। सरकार को या तो जनता को समझाना चाहिये कि उस की नीति ठीक है या देश को इस आधार पर, कि जनता परिवर्तन चाहती है, सरकार को अपनी नीति बदलने पर बाध्य करना चाहिये।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा–दक्षिण) : आज मेरा बोलने का बिलकुल ही कोई विचार नहीं था लेकिन जब मैंने देखा कि गुजरात के बारे में कुछ गलतफहमी इस सदन में फैल रही है, तो मैंने अपना धर्म समझा कि मैं स्थिति को साफ कर दूं। पिछले दो तीन दिनों से हमने गुजरात के साथ बराबर सम्पर्क रखा है और वहां क्या हो रहा है, इसको जानने का बराबर प्रयत्न किया है। हम दिन में दो चार बार टेलीफोन करके स्थिति को मालूम करने की कोशिश करते रहे हैं। मुझे कहना पड़ता है कि इन दिनों वहां पर जो कुछ भी हुआ है, उसमें हमें बहुत शोक है, बहुत शर्म है, बहुत दुःख है। परन्तु मैं यह बात इस सदन को साफ साफ बतला देना चाहती हूं कि इसका नेतृत्व साम्यवादी पार्टी और पी० एस० पी० [प्रजा समाजवादी दल] कर रही हैं। उनके झंडे लेकर ही ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मैं इस बात को भी इस सदन को बतलाना अपना फर्ज समझती हूं कि जो मैमोरेंडम [ज्ञापन] हमने कमीशन को दिया था उसमें साफ-साफ यह लिखा था कि हम बाई-लिंगुअल स्टेट [द्विभाषा-भाषी राज्य] के हक़ में हैं। इस मैमोरेंडम पर दस्तखत करने वाले केवल कांग्रेसी ही नहीं थे बल्कि और दूसरे लोग भी थी और वे भी इस किस्म की मांग करने में हमारे साथ शरीक हुए थे। उसके बाद बड़ी बड़ी आशायें और बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। अब जो परिवर्तन किया गया

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

है, कि कुछ लोगों को उससे थोड़ा बहुत धक्का लग सकता है यह बात समझ में आ सकती है। परन्तु जो तरीका विरोध जाहिर करने का अपनाया गया है, उसको देखकर हमें शर्म आती है और साथ ही साथ दुःख भी होता है। इस बिल का जो अब स्वरूप है, उसको हम ने देश के विशाल हितों को सामने रख कर ही स्वीकार किया है और यही कारण है कि न हमने किसी प्रकार के एश्योरेंसिस [आश्वासन] मांगे हैं और न ही किन्ही सेफगार्डस् [संरक्षण] की मांग की है। हम यह समझते हैं कि हममें उदार दृष्टि वाले सेवा भाव से कार्य करने वाले होंगे जो देश को आगे बढ़ाने में अपना योग दे सकेंगे। यदि हमने इस भावना से कार्य न किया तो हम समझते हैं कुछ भी नहीं हो सकेगा और इस वास्ते इस समय गुजरात में जो कुछ हो रहा है, उससे हमें दुःख पहुंचना स्वाभाविक है। यह कहना कि वे लोग केवल रोष ही प्रकट करते हैं और कुछ नही करते, मैं समझती हूं ठीक नहीं है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस हाउस में जा कर वहां से हमारे चीफ मिनिस्टर [मुख्य मंत्री] की तस्वीर उतार कर जलाई। भला रोष प्रकट करने का यह कौन सा तरीका है। जब हम ने गुजरात के साथ सम्पर्क स्थापित किया तो हमें बतलाया गया कि इस तरह के कार्य करने वाले कुछ एक लोग ही हैं और बाकी तो जलूस ही निकालते हैं। अखबारों में यह छपा है कि ८०,००० स्टूडेंट्स [छात्र] अहमदाबाद में स्ट्राइक [हड़ताल] पर हैं। हमें अब यह देखना है कि असली पोजीशन (स्थिति) क्या है। बाल मन्दिर से लेकर कालेज तक के विद्यार्थी क्लासिस में नहीं गए हैं। अब आप ही बतलाइये कि बाल मन्दिर के या मानटेसरी के जो बच्चे हैं वे क्या इस चीज को समझते हैं? ऐसे मौके पर जो मां बाप हैं वे डर कर तथा सोच विचार करके अपने बच्चों को घर पर ही रख लेते हैं और समझते हैं कि इनको स्कूल भेजना ठीक नहीं है। इस वास्ते बच्चे घर पर ही रहे हैं। मैंने आज बड़ोदा टेलीफोन किया था। मुझे बतलाया गया है कि बड़ौदा यूनिवर्स्टी [विश्वविद्यालय] ने तीन दिन के लिये कालेज बन्द कर दिये हैं और आदेश दे दिया है कि स्कूलों तथा कालिजों के लड़के न तो कोई जलूस निकालें और न कोई सभा ही करें तथा अपने घरों में ही रहें।

इस वास्ते मैं तो केवल इतना ही बतलाने के लिये खड़ी हुई थी कि गुजरात के बारे में जो गलतफहमी पैदा हो गई है कि वहां के लोगों में बड़ा रोष है, यह बिल्कुल गलत है। हां यह बात जरूर है कि जब कोई निर्णय किसी की आशाओं के विरुद्ध कर लिया जाता है तो उससे उसे धक्का अवश्य लगता है। यह बात समझ में आ सकती है। परन्तु सारे गुजरात से सम्पर्क स्थापित करके उनको हमने समझाया है और वे समझ गए हैं कि जो चीज तय की गई है वह देश के विशाल हित में है और हमें इसको हिम्मत के साथ स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**श्री वेंकटरामन्** : इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूं मैं श्री दातार के संशोधन के स्थान पर अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह कन्याकुमारी के संबंध में है।

†**श्री वेंकटरामन्** : जी, हां। मेरा संशोधन है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संशोधनों की सूची संख्या ५० में संख्या ६०७ पर मुद्रित पंडित गो० व० पन्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

पृष्ठ ४, पंक्ति १ और २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(b) the territories comprised in the Agastheeswaram, Thovala, Kalkulam and Vilavancode taluks shall form a separate district to be known as Kanya Kumari district in the State of Madras; and

(c) the territories comprised in the Shencottah taluk shall be included in and become part of Tirunelveli district in the State of Madras."

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वेंकटरामन्]

["(ख) अगस्थीस्वरम्, थोवला, काल-कुलम और विलवनकोडे तालुकों में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों से मद्रास राज्य का एक पृथक् जिला बनेगा जो कन्या कुमारी जिला कहलायेगा; और

(ग) शेनकोत्ता तालुक में समाविष्ट राज्य क्षेत्र मद्रास राज्य के तिरुनेलवेली जिले में सम्मिलित कर दिया जायेगा एवं उसी का अंग बनेगा।"]

इसे मैं उन लोगों की इच्छानुसार ही प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें कि मद्रास राज्य में भेजा जा रहा है। यह अपने लिये अलग जिला प्रशासन चाहते थे और भारत सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है।

विधेयक के सामान्य उपबन्धों का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं, क्योंकि सरकार ने प्रत्यक्षतः एक हल न होने वाली समस्या को हल किया है। कुछ इधर-उधर की घटनाओं के अतिरिक्त, देश ने इस विधेयक को स्वीकार ही किया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही विभिन्न राज्य अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के दावे प्रस्तुत करने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे लोगों में दिग्विजय करने की भावना तीव्र होने लगी हो। देश में गड़बड़ी पैदा हो गयी। परन्तु हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात का श्रेय है कि उसने इस समस्या को हल कर लिया और देश का बहुमत उस हल से सन्तुष्ट हो गया।

कहा गया है कि इस विधेयक के अनुसार बहुभाषी, द्विभाषी और एकभाषी राज्य स्थापित होंगे। यह ठीक है, परन्तु समय के साथ इसकी परीक्षा हो जायेगी। यदि द्विभाषी राज्यों ने अधिक प्रगति दिखाई तो एक भाषी राज्यों को उनसे कुछ सीखना होगा, और यदि यह संपरीक्षा सफल न हुई तो लोग एक भाषी राज्यों को ही पसन्द करेंगे।

इस लिये पिछली बातों को भूल कर और आगे आने वाली छोटी मोटी कठिनाइयों का मुकाबला करने के निश्चय के साथ, आज के वातावरण में परस्पर सद्भावना के साथ, हमें इस विधेयक का परीक्षण करना चाहिये।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह सीमाओं के झगड़ों के निपटारे के संबंध में है। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति और इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व भी मद्रास सरकार और आंध्र सरकार में मतभेद दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे थे। १९५३ में जब आंध्र अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भी यह निर्णय किया गया था कि सीमा क्षेत्रों का निपटारा दोनों पक्ष बातचीत द्वारा कर लेंगे। इस संबंध में काफी प्रगति भी हुई परन्तु जब यह देखा गया कि इस संबंध में झगड़ा केवल मद्रास और आंध्र के बीच ही नहीं है प्रस्तुत दूसरे राज्यों के संबंध में भी है, तो आंध्र सरकार ने बातचीत बंद कर दी और कहा कि जिस सिद्धान्त के अनुसार सारे सीमा संबंधी झगड़े तै किये जायेंगे, उसी प्रकार यह भी तै हो जायेगा। क्षेत्रीय परिषदों के बनने पर भी दो पक्ष परस्पर मिल कर समझौते द्वारा झगड़ा समाप्त कर सकेंगे। राज्य सरकारों को परस्पर झगड़ों को तै करके ही किसी प्राधिकार का विचार मन में लाना चाहिये। यदि आरम्भ में ही यह समझ लिया जाये कि कोई और प्राधिकार भी है तो मामला हल नहीं होता है। यही समझना चाहिये कि मामला हमको ही हल करना है और इन सीमा संबंधी झगड़ों को अधिक बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये।

कल श्री दातार ने राज्य सभा में प्रतिनिधित्व के संबंध में संशोधन प्रस्तुत किया था। संयुक्त समिति में यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था कि कोई सदस्य जहां से भी मतदाता हो उसे उसी राज्य का मात लिया जाय। मद्रास के १८ सदस्यों में से एक दक्षिण कनारा के मतदाता है तो उसे मैसूर राज्य का मान लिया जाये। अब एक संशोधन प्रस्तुत कर सरकार ने इस खंड को हटाने का प्रस्ताव किया है तो इससे दक्षिण कनारा वाले सज्जन पुनः मद्रास के ही प्रतिनिधि हो गये। यह किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है अपितु सिद्धान्त का मामला है। सरकार को इस कार की व्यवस्था करनी चाहिये कि एक राज्य में पंजीबद्ध मतदाता राज्य सभा में किसी दूसरे राज्य का भी प्रतिनिधित्व कर सके।

इस पुनर्गठन का अन्तिम परिणाम यह है राज्यों की संख्या कम हो गयी है। अब १३ राज्य हैं और ४ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्र हैं। यह भी देश की एकता की ओर ही एक पग है। आगे अनुभव प्राप्त करके हम और भी बड़े राज्य बना सकते हैं। हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और इसके लिये इस सदन के सभी भागों का सहयोग प्राप्त होना चाहिये।

अन्त में मैं निवेदन करता हूं विधेयक पर चर्चा के समय तो कुछ गर्मागर्मी थी परन्तु अन्त में सब ठीक हो गया है। कुछ लोगों को छोड़ कर न केवल सदन ही इससे सन्तुष्ट है प्रत्युत सारे देश में भी इसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमने तृतीय वाचन के लिए तीन घंटे रखे हैं और मुझे माननीय मंत्री महोदय को ३ बजे बुलाना होगा ताकि ३–३० पर वाद विवाद समाप्त किया जा सके और इसके बाद गैर सरकारी कार्य को लिया जायेगा। अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

†**पंडित गो० व० पन्त:** विधेयक के इस अंतिम प्रक्रम में मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सभा के समक्ष कोई भाषण दूं। मैं पहले ही सभा का काफी समय ले चुका हूं। और मैं सदन का आभारी हूं कि सभी ने विधेयक को सुधारने में सरकार के साथ सहयोग किया है। जब हम विधेयक के खंडों पर सदन में अथवा संयुक्त समिति में विचारकर रहे थे तो सभी दलगत भेदभाव समाप्त हो गये थे, और सदस्य विधेयक से उत्पन्न होने वाली सदस्ययों पर निश्पक्षता से विचार करने को इच्छुक थे। मैं इस भावना की सराहना करता हूं और विभिन्न दलों द्वारा सदन तथा संयुक्त समिति को जो सहायता मिली है, उसकी मैं प्रसंशा करता हूं।

मूझे खेद है कि कई लोगो के दिलों में इस विधेयक के संबंध में अब भी निराशा पाई जाती है। मैं अपनी जीत अथवा विरोधी पक्ष की हार के दृष्टिकोण से नहीं कहता हूं कि जो सफलता हमने प्राप्त की है, दसमास पूर्व जब कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, इसकी आशा भी नहीं की जा सकती थी। कदाचित् माननीय सदस्यों को याद होगा कि १० अक्टूबर को रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और जहां तक इस सदन का संबंध है आज १० अगस्त को हम प्रायः अपनी यात्रा की अंतिम मंजिल तय कर रहे है। इसे अच्छी तरह से देखना है कि क्या हमारे प्रस्तावों से देश की जनता और विभिन्न राज्यों के निवासी संतुष्ट नहीं हुये है।

दक्षिण से ही आरंभ कीजिये। किसी ने तामिलनाड का उल्लेख किया। क्या तामिलनाड़ के किसी भाग में असन्तोष है ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं।

पंडित गो० व० पन्त : जहां तक मुझे पता है तामिलनाड इस विधेयक के प्रस्तावों से बिलकुल संतुष्ट है। कर्नाटक के बड़े राज्य को लीजिये। यह मैसूर और उसके साथ बंबई और हैदराबाद के कुछ जिलों को मिला कर बनाया गया है। मुझे सचमुच प्रसन्नता है कि इस राज्य का आरम्भ कर्नाटक की जनता की सर्व सहमति से, सब के समर्थन और आर्शीवाद से हो रहा है। क्या कहीं असफलता, क्रोध अथवा असंतोष पाया जाता है ?

अब देखिये केरल को। श्री गोपालन की केरल में विशेष रुचि है। क्या केरल एक अलग राज्य बनने के लिये कभी भी इच्छुक रहा है, अथवा जो कुछ उसे प्राप्त हुआ है, उससे अधिक उसकी कभी इच्छा हुई है ?

†**श्री अ० क० गोपालन :** मैंने तो केवल राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित गो० व० पन्त :** तो असंतोष राष्ट्रपति शासन के संबंध में है न कि पुनर्गठन के बारे में। इसकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर नहीं है, यह तो केरल की जनता की बात है।

†**श्री अ० क० गोपालन :** यह मालाबार की जनता की जिम्मेदारी भी नहीं है, आप उन्हे सजा दे रहे हैं।

†**पंडित गो० व० पन्त :** यदि केरल विधान मंडल के अधिकांश सदस्य सहमत होते तो वह जनतंत्री ढंग से राज्य के प्रसाशन को चला सकते थे। परन्तु वे इस प्रकार लड़ते रहे कि किसी का भी बहुमत न हो सका।

†**श्री अ० क० गोपालन :** कांग्रेसी भी तो परस्पर लड़ रहे है।

†**श्री गो० व० पंत :** कांग्रेस विरोधी दल अपनी विध्वंशात्मक मनोवृत्ति कई बार कांग्रेस पर भी बलात् थोपने में सफल रहे है। पर मुझे इस बात से इस समय कोई सरोकार नहीं है। जहां तक राज्य पुनर्गठन का संबंध है श्री गोपालन संतुष्ट है।

आगे चलिये बम्बई राज्य के पुनर्गठन पर भारी झगड़ा हुआ। गत कुछ महीनों में बम्बई इन सब विवादों का केन्द्र रहा। हम कोई संतोष जनक हल नहीं निकाला सके हैं। अंत में एक हल निकाला गया और जिसके लिये सदन को धन्यवाद दिया जाना चाहिये। यह हल किसी दल का नहीं प्रत्युत समूचे राष्ट्र का है। इसके लिये श्री देशमुख को बहुत से तार प्राप्त हुये हैं, यद्यपि उन्होंने इस खंड के पक्ष में मत नही दिया था। हमें भी विभिन्न पक्षों से इस संबंध में तार प्राप्त हुये है।

†**श्री अ० क० गोपालन :** हमें इसके विरूद्ध तार प्राप्त हुये हैं।

†**पंडित गो० व० पंत :** मेरे विचार में आप विरोध ही करते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि किसी समय इस सदन का वातावरण भी तनाव पूर्ण हो गया था, और बम्बई की समस्या का कोई हल नहीं दिखाई देता था। अब वह तनाव दूर हो गया है और अब सद्भावना से इन बातों को भूल कर अच्छे मित्रों पडोसियों और साथियों की भांति रहने की भावना बढ़ रही है। जो उत्साह और भावना से आज जनता को स्फूर्ति दे रही है उसे मेरे मित्र श्री गाडगील ने भी आर्शीबाद दिया है।

अब राजस्थान को लीजिये क्या वहां राज्य पुनर्गठन के प्रस्तावों के संबंध में कोई असंतोष है ?

महा पंजाब को छोड़िये वह अब छोटा पंजाब भी नहीं है। वहां हिन्दू महा सभा को छोडकर जिसका देश में कोई स्थान नहीं है बाकी सभी पक्ष पंजाब के दोनो बडे सम्प्रदायों में सहयोग की भावना पैदा करने वाली योजना के पक्ष में है। श्री चटर्जी यहां नहीं है। उन्होंने एक बार सुझाव दिया था कि पंजाब के दो उपसंघ बनाये जायें और उन दोनों को मिलाने वाला एक संघ बनाया जाये। क्या वह इस क्षेत्रीय योजना से अच्छा रहता ? मैं उनसे प्रार्थना करुंगा कि वह स्थिति पर विचार करें कि जो कुछ हमने किया है क्या वह उस प्रस्थापना से सौ गुना अच्छा नहीं जिसका कि उन्होंने सुझाव दिया था? इसके बाद वह लोकतंत्र के संबंध में कहते रहे। साथ ही वह यह चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया जाये। उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया क्या उन्हें यह विदित नहीं है कि आयोग के सभापति हिमाचल प्रदेश के विलय के विरुद्ध थे ? क्या उन्हें पता नहीं है कि समूचे हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो पंजाब में उसके विलय का विरोध न करता हो ? तो क्या ऐसा करना लोकतंत्रात्मक कार्यवाही होती? यदि हमनें हिमाचल प्रदेश को वहां की जनता की राय के विरूद्ध बलात पंजाब में विलय कर दिया होता तो क्या हमारा यह कार्य हिमाचल प्रदेश की जनता की इच्छाओं के अनुकुल होता ? लोकतंत्र की यह भावनायें हिन्दूमहा सभा के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती है ? पंजाब के लिये हमने एक ऐसा हल खोज निकाला है जो पंजाब की अधिकांश जनता को संतोष प्रदान करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस के बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश के विशाल राज्य पर। इसका निर्माण सर्व प्रथम किया जा रहा है और इसमें चार राज्यों---मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल और महा कोशल—के राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। क्या इस के विरुद्ध कहीं भी कोई मुन मुनाहट तक सुनी गई है? क्या कोई असंतोष प्रकट किया गया है?

†**श्री अ० क० गोपालन :** गुजरात के संबंध में क्या स्थिति है?

†**पंडित गो० व० पंत :** अब आपने बंबई को छोड़कर गुजरात को पकड़ा है। जो परीणाम निकलेगें उन्हें हम देखेंगे। हमारा विचार था कि आपको बंबई में अधिक रुचि थी।

†**श्री अ० क० गोपालन :** हमें बंबई में अभी भी रुचि है?

†**पंडित गो० व० पंत :** जहां तक गुजरात का संबंध है, गुजरात के नेताओं ने, इस सभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक सदस्य ने, इस प्रस्थापना का समर्थन किया है। क्या श्री गोपालन यह कहेंगे कि यद्यपि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुये सदस्य हैं तथापि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतनिधित्व नहीं करते है? और क्या वह उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये जिस का वह प्रतिनिधित्व करते है, किसी अन्य व्यक्ति को वहां की जनता का प्रवक्ता बनने देंगे? संसद् सदस्य की स्थिति क्या है?

†**श्री अ० क० गोपालन :** द्विभाषी राज्य क्या होता है, यदि उत्तर प्रदेश के सदस्य बंबई संबंधी किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तो मैं भी उस के संबंध में बोल सकता हूं।

†**पंडित गो० व० पंत :** मैं यह नहीं कहता कि आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु आप भाषण दे डालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हैं। जहां तक इस बात का संबंध है, मेरा निवेदन है कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक मामले के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। परन्तु श्री गोपालन ने कहा कि जहां तक गुजरात का संबंध है गुजरात की जनता की राय अभिभावी नहीं होनी चाहिये। इस पर मेरा उत्तर यह है: क्या हमें संसद के उन सदस्यों की राय से जो गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं, कार्य करना चाहिये या उनकी राय से?

†**श्री अ० क० गोपालन :** मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या गुजराता की जनता में कोई विक्षोभ है?

†**पंडित गो० व० पन्त :** जहां तक की गुजराता की जनता की राय का संबंध है, मुझे इस बात से संतोष है कि वह द्विभाषी बंबई राज्य के पक्ष में हैं।

यह केवल इस लिये है कि बहुमत इस प्रस्ताव के पक्ष में है कि अल्प संख्यक जो बहुत थोड़ी संख्या में हैं अपरिपक्व युवकों को भड़काते हैं बहुमत वर्ग को तरह तरह के तरिकों से धमकाते हैं, तथा इस प्रकार बहुमत को अपने उन अधिकारों का उपयोग उठाने में बाधा डालते हैं जो अधिकार कि बहुमत भोगने का अधिकारी है। अन्यथा कोई संविधानिक तरीकों का उल्लंघन करना पसंद नहीं करता है। जिनका बहुमत होता है वह हिंसा पर उतारू नहीं होते हैं। ऐसा केवल इसलिये होता है कि बहुमत न होने पर व्यक्ति असांविधानिक, तथा अलोकतंत्रीय तरीकों तथा हिंसा का सहारा लेता है। इसलिये इससे, यह पता लगता है कि गुजरात की जनता विधेयक में विहित प्रस्ताव के पक्ष में है।

आन्ध्र जो कि अब तक छोटा था अब बड़ा होने जा रहा है। तेलंगाना को मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया जायेगा। क्या आंध्र के विरोध पक्ष का कोई सदस्य इस व्यवस्था से असंतुष्ट है? तब असंतोष किस बातका है। हमने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे इसके पक्ष के लोग इतनी उत्तेजना प्रदर्शित करते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं प्रो० मुकर्जी से कुछ काव्य मय मुहावरे सीखना चाहता हूं परन्तु उन सब को सीखने और समझने में मुझे कई वर्ष लगेंगे। जहां तक मेरा संबंध है मेरा शब्द ज्ञान थोड़ा तथा सीधा है परन्तु मैंने उन्हें उसी आदर से सुना है जिस आदर से किसी प्रो० को सुना जाता है। और भाषा का जो ज्ञान उन्हें हैं उसे देखते हुये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह उन शब्दों पर जिन्हें हम नहीं जानते उतने ही परिचित हैं जितने कि उन शब्दों से जिन्हें हम जानते हैं। श्री चटर्जी ने एक बार कहा था कि उन्होंने धर्म पुस्तकों से उदाहरण दिये थे उन्होंने आज भी कई बार धर्म पुस्तकों के उदाहरण दिये हैं। किस हैसियत से उन्होंने ऐसा किया था यह तो वही जाने।

जहां तक श्री चटर्जी का संबंध है, उनका दावा है कि वह, हम कांग्रेसियों से जो कि कांग्रेस से ५५ वष से संबद्ध हैं, अच्छे कांग्रेसी हैं। उनका दावा है कि वह कांग्रेस आदर्श, कांग्रेस नीती आदि को हमसे अधिक जानते हैं। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं की प्रो० मुकर्जी तथा श्री चटर्जी का मेल हो गया है क्योंकि विरोधी शक्तियां एक दूसरे कि ओर आकर्षित होती हैं, किन्तु जब उनमें परस्पर सम्पर्क होता हैं तब अग्नि पैदा होती है इसलिये जब तक उन दोनो के बीच थोड़ा फासला रहता है तब तक दुघर्टना का कोई भय नहीं है परन्तु यदि वह पास आते जायें तब मुझे भय है कि एक अग्नि भी पैदा हो जायेगी जिसमें कि अग्नि उत्पन्न करने वाली शक्तियां स्वयं भस्म हो जाती हैं। इसलिये उनके एक दूसरे के निकट आने का मुझे आश्चर्य नहीं है। उन्हें केवल भविष्य से तथा आने वाले खतरे के प्रति सावधानता चाहिये।

श्री देशमूख नें कुछ बातें कही मैं उनके तर्कों का विस्तार में तो उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि अभी उसका समय नहीं है परन्तु उन्होंने क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कहा है कि उसमें नम्यता नहीं है। क्या ऐसी परिषद, से भी अधिक नम्य कोई चीज हो सकती है जिसके निर्णय बाध्य नहीं है वरन परामर्श के रूप में हैं? मैं नहीं जानता इसमें क्या कठिनाई है? उन्होंने कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में निहित उन व्यक्तियों के पथ प्रदर्शन के सिद्धांत जिन्हें उसकी समस्याओं को व्यवहृत करना है, बहुत ठोस नहीं है। हो सकता है ऐसी चीज हो। इन मामलों में मैं विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता परन्तु मैं जानता हूं कि श्री देशमुख स्वयं भी इन सिद्धांतों को समान रूप से लागू करने के पक्ष में थे तथा उनके परामर्श के अनुसार ही ये सिद्धांत बेलगाम, करवार, सूपा, हलयाल तथा अन्य स्थानों पर लागू किये गये थे। इसलिये यदि रातो रात हममें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसमें हमारा बहुत दोष नहीं है। हम जिस प्रकार पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं इसलिये मेरे विचार से इतने शीघ्र परिवर्तन करने में कुछ कठिनाई हो सकती है।

इन एक, दो दिनों में, कुछ मित्रों ने बंबई के संबंध में द्विभाषा भाषी सिद्धांत पर कुछ आपत्ति उठाई। हम सर्वदा सही तथा सत्य बात की खोज करते रहे हैं। जब भी हम उसे पा सके तभी हम उसके द्वारा प्राप्त लाभों का उपयोग करने को तैयार हैं। हमारी यही नीति है तथा यही नीति रहेगी। हम किसी व्यक्ति के मरने पर उसके दोष निकालने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तब हम उसकी आलोचना उसके जीवित रहते करते हैं तथा उसके मरने के कुछ वर्ष के बाद नहीं। उसी प्रकार हम अपने निर्णयों का पुनरीक्षण करने को भी तत्पर हैं यदि हमको उसका कोई अच्छा स्थापन्न मिल जाये। हम फासिस्ट नहीं हैं। हमारे प्रधान मंत्री सर्वदा खुले मस्तिष्क से काम करते हैं और मैं समझता हूं कि कोई अन्य व्यक्ति राजनीतिक समस्याओं के संबंध में ऐसे उदार विचार नहीं रखता है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे वह विशेषता प्राप्त नहीं है परन्तु जब भी कभी पुनर्गठन के मामले में, कोई अच्छा सुझाव प्राप्त हुआ, हमने उसे एकदम स्वीकार कर लिया है। अन्ततोगत्वा हम सिद्धांत पर ही चलते हैं और वह यह है। हमें अपनी जनता की सेवा करनी है यदि हमें ज्ञात हो जाये कि हममें कोई गलती है तो हम उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। हमारी प्रतिष्ठा क्या है? एक व्यक्ति अथवा एक दर्जन व्यक्ति की क्या प्रतिष्ठा है? हमें ३८ करोड़ व्यक्तियों की सेवा करनी है। हमारी प्रतिष्ठा हमारी सफलता

पर निर्भर है, चाहे वह संतोषजनक रुप से उनकी सेवा करने में तथा जिन कठिनाइयों को वह इतने दिनों से भोग रहे हैं उनको दूर करने में थोड़ी सफलता क्यों न हो यहि हमारा पथ प्रदर्शन करता है तथा इसी विचार को हम अपने आचार आदि के विनियमन का आदर्श मानते हैं तथा मानते रहेंगे।

अन्य बहुत सी टिप्पणियाँ की गई परन्तु मैं इस समय उन सबके उतर देना आवश्यक नहीं समझता हूं। यह समय, हमारे समक्ष गत सालअथवा आठ मास से प्रस्तुत समस्या पर वृहत रुप से किन्तु शीघ्र विचार करने का है।

बहुत सी कठिनाइयां थीं अंधेरा छाया था। प्रकाश नजर नहीं आता था। सूर्य बादलों में था। परन्तु सौभाग्यवश यह सब समाप्त हो गया है और अब हम आशा तथा विश्वास से नवीन जीवन प्रारंभ कर रहे हैं।

हमारा यह सुझाव या विचार नहीं है कि जो कुछ हमने किया, ठीक है। जीवन के कार्यों में कभी भी पूर्णता नहीं आती है, परन्तु हमारा दावा है कि हमने अपूर्णता कम करने का पूरा प्रयत्न किया है। और मेरा नम्र निवेदन है कि हम अपने प्रयत्नों में सफल हुये हैं।

मैं केवल गुजराती जनता से अपील करुंगा। मैं अपने युवा मित्रो से जो कि भविष्य की हमारी आशा है, अपील करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री के परिश्रम के वांच्छित परिणाम तभी निकलेंगे जब देश के युवक मशाल लेकर आगे बढ़ेंगे तथा प्रगति का मार्ग रोशन करेंगे। इसलिये हमारी आशा युवक हैं यह बड़ी ही असंतोषजनक बात है कि उनको बहकाया जा रहा है। युवक भावुक होते हैं। वे बलिदान के लिये तत्पर रहते हैं। साहस तथा बहादुरी उनकी आदत में शामिल है। इसलिये मेरी आपील है कि वे इस प्रकार के बहकावे में न आयें। यह बड़े दुख की बात है कि गुजरात का सुनाम तथा शौहरत, दो तीन दिन की घटनाओं से कम हो जाये।

किसी को इसका आभास भी नहीं था कि गुजरात की जनता भावनाओंके आधीन आकर लूट, खसोट, तथा आग लगाने आदि पर उतारू हो जायेगी। यह बड़े दुख का विषय है। हमें आशा ह, कि इन दिनों का स्मरण अधिक समय तक नहीं रहेगा तथा इस महान राज्य में हिंसा के कृत्य नहीं दोहराये जायेंगे, क्योंकि हम सर्वदा इसको अहिंसक, उदार तथा मित्रता को रखने वाला मानते रहे हैं।

मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि वे मित्रता, उदारता तथा इसको सफल बनाने के निश्चय से इसका स्वागत करें। संसद ने जो संविधि पारित की है उसको संसद के किसी विशेष दल का नहीं प्रत्युत समस्त सभा का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसलिये एक साधारण अधिनियम से इसका अधिक आदर होना चाहिये। मुझे आशा है यह राज्य पुनर्गठन विधेयक शीघ्र अधिनियम बन जायेगा तथा दावा कर सकेगा कि इसके पीछे समस्त सभा का सहयोग तथा आशीर्वाद है।

अत: इस विधेयक को लागू करने के लिये हमें, रचनात्मक रुप से लग जाना चाहिये तथा इसकी सफलता के लिये हमें उचित वातावरण एक उदारता, भलाई, मित्रता तथा सत्कर्म का वातावरण, देश में उत्पन्न करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि संशोधनों की सूची संख्या ५० में संख्या ६०७ पर मुद्रित पंडित गो० व० पन्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

पृष्ठ ४, पंक्ति १ और २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

---

†मूल अंग्रेजी में।

"(b) the territories comprised in the Agastheswaram, Thovala, Kalkulam and Vilavancode taluks shall form a separate district to be known as Kanya Kumari district in the State of Madras; and

(c) the territories comprised in the Shencottah taluk shall be included in and become part of Tirunelveli district in the State of Madras."

[(ख) अगस्थीस्वरम्, थोवला, काल-कुलम और विलवनकोडे तालुकों में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों से मद्रास राज्य का एक पृथक जिला बनेगा जो कन्या कुमारी जिला कहलायेगा ; और

(ग) शेनकोता तालुक में समाविष्ट राज्य क्षेत्र मद्रास राज्य के तिरुनेलवेली जिले में सम्मिलित कर दिया जायेगा एंव उसी का अंग बनेगा ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : ३–३० म० प० बजने पर में पांच मिनट है । क्या इतने समय में नदी बोर्ड विधेयक समाप्त हो जायेगा ?

†**श्री क० कु० बसु** : सभा पांच मिनट के लिये स्थगित हो जाये और तब गैर-सरकारी विधेयकों को लिया जाये

इसके पश्चात लोकसभा साढ़े तीन बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

लोक-सभा साढ़े तिन बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासन हुये]

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक *

(धारा ८७-ख का हटाया जाना)

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (जिला हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रोसीजोर कोड, १९०८ में और आगे संशोधन करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं बिल को पेश करता हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४९७ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री डाभी द्वारा २७ जुलाई, १९५६ को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी कि भारतीय दंड संहिता, १८६० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय । १७ जुलाई, १९५६ को विधेयक के लिये आवंटित दो घंटों में से ४७ मिनट समाप्त हो चुके हैं ।

---

*भारत के असाधारण गजट, भाग २—विभाग २, दिनांक १०-८-१९५६ में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : उस दिन विधेयक का विरोध मैंने इस कारण किया था कि हमारे देश की ऐसी दशा नहीं ह कि हम समानता के सिद्धांत को लागू कर सकें। सभा में कोई नहीं चाहता कि कोई भी इस सामाजिक अपराध को करे परन्तु हमें अपनी सामाजिक दशा भी देखनी है। हिंदू उत्तराधकार में हमने अवैध बच्चों को पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना है तथा केवल माँ की सम्पति का उत्तराधिकारी माना है।

इसके अतिरिक्त यद्यपि हमारे संविधान में कोई लिंग भेद नहीं माना गया है तथापि आज अपने पछड़ेपन के कारण यह अंतर मौजूद है। इस सभा में ही ५०० सदस्यों में से स्त्री सदस्य कितनी हैं? यह इसलिये नहीं है कि वह योग्य नहीं हैं, प्रत्युत इसलिये है कि हमारी मां तथा बहनों को संसद में आने का समय या उत्साह नहीं है। मंत्रिमंडल में भी केवल एक महिला मंत्री तथा एक ही महिला उपमंत्री।

विधवा विवाह को लीजिये। यह विधि ८० वर्ष पूर्व पारित हुई थी। विधि होनें पर भी कितनी विधवाओं ने विवाह किये? हम इस सामाजिक अवगुण के विरोधी हैं। परन्तु यदि हम समानता का सिद्धांत आगे बढाने चाहते हैं तो हमें अपने समाज तथा देश के वातावरण को ध्यान में रखना होगा। इसलिये मैं श्री डाभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के विधान के लिये अभी समय नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

†**श्री रघुवीर सहाय** :(जिला एटा उत्तर—पूर्व व जिला बदायुं—पूर्व) : श्री डाभी ने सन् १९५२ मे इसी प्रकार का एक विधेयक पुर:स्थापित किया था जिसे बाद में उन्होंने मेरी और श्रीमती जयश्री की प्रार्थना पर वापस ले लिया। इस अवसर पर भी मुझे उनसे इस विधेयक को वापस ले लेने की प्रार्थना करनी पड़ेगी।

श्री डाभी ने इस विधेयक को स्वीकृत कर लेने के लिये बहुत मजबूत कारण दिये हैं। प्रथम उनका कहना यह है कि जब भारतीय दंड संहिता बनाया गया था तो धारा ४९७ को रखने के पर्याप्त कारण थे जिसके अनुसार स्त्रियों को अपराध के दंड से मुक्त कर दिया गया था। अब परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो चुका है और वे कारण अब लागू नहीं होते। दूसरे, अब बहु विवाह की प्रथा समाप्त करके एक विवाह पद्धति लागू कर दी गयी है और तलाक प्रथा भी लागू कर दी गयी है। तीसरे, संविधान में कहा गया है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

जहां तक पहले तर्क का संबंध है, इसमें संदेह नहीं है कि अब परिस्थितियां कुछ बदल गयी है, किन्तु भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने जिन कारणों से वह उपबंध रखा था, वे सभी कारण अभी समाप्त नहीं हुए हैं। यद्यपि हम काफी प्रगति कर चुके हैं, तथापि भारतीय स्त्रियों, विशेषकर गावों में, अभी अशीक्षित हैं, और उनके संबंध में वे तर्क अब भी लागू होते हैं।

यह सच है कि हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने के साथ साथ बहु विवाह पद्धति समाप्त हो चुकी है और तलाक भी प्रचलित कर दिया गया है। परन्तु इस कानून को पास हुये अभी इतना कम अरसा व्यतीत हुआ है कि इतना शीघ्र यह अनुमान लगाना असंभव है कि हमारी सामाजिक प्रथाओं, रीती रिवाजों, और समाज सुधार संबंधी विचारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। उसके लिये हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी।

संविधान के लिंग विभेद न करने के उपबंध के सिलसिले में, मैं श्री डाभी का ध्यान अनुच्छेद १५ (३) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहां गया है कि स्त्रियों और बच्चों के लिये राज्य विशेष विधान बना सकता है। यह उपबन्ध संविधान में इसीलिये रखा गया है कि हमारी स्त्रियों की दशा अभी असंतोषजनक है, वे अशीक्षित हैं और कमजोर प्रकृति की हैं, और इसलिये उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है यदि किसी विशिष्ठ मामले में यह सिद्ध हो जाये कि व्यभिचार की जिम्मेदारी स्त्री पर थी तो अब हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पति उसे तलाक दे सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री रघुवीर सहाय]

यह दंड उसके लिये पर्याप्त है क्योंकि इससे उसकी सामाजिक प्रताड़ना भी हो जाती है। इस दंड के बाद भी उसे जेल भिजवाने के अतिरिक्त दण्ड की व्यवस्था अगर उचित नहीं प्रतीत होती। इन सब बातों के कारण मुझे आशा है कि श्री डाभी अपना विधेयक वापस ले लेंगे।

†**श्री मो० दि० जोशी** (रत्नागिरि) : मेरा संशोधन यह है कि विधेयक पर १० नवंबर, १९५६ तक जनता की राय जानने के लिये उसे परिचालित कराया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्य का संशोधन देखा है किन्तु विलंब से प्राप्त होने के कारण अब उसे स्वीकार करना कठिन है।

इस विधेयक पर पांच सदस्य बोल चुके है। हां यदि सरकार उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा नहीं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं स्वीकार नहीं करता।

†**श्री मो० दि० जोशी** : तो फिर मैं इस विधेयक पर बोलना चाहूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उनकी बारी आने पर उन्हें बुलाया जायेगा।

†**श्री डाभी** (कैरा—उत्तर) : आज चर्चा आरंभ होने से पूर्व ही उन्होंने अपने संशोधन की पूर्व सूचना दे दी थी। क्या उन्हें अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मान लीजिये कि उस पर चर्चा पहले ही हो चुकी हो और केवल उत्तर देना हो तो क्या माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह जनता की राय जानने के लिये उसे परिचालित करवा सकते हैं ? ऐसी बात नहीं है।

चूंकि समय कम है इसलिये माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें। अब मैं पंडित भार्गव से बोलने के लिये कहता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मिस्टर डाभी साहब का बिल पढ़कर मुझको यह ख्याल हुआ कि हमने अपने कांस्टीट्यूशन (संविधान) में जो औरतों और मर्दों की बराबरी का सिलसिला रखा है वह बहुत दूरी तक जाने वाला है। लेकिन जब मैंने दफा (धारा), ८९७ ताजीरात हिन्द को गौर से पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें तो ईक्वालिटी (समानता) की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिये कि डाभी साहब कानून में तरमीम करवाना चाहते है। जनाब अगर दफा (धारा) ४९७ को देखें तो मुलाहिजा फरमावेंगे कि यह एक अजीब तरह की दफा है। इसमें शुरू में ही लिखा है :

> "जो भी किसी ऐसे व्यक्ति से संभोग करे जो कि किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी हो और यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे यह पता है....."

इसमें जो जुर्म दिया गया है उसके साथ जो नामिनेटिव है वह मर्द है। वह ऐसा जुर्म है जिसको आदमी ही कर सकता है, वह ऐसा जुर्म नहीं है जिसको कि औरत भी करें।

†**श्री टेक चन्द** : यह एक तरफा अपराध है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप सब्र कीजिये मैं बतलाता हूं। आज कानून क्या है ? आज अगर एक शख्स, चाहे वह ब्याहा हुआ हो या बिन ब्याहा हुआ हो, किसी दूसरे की बीबी के साथ एडल्टरी करे तो वह मुजरिम है, लेकिन अगर कोई ब्याहा हुआ आदमी किसी अनमैरिड गर्ल (कुंवारी) या विडो (विधवा) के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स (संभोग) करे तो कोई जुर्म नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक मैरीटल रिलेशन्स (वैवाहिक संबंध) का सवाल है यह बीबी के बर्खिलाफ जुर्म है कि एक आदमी वैडलाक (विवाहित अवस्था) में होते हुये भी किसी गैर औरत के साथ जाकर मुजामत (संभोग) कर। लेकिन अभी तक मेरे दोस्त ने ऐसी कोई तरमीम पेश नहीं की है कि जिसमें यह कहत है कि एक औरत और एक मर्द में एक तरह का मुआहिदा है कि जब तक उनकी शादी कायम है एक मर्द दूसरी औरत के पास नहीं जा सकता। लेकिन यह उनका बिल नहीं है। उनका बिल तो यह है कि कोई शख्स जो कि चाहे शादी शुदा हो अगर वह जाकर किसी विडो के साथ या अनमैरिड गले के साथ इंटरकोर्स (संभोग) करे तो कोई जुर्म नहीं है। तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि कोई चीज इक्वालिटी (समानता) की नहीं है। इक्वालिटी के लिहाज से यदि कोई विवाहति स्त्री रंडवे या क्वार से व्यभिचार करे तो जुर्म न होना चाहिये। और फिर क्या जुर्म है? लिखा है:

"उसकी इच्छा अथवा मर्जी के बिना"।

यानि अगर उसके खाविंद की मर्जी हो तो भी कोई जुर्म नहीं है।

श्री त्यागी: अरे क्या बात करते हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: हमारे त्यागी जी को इन रमूज से क्या मतलब उनको क्या खबर कि दुनिया में क्या होता है। लेकिन सेक्शन (धारा) में यह लिखा है। अगर आप को यह चीज पसन्द नहीं है तो इस सेक्शन ४९७ को हटा दीजिये। लेकिन जब तक यह कायम है तब तक तो इसके मानी यही हैं कि एक शादी शुदा औरत के पास जाना उसके खाविंद के खिलाफ जुर्म है, औरत के बर्खिलाफ नहीं है न सोसाइटी के बर्खिलाफ है। तो मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इक्वालिटी का सवाल है दफा ४९७ में ईक्वालिटी का सवाल पैदा ही नहीं होता। और इसका जिक्र न करें तो अच्छा है।

मैं जानता हूं कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार और हिन्दू और मुसलमानों के परसनल ला के अनुसार पुराने जमाने में अगर कोई औरत इस तरह से विहेव करती थी तो उसको सजा दी जाती थी।

†**श्री टेक चन्द**: मृत्यु दण्ड।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अगर आप यह कहते हैं तो मैं आपकी तवज्जह क्राइस्ट साहब की एक मशहूर कहानी की तरफ दिलाना चाहता हूं। एक दफा एक ऐसे शख्स को उनके पास लाया गया और कहा गया कि इस आदमी ने अडल्ट्री (व्यभिचार) का जुर्म किया है इसको सजा दी जाये। उन्होंने कहा कि इसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाये, लेकिन इसके वही आदमी पत्थर मारे जो कि कभी इस जुर्म का मुर्तकिब न हुआ हो। और नतीजा यह हुआ कि उसको पत्थर नहीं मारे गये।

इसको छोड़ दीजिये कि पहले जमाने में क्या होता था। अगर आप ईक्वालिटी की ही बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि सैकड़ों और हजारों वर्ष तक हमारे देश में औरतें अपने मरे हुये पति की चिता में जलती रही हैं। अगर आप ईक्वालिटी की बात करते हैं तो सिर्फ ५० साल तक ही अपनी मरी हुई औरतें के साथ जल के दिखा दीजिये। इसके अलावा हजारों बरस से आप जानते हैं की औरतों की फाइनेन्शल पोजीशन क्या रही है। अगर आप ईक्वालिटी चाहते हैं तो कुछ अर्से के लिये लड़कों के बजाय लड़कियां को कोपार्सनर (समांशी) बनने के हक दे दीजिये और फिर देखिये कि क्या होता है। तो जहां तक ईक्वालिटी का सवाल है, कभी औरत और मर्द में न ईक्वालिटी थी और न अभी बहुत बरसों तक आने वाली है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस जुर्म को किस निगाह से देखा जाये। इस हाउस में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि यह कहे कि ऐसा फेल करने वाला आदमी या औरत जुर्म नहीं करती। लेकिन सवाल यह है कि औरत को इस जुर्म में सजा दी जाये या नहीं। मेरा यह कहना नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

है कि यह फेल करके वह जुर्म नहीं करती। सवाल सिर्फ यह है कि उसको अबेटर (दुरुत्साहक) करार दिया जाये या नहीं। इसके बारे में मैं सबसे पहली चीज यह अर्ज करना चाहता हूं कि ९९ केसेज में औरत की तरफ से जुर्म की शुरुआत नहीं होती, बल्कि मर्द की तरफ से होती है। बहुत कम केसेज ऐसे होंगे जिनमें कि औरतें ऐसे फेल (कार्य) के आरंभ करने की मुर्तकिब होती हों। मैं जानता हूं कि इस गिनती में कुछ प्रास्टीट्यूट्स (वेश्यायें) आ सकती हैं या वे औरतें आ सकती हैं जिनको कि उनके नीच आदमी अपना कुछ काम करवाने क लिये दूसरों के पास भेज देते हैं। लेकिन इन एक्सेप्शन्स (अपवाद) के लिये आप क्यों उस कानून को जो बहुत बरसों से हमारे वहां चला आ रहा है तबदील करवाना चाहते हैं। सवाल यह नहीं कि यह फेल जुर्म है या नहीं। मैं नहीं कहता कि यह कोई बुरा फेल नहीं है। सवाल यह है कि जो चेंज करवाना चाहते हैं वह चेंज जरूरी है या नहीं।

मैं जनाब की तवज्जह (ध्यान) एक और चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे हाउस ने एक कानून पास किया है, हिन्दू ला आफ मैरिज (विवाह की हिन्दू विधि) उसके अंदर एडल्टरी (व्यभिचार) को काफी अहमियत नहीं दी है। उसमें यह करार दिया गया है कि सिंगिल ऐक्ट आफ एडल्टरी (व्यभिचार का एक कार्य) डाइवोर्स के लिये काफी वजह नहीं है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप ने सिविल कानून बनाने में एडल्टरी को इतना बुरा नहीं समझते और एक सिंगिल ऐक्ट आफ एडल्टरी को डाइवोर्स (विवाह विच्छेद) का बेसिस नहीं मानते, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि इस जुर्म में औरत को एबेटर (दुरुत्साहक) करार दे दिया जाये। जब आपने वह एक्ट बनाया तो आपने इस चीज को तबदील नहीं किया और यह चीज अब भी हिन्दू ला आफ मैरिज है कि यदि कोई व्यभिचार करता रहे तो उसी वक्त डाइवोर्स का बेसिस (आधार) बन सकता है, एक सिंगिल ऐक्ट काफी नहीं है। आपने जब शादी का कानून बनाया तो आपने यह शर्त नहीं रखी कि औरत वर्जिन (कंवारी) होनी चाहिये और आदमी ब्रह्मचारी होना चाहिये। इसलिये में अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि क्या इन हालत में यह वाजिब है कि इस कानून को जो कि इतने बरसों से चला आता है हम चेंज कर दें।

मैं उन वजूहात को नहीं मानता जो कि आथर्स आफ इंडिअन पीनल कोड (भारतीय दंड संहिता के लेखक) ने पीनल कोड बनाते वक्त लिखी थी लिखी हैं। उन्होंने जो बजूहात लिखी हैं वे आज ठीक नहीं हैं। मैं जानता हूं कि चाइना में, फ्रांस में, पंजाब के फ्रन्टिअर्स में, बलोचिस्तान में और दूसरी जगहों पर ऐसा जुर्म बनाया हुआ है, लेकिन मेरे वास्ते यह चीज काफी नहीं है। जब ६ जगह में बतलाते कि ऐसा है तो उसके मानी यह हुये कि सारी दुनिया और हिन्दुस्तान में यह जुर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं कि फंला फंला जगह है, वे यह भी कहते हैं कि दूसरी जगह यह जुर्म नहीं है। मैं गलती करता हूं तो मैं बाकी सारी दुनिया के साथ गलती करता हूं जहां कि इस तरह की चीज को जुर्म नहीं करार दिया गया है। ऐसा जुर्म आम तौर पर साबित होना मुश्किल है और अगर यह साबित भी हो तो हमको देखना यह है कि आज औरत को कोई सजा होती भी है या नहीं मर्द को तो ७ साल तक की कैद हो सकती है, औरत को क्यों छोड़ देते हैं, यह अर्गुमेंट (तर्क) बन सकता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस फेल के बाद औरत का क्या हाल होता है इसका भी आपको पता है? पहली बात तो यह है कि बायोलाजिक्ल अर्ज (आकांक्षा) आम तौर से औरत को पहले नहीं आती, दोयम उसको कंसेप्शन (गर्भ) हो सकता है और उसके बाद वह अपने जिस्म पर कितने अर्से तक बैड एफैक्टस् (बुरे प्रभाव) को रखती है और बच्चा अगर उसको पैदा हो जाय तो वह मेंटेनेन्स (संधारण) की जिम्मेदार है। मर्द तो यह कह देगा कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं है।

इसके अलावा जैसे हमारे सोसल (सामाजिक) हालात हैं उनको देखते हुये हमारी सोसाइटी (समाज) में ऐसी औरत को कोई जगह नहीं मिलेगी, रिस्पैक्टेबुल सोसाइटी (सम्मानित समाज) में ऐसी औरत को कहीं जगह नहीं मिल सकेगी और उसकी सोसल डिस्ग्रेस (अपमान) काफी होगी और

ऐसी औरत को कोई भी रिस्पैक्टेबुल खाबिंद अपने घर में नहीं रखेगा और ऐसी औरत की हालत नागफुतावेह (अवर्णनीय) हो जायेगी। अलबत्ता ऐसे आदमी जो की बहुत नीच होते हैं और खुद अपनी औरतों से पेशा कराते हैं उन लोगों के वास्ते अगर आप यह कहें कि उन पर सख्ती हो तो मैं उसको मानता हूं लेकिन सारी सोसाइटी के रूल्स चेंज करने के वास्ते, इतने वर्षों से जो हमारा कानून रायज है उसमें इस तरह की एक बेसिक (मूल) तबदीली करने के वास्ते में तैयार नहीं हूं। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जहां तक इस बिल का सवाल है मैं चाहता हूं कि इसको यहां पर ही खतम किया जाव और सारे हिन्दुस्तान भर में इसको सर्कुरलेट न किया जावे। कोई जरुरत देश में राय पूछने की नहीं है। क्या हमें पता नहीं है कि इस तरह के बिल का लोगों के दिल पर क्या असर होगा। मैं श्री डाभी का मशकूर हूं कि वह ऐसा बिल हमारे सामने लाये और इस बिल के लाने में उनकी मंशा यह है कि देश के अंदर यह जुर्म न हो और इसी वास्ते उन्होंने यह बिल मंजूरी के लिये हाउस के सामने पेश किया है। मुझे उनके साथ हमर्ददी है और मैं भी वही चाहता हूं जो वे चाहते हैं लेकिन मरे सामने सवाल सिर्फ यह है कि मैं अपने देश के कानून को जो इतने वर्षों से चला आया है और जिसके कि बरखिलाफ कोई सख्त शिकायत नहीं हुई, उसको मैं चैंज करुं या न करु और आथर्स आफ द कोड (संविधान के लेखकों) ने जैसा लिखा है। सोसाइटी में औरतों की कंडीसंस (परिस्थितियों) के लिहाज से पैनेल बेट डालू या ना डालू, आथर्स आफ दी कोड ने ऐसा लिखा है। अभी हमारे देश में ऐसी हालत नहीं बनी है कि औरत और मर्द बिलकुल बराबर हो गये हों, औरत अभी तक मर्द के मुकाबले में नहीं आ पाई है। अगर मुकाबले में हो तो मैं अर्ज करूंगा कि पहले आप उन लाज विधियों को चेंज कर दीजिये कि अगर मैरिड (विवाहित) आदमी कोई ऐसा फेल करे जो बीबी के मैरिटल राइट्स के खिलाफ हो, तो उसको सजा हो जानी चाहिये। आप इस तरह का ला बनाइये कि अगर कोई शादी शुदा आदमी किसी गैर औरत के साथ सैक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो उसको सजा होनी चाहिये.....

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): जिसकी शादी नहीं हुई है वह अगर ऐसा जुर्म करे तो क्या होगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय किस गरज से इस तरह का सवाल मुझ से पूछ रहे हैं। ऐसी सूरत में कि जब एक मैरिड मैन है और दूसरी अनमैरिड गर्ल है या विडो है और उनका आपस में तालुक हो जाये तो वह जुर्म है या नहीं, तो इसकी बाबत मैं उनको बड़े दुःख के साथ यकीन दिलाता हूं कि कानून यह है कि वह जुर्म नहीं है गोकि मौरेली (नैतिक दृष्टि से) वह उतना ही रोंग (बुरा) है। हांलाकि यह कानून की निगाह में जुर्म नहीं है लेकिन यह मौरेली और सोसली उतना ही रोंग है। हम सारे सोसल रौंग्स् और मोरल रौंग्स् को लेजिस्लेशन (विधान) के जरिये ठीक नहीं कर सकते, इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि बेहतर यह है कि इस बिल को वापिस ले लिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** ये शब्द श्री सत्य नारायण सिंह से कहे गये हैं, ये मुझे कहे गये न दिखाये जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** दंडिक मामलों में मैंने एक प्रतिवाद का तर्क यह देखा था कि बूढे ऐसा नहीं कर सकते।

†**श्री मो० दि० जोशी :** मैं अपने मित्र श्री डाभी द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। पंडित ठाकुर दास भार्गव भारतीय समाज के विषेय में बहुत कुछ कह चुके हैं। जब भारतीय दंड संहिता के पहले पहल बनी उस समय विधि आयुक्तों ने एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने बताया कि भारत में हिन्दू स्त्रियों का विवाह बाल्यावस्था में ही हो जाने के कारण और उपे ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मो० दि० जोशी]

तथा पतियों के शासन से तंग आकर वे अन्य व्यक्तियों के फुसलाने में आ सकती हैं। अतः उन्होंने कहा कि व्यभिचार के लिये स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिये क्यों कि उनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि वे तीसरे व्यक्ति द्वारा दिये गये प्रलोभनों से अपने आप कों नहीं रोक सकती।

उन्होंने बहु विवाह को बुरा बताते हुये कहा कि जब तक समाज में यह प्रथा प्रचलित है, तब तक वे पत्नी को दंड देने के पक्ष में नहीं हैं। यह सौ वर्ष पहले की बात है।

किन्तु अब स्थिति क्या है? क्या शिक्षा तथा अन्य बातों में उन्नति नहीं हुई हैं? किन्तु मैं तो कहूंगा कि शिक्षा पुरुष और स्त्रियों को और अधिक भ्रष्ट बना देती है। हिन्दू समाज में अशिक्षित सदाचारी अधिक मिलेंगे। अतः इसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। कम से कम शिक्षित और तथा-कथित उच्च वर्गों में बाल-विवाह अब नहीं होते हैं। गांवों में अवश्य अभी तक इसे समाप्त नहीं किया जा सका है फिर भी यह विधि भारतीय समाज के लिये एक स्थायी कलंक है। अंग्रेजों ने ही भारतीय स्त्रियों की इस दशा पर तरस खाकर ऐसा किया था किन्तु क्या आज भी वह विधि वैसा ही रहने दी जानी चाहिये? यह शिक्षा का प्रश्न न होकर केवल बाल-विवाह का प्रश्न है।

अब मैं दंड विधि पर आलोचको का मत बताना चाहूंगा। सर्व श्री रतन लाल और तीर्थ राम का कहना है कि स्त्रियों का दुरुत्साहक के रूप में दंड न देना न तो उचित ही है और न संतोषजनक ही। मनु ने स्त्रियों को दंड देने की व्यवस्था की है और फ्रांस और चीन में स्त्रियों को दंड दिया भी जाता है। इसके अतिरिक्त पंजाब के सीमान्त जिलों में विवाहित स्त्री को व्यभिचार के लिये दंड दिया जाता है।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जब हम किसी विधि को रखना चाहते हैं तो वह पूर्ण और आदर्श होनी चाहिये और सभी लोगों के लिये समान होनी चाहिये। जब कि यहां ऐसी बात नहीं है। अतः "ऐसे मामलों में पत्नी को दुरुत्साहक के रूप में दंड नहीं दिया जा सकेगा" वाक्य निकाल दिया जाना चाहिये। फिर सरकार के लिये यह विधेयक स्वीकार करना उचित होगा।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (जिला मेरठ—दक्षिण) : मेरे जिन मित्रों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है उनके तर्कों पर मुझे आश्चर्य होता है। स्त्री तो कभी पति-पत्नी के पवित्र संबंधों को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करती; यह तो केवल पुरुष ही करता है। अतः अपराध को देखते ही पता लग जाता है कि इसमें केवल अपराधी अर्थात् पुरुष को ही दंड मिलना चाहिये, स्त्री को नहीं।

जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है ९९.९ प्रतिशत मामलों में समाज की व्यवस्था और स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों के परिणामस्वरूप पुरुष ही स्त्री के पीछे भागता है, स्त्री पुरुष के पीछे नहीं।

जीव शास्त्र के अनुसार भी यह तर्क गलत है, क्योंकि स्त्री अधिक कोमल और सुन्दर होने के कारण असहाय होती है। यही कारण है कि पुरुष स्त्री का पीछा करता है। समाजिक क्रमिक विकास के पश्चात ही पुरुष स्त्री का पीछा करने लगा है क्योंकि पहले तो दोनों एक साथी ही रहते थे।

मेरे विचार से पुरुष ही, अधिक क्रियाशील और बलवान होने के कारण इस प्रकार का अपराध करता है। इसलिये दंड स्त्रियों को न मिल कर पुरुषों को मिलना चाहिये।

वैसे भी स्त्रियों तो सदा घर के अन्दर ही रहती हैं, वे और लोगों के घरों को मारी मारी नहीं फिरतीं। अतः ऐसी बात सोचना भी असंभव है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इन सारी चीजों को देखते हुये यह प्रस्ताव अवांछनीय है और मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि वह इस पर आग्रह न करके इसे वापस ले लें।

†**श्री अच्युतन** (त्रेंगनूर) : मैं श्री डाभी द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का विरोध करने में श्री क० कु० बसु से पूर्णरूपेण सहमत हूं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं उसके सिद्धांत का विरोध तो नहीं करता किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि वह देश की वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं हैं। यह सभी मानते हैं कि स्त्री, चाहे किसी भी वर्ग की क्यों न हो, पुरुष की अपेक्षा प्रकृति से ही कमजोर होती है। उसे पुरुष का सहारा चाहिये। अतः उस पर अभियोग चलाना या दंड देना उचित नहीं है। यदि अपराध करने के कारण वह गर्भवती हो जाती है तो उसे प्रसव पीड़ा भी सहनी होती है और जेल में भी रहना पड़ता है। क्या इतना दंड उसके लिये पर्याप्त नहीं है ? अतः श्री डाभी के विचार स्त्रियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं हैं। पुराण काल से लेकर अब तक कितनी आदर्श स्त्रियां हो चकी हैं। फिर इस प्रकार के मामले हमारे समाज में बहुत ही कम होते भी तो हैं।

अतः हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये और यदि इस प्रकार का एक भी अभियोग, जिसका उल्लेख श्री रघुवीर सहाय ने किया है, न्यायालय में आता है तो वह हमारे लिये बदनामी की बात होगी, सारा समाज उस स्त्री का बहिष्कार कर देगा।

अतः अभी इस समय के लिये तो यह विधेयक बेकार है। कम से कम ५० वर्ष तक तो ऐसा कोई मामला न्यायालय में आयेगा नहीं जिसमें स्त्री भी अपराधिनी के रूप में लायी जाय और उसे दंड दिया जाय अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना विधेयक या तो वापस ले लें या वह समाप्त कर दिया जाये।

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : मेरा इस बिल पर बोलने का कोई विचार नहीं था लेकिन जिस तरह के विचार इस भवन में प्रकट किये गये हैं उनको देखते हुये मैंने यह अपना कर्त्तव्य समझा कि मैं भाई डाभी जी से निवेदन करूं कि वह इस बिल को वापिस ले लें। मैं चाहती हूं कि आप इस बिल पर इस दृष्टि से विचार करें कि आप के भी बहनें होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी, आपकी भी भतीजियां होंगी, तथा आपकी भी भांजियां होंगी और इस बिल के पास होने पर उन पर क्या गुजरेगी। आजकल औरत की जो हालत है वह आपको मालूम ही है। आज हमारे देश में इतने ज्यादा जो ब्राथल्स (वेश्या गृह) हैं, उसका क्या करण है। अगर आज वे कायम हैं तो मैं समझती हूं कि ये पुरुषों के ही कारण कायम हैं। जब औरतों के पास खाने के लिये कुछ नहीं होता है, पहनने के लिये कपड़ा नहीं होता है और वे भूखी मरने लग जाती हैं तो ही वे ब्राथल्स की शरण लेती हैं। आप चाइना में ही देखिये कि किस तरह से वहां पर ब्राथल्स समाप्त किये गये है। वहां पर इनको खत्म करने के लिये कौन जिम्मेवार है। मैं समझती हूं कि वहां पर इनको जो खत्म किया गया है उसके लिये भी पुरुष ही जिम्मेवार हैं। यहां पर भी यह काम पुरुष ही कर सकते हैं इतना जुल्म औरतों पर होने के बावजूद भी अगर आप यह जुल्म और उन पर ढाना चाहते हैं तो आप ही बताइये कि यह कहां का न्याय है। यदि आज वे किसी के चंगुल में फंस जाती हैं तो जो उनकी बदनामी होती है, जो उनको सोसाइटी की तरफ से सजा मिलती है मैं समझती हूं वह दंड बहुत काफी है। इस सब के ऊपर कानूनी सजा और उनको देना मैं समझती हूं न्यायसंगत नहीं होगा। आज हमने कई विधेयक पास किये हैं। एक कानून हमने यह पास किया है कि घूस लेने वाले को तथा घुस देने वाले को, दोनों को ही सजा होगी। इसका क्या नतीजा हुआ है ? अब न तो घूस लेने वाला ही बताता है कि मैंने घूस ली है और न घूस देने वाला ही बतलाता है कि मैंने घूस दी है। तो मैं समझती हूं कि इस विधेयक का भी यही हाल होगा यदि इसको पास कर दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस विधेयक को सोच समझ कर पास करें। आज औरतों को पहले ही से सजायें मिल रही हैं और उनको और ज्यादा सजा देने की कोई जरुरत नहीं है। इस लिये बिल को इस बात को ध्यान में रख कर, कि आपकी भी मातायें हैं, आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी भांजियां हैं, और उनके ऊपर इस बिल का क्या असर होगा, पास करना चाहिये। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि भाई डाभी जी इस को यदि वापस ले लें तो बहुत अच्छा होगा और मुझे पूर्ण आशा है कि वह ऐसा कर भी लेंगे।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ—मध्य) : मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं और मैं अपने भाई डाभी साहब से यह आशा करती हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे। जहां तक समानता की बात कही जाती है, मैं मानती हूं कि आज समानता का युग ह और यदि कोई पाप स्त्री तथा पुरुष दोनों करें, तो उसकी सजा भी दोनों को ही बराबर मिलनी चाहिये। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि स्त्री बड़ी उम्र की है और वह फिर ऐसा पाप करती है तो वह इस तरह की सजा पाने की भागी है और उसको सजा मिलनी चाहिये। परन्तु उसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हं कि बहुत सी ऐसी घटनायें भी होती हैं कि छोटी छोटी लड़कियों की शादियां हो जाती हैं और उनके पति चूंकि दुष्ट होते हैं इस वास्ते उनको वे तंग करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ स्त्री चूंकी अबला होती है इस वजह से भी उसके साथ बलात्कार हो जाती है। जब कभी कोई ऐसी घटना हो तो मैं समझती हूं पुरुष को सजा मिलनी चाहिये न कि स्त्री को और उसे माफ कर दिया जाना चाहिये।

आपने बहुत बार अखबारों में भी पढ़ा होगा कि स्त्रियां स्टेशनों पर आती हैं और वे रास्ता भूल जाती हैं और लोग उनको बरगला कर ले जाते हैं और उनकी इज्ज़त खराब कर देते हैं। जब इस तरह से स्त्री की कमज़ोरी का फायदा उठाया जाता है तो मैं समझती हूं उसको माफ कर दिया जाना चाहिये और पुरुष को ही सजा मिलनी चाहिये। इन सब चीजों को ही ध्यान में रखते हुये पहले कानून बनाया गया था और उसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि आज हमारे यहां इस प्रकार का एक कानून बना हुआ है कि यदि कोई बड़ी उम्र की स्त्री भी जो कि शादिशुदा है किसी के साथ प्रेम करती है और यह सिद्ध हो जाता है तो पुरुष को अधिकार है कि वह उसको तलाक दे दे तथा घर से निकाल दे। जब कभी कोई स्त्री ऐसी बात करती ह तो जैसा की भार्गव साहब ने कहा कि जिस तरह की उसकी दशा होती है, वह सब को मालूम ही है। इसके साथ ही साथ स्त्री भी यदि उसका पति पर स्त्री से या किसी लड़की से प्रेम करत है तो उसको भी यह अधिकार है कि वह अपने पति को तलाक दे दे। और इतनी बात होते हुये भी कोई पुरुष अपनी स्त्री को घर से नहीं निकालता ह तो आपको क्या जरूरत है कि आप उस स्त्री को सजा दे, मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काज़ी। तो जब दोनों को ही तलाक देने का अधिकार है तो मैं समझती हूं इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून की यदि आवश्यकता है तो अबलाओं के लिये है। इस वास्ते इस एबेटमेंट की बात को जो स्त्रियों पर भी लागू करने के लिये इस कानून में संशोधन करने का विचार प्रकट किया गया है, वह गलत है। जो मैं मांग कर रही हूं यह निहायत वाजिब और जरूरी है और मैं डाभी साहब से प्रर्थना करती हूं कि वह अपने बिल को वापिस ले लें।

श्री र० द० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : जिस वक्त यह ताज़ीराजहिंद बना था उस वक्त इस बात को तसलीम किया गया था कि एडल्टरी (व्यभिचार) एक जुर्म है और स्त्री पुरूष दोंनों पर एक ही तरह से लागू होती है; जुर्म बुरी चीज है, यह नहीं होना चाहिये। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त कानून बनाया उन्होंने इसमें यह भी लिख दिया कि एबटमट (दुरुत्साहन) के जुर्म से स्त्री को निकाल दिया जाय। स्त्री को निकालने का उन्होंने एक कारण यह लिखा है कि हिन्दूस्तान में पोलो-गेमी है और औरत की पोज़ीशन ज़रा गिरी हुई है। क्यों कि हिन्दूओं में एक आदमी तो जितनी शादियां

चाहे कर सकता है लेकिन उसके बाद उसे अपनी औरत को डाइवोर्स (विवाह विच्छेद) करने का कोई हक हासिल नहीं था। इस चीज़ को देखते हुये औरत मजबूर हो जातीं थी, क्योंकि खाविन्द तो उसके पास उसकी नेचुरल (प्राकृतिक) ख्वाहिस को पूरा करने के लिये नहीं आता था और उस को यह डाइवोर्स भी नहीं करता था। ऐसी सूरत में अगर वह इस तरह का जुम करती थी तो उसको बख्श दिया जाना चाहिये लेकिन मर्द को नहीं। इस तरह से यह कानून उस वक्त बना जब कि हिन्दुस्तान में पौलोगेमी (बहु विवाह प्रथा) थी। इस प्रकार एडल्टरी के लिये मर्द को मुजरिम करार दे दिया जाता है लेकिन औरत को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता है। अब हमने पौलोगेमी की प्रथा को हिन्दूओं में समाप्त करने का बिल पास कर दिया है और मौनोगेमी रायज कर दी है। अब वह सूरत नहीं रही जो कि पहले थी। अब तो सबके लिये यही सिद्धांत लागू होता है कि "आचार परमोधर्म"। यह स्त्रियों पर उसी तरह से लागू होता है जिस तरह के आदमियों पर होता है। या तो आप मुल्क में एडल्टरी की पूरी छूट दे दें कि मर्द भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है और यह कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो यह जो सिद्धांत मैंने बताया है यह दोनों पर एक सा लागू होता है और दोनों को इसका पालन करना चाहिये।

कानून इस लिये बनाये जाते हैं कि लोगों को डर रहे और वे जुर्म न करें। अगर सब अच्छे हो जायें और सब को ठीक शिक्षा मिल जाये और सबका आचरण ठीक हो जाये तो कानूनों की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी और कोई जुर्म ही नहीं करेगा। अब भी जितने भी लोग हैं वे तमाम के तमाम जुर्म नहीं करते हैं। थोड़े से आदमी या औरतें होती हैं जो जुर्म करती हैं और उन्ही के लिये कानून बनाये जाते हैं। उनको डर रहता है कि अगर उन्होंने जुर्म किया तो उनको सजा हो जायेगी।

अब जुर्म क्या है। एबेटमेंट की सूरत में स्त्रियों पर तो कोई जुर्म नहीं लगता है लेकिन आदमियों पर लगता है। अब अगर आप एबेटमेंट (दुरुत्साहन) की तारीफ को सुनें तो आपको पता लगेगा कि दफा १०७ ताज़ीरात हिन्द (भारतीय दंड संहिता) में दिया हुआ है:

"किसी को कुछ करने के लिए उत्साहित करना" यानी अगर वह इंस्टीगेट करे या बरगलाये जब कि दूसरा आदमी न चाहता हो। लेकिन अगर स्त्री दूसर को जुर्म करने के लिये बरगलाये तो क्या वजह है कि उसको सजा न हो। इसलिये अगर कोई औरत बिलकुल मिसरिप्रेज़ेंट (भ्रम फैलाना) करे और कहे कि मैं किसी की व्याहता औरत नहीं हूं—और आदमी को यह बात मालूम न हो—और वह आदमी को अडल्ट्री के जुर्म करने के लिये इन्स्टीगेट करे, तो उस सूरत में उस को भी मुजरिम करार देना चाहिये। मैं समझता हूं कि कानून का डर स्त्री और पुरुष दोनों पर होना चाहिये ताकि हमारे देश में अच्छे आदर्श स्थापित हों। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में ईक्वालिटी (समानता) का कोई सवाल नहीं है। हमारा देश अब आजाद हो चुका है। अब जितने भी कानून बनाये जा रहे हैं, देवियों की मर्जी से और उन के हितों का ख्याल रख कर बनाये जा रहे हैं। इन हालात में अगर यह अमंडमेंट (संशोधन) मंजूर कर ली जाय, तो कोई नुक्सान होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि सब इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश का कैरेक्टर (आचार) और आदर्श ऊंचा होना चाहिये, पुरुषों और स्त्रियों का आचार बहुत ऊंचा और उत्कृष्ट होना चाहिये और दोनो के साथ मुनासिब और बराबर का व्यवहार होना चाहिये। अगर किसी कैस में साबित हो जायगा कि किसी देवी ने ईन्स्टीगेट किया है या मिसरिप्रेजेंट किया है, तब ही वह अबेटर की तारीफ़ (परिभाषा) में वह आ सकेगी और तब ही उस को सज़ा हो सकेगी। माननीय सदस्य श्री भार्गव के कहने के मुताबिक यह सावित करना बड़ा मुश्किल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह मुश्किल है, तो उस को सजा भी नहीं होगी और अगर साबित हो गया, तो सजा हो जायेगी। इस अमेंडमेंट को मंजूर करने का फायदा यह होगा कि स्त्रियों पर कानून का कुछ डर हो जायेगा। अगर होम मिनिस्टर साहब डाभी साहब का यह बिल मंजूर कर लें, तो अच्छा है और अगर न करें, तो हरि इच्छा।

†**श्री दातार :** अनेक कारणों से इस विधेयक को स्वीकार करना मेरे लिये संभव नहीं है। पहले तो, लगभग १०० वर्ष पूर्व जो विधि थी उसमें परिवर्तन करने का समय अभी नहीं आया है। जो माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करते हैं उनका कथन है कि विधि के सम्मुख समानता होनी चाहिये। मैं इस सभा को बताना चाहूंगा कि संविधान में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि जहां तक स्त्रियों और बच्चों का संबंध है, उनके संबंध में यह संसद और राज्य विधान सभायें समानता अथवा भेद-भाव रहित सामान्य सिद्धांतों पर ध्यान दिये बिना विशेष विधियां बना सकती हैं। १९५० तक संविधान सभा की यह राय थी कि अन्य देशों की स्त्रियों अथवा इस देश के पुरुषों की तुलना में भारतीय स्त्रियों की दशा अधिक विचार करने योग्य है। इस परिस्थिति विषेश को हम ध्यान में रखना है।

हमें यह भी बताया जाता है कि स्त्रियों में काफी शिक्षा है और वे भारत के पुरुषों के स्तर पर आ गई है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। जहां तक शहरों का संबंध है, यह सच हो सकता है कि स्त्रियों में काफी शिक्षा फैल गई, किन्तु यदि हम गांवों में जायें, जिनकी संख्या अधिक है, तो हम देखते हैं कि उनकी दशा बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है, वरन् बहुत कुछ दयनीय है। जो विधि बनाई जाने वाली है, अथवा जिसमें परिवर्तन किया जाने वाला है, वह गांवों में भी लागू होगी। ऐसे सारे मामलों में हमें सही दृष्टिकोण को ध्यान में रखना है, केवल सैद्धान्तिक विचारों में नहीं उलझ जाना है।

यह सच है कि भारतीय समाज में अन्य समाजों की भांति, जीवन के दूसरे साथी के प्रति स्थापित्व अथवा निष्ठा की भावना होना अनिवार्य है। यही कारण है कि भारत में न केवल स्त्रियों में ही अपितु पुरुषों में भी एक दूसरे के प्रति अत्याधिक निष्टावान बने रहने पर जोर दिया जाता है। हम कई बार पुरुषों के बारे में यह चीज भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि पतिव्रत्य एक शुभाचार है ; किन्तु हम यह भी जानते हैं कि एक पत्निव्रत भी एक निषेधाज्ञा थी जो पूर्वजों ने हमारे लिये निर्धारित की थी अतः ऐसे सारे मामलों में जब कभी एक दूसरे के प्रति निष्टा का प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे मामलों में विधि के द्वारा हस्तक्षेप करने के बजाय समाज परिस्थितियों को देखता है क्योंकि विधि द्वारा हस्तक्षेप करने से हो सकता है कि कुछ बुरे परिणाम निकलें। अतः परिवार की पवित्रता का संरक्षण करने के लिये पुरुषों और स्त्रियों दोनों को एक दूसरे के प्रति निष्टा बनाये रखनी चाहिये। इस सामाजिक विधि के उल्लंघन करने के मामले में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या हम इसे देश की दंड विधि का एक अंग बना दें। किन्तु ऐसे मामलों में सबसे अच्छा उपाय इसे समाज के ऊपर ही छोड़ देना होता है। न केवल भारत का ही अपितु अन्य देशों का भी यही अनुभव है। जब कोई व्यक्ति विशेष पुरुष हो या स्त्री, अपने दूसरे साथी के विरुद्ध ऐसे अपराध का अपराधी हो, तो स्वाभाविक है कि समाज ही उन विशेष परिस्थितियों पर ध्यान देता है और सबसे बड़ा दंड सामाजिक प्रताड़ना होगा। सभी जगह इसी सिद्धांत का पालन किया गया है और संसार के अधिकांश राष्ट्रों में फ्रांस और चीन को छोड़कर, व्यभिचार अपराध नहीं समझा जाता। संभवतः पुराने चीन में जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, जहां तक पुरुषों का संबंध है, व्यभिचार अपराध समझा जाता था। संसार के अन्य सभी उन्नत देशों में व्यभिचार चाहे वह पुरुषों द्वारा किया जाये अथवा स्त्रियों द्वारा, समाज के ऊपर छोड़ दिया गया है। क्योंकि सामाजिक प्रतिबन्ध अधिक प्रभावी होते हैं। हम कुछ ऐसे मामलों के बारे में जानते हैं जिनमें ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को विधि न्यायालय की कार्यवाहियों की तुलना में कहीं अधिक सामाजिक प्रताड़ना सहनी पड़ी थी।

यह समझा जा सकता है कि जब भारतीय दंड संहिता का पहला प्रारूप तैयार किया गया था तो उसमें व्यभिचार को अपराध के रूप में बिल्कुल ही सम्मिलित नहीं किया गया था। वस्तुतः कुछ देशों में एक नया रुख यह है कि व्यभिचार को पुरुषों के बारे में भी अपराध नहीं समझा जाना चाहिये। अपराधी व्यक्तियों पुरुषों अथवा स्त्रियों को समाज की निशेधाज्ञाओं पर छोड़ देना चाहिये और समाज द्वारा दिया गया दंड अत्याधिक प्रभावी सिद्ध होगा। लगभग १०० वर्ष पूर्व यह समझा

---

†मूल अंग्रेजी में।

गया था कि केवल पुरुषों तक के संबंध में व्यभिचार के अपराध की व्यवस्था न करने पर भी भारत की दंड विधि पूरी हो जायेगी और इसीलिये संहिता निर्माताओं ने व्यभिचार को विधि के अधिन दंड देने के रूप में सम्मिलित नहीं किया था। इसके पश्चात् इस मामले को द्वितीय विधि आयोग को सौंपा गया था। जैसा कि मेरे वकील मित्र जानते होंगे, इस मामले पर कई बार बड़ी सावधानी से विचार किया गया और अन्ततोगत्वा जनता की राय को देखते हुये यह समझा गया कि व्यभिचार का एक सीमित रूप, उस हद तक नहीं जो हम फ्रांस और कुछ अन्य देशों में देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अधीन दंड के रूप में रखा जाना चाहिये। इस अपराध को मान्यता विशेष विवाहित परिवार की सामाजिक शुद्धता को बनाये रखने के लिये दी गई थी। अतः यह व्यवस्था की गई कि कुमारी, अविवाहित स्त्री अथवा विधवा के साथ व्यभिचार करने पर उसे व्यभिचार नहीं समझा जायेगा। यदि किसी विधवा के साथ व्यभिचार किया गया है तो वह अपराध नहीं होगा।

†**श्री टेक चन्द :** ऐसा असंभव है . . .

†**श्री दातार:** मैं जो बता रहा हूं वह यह है किसी पुरुष द्वारा किसी विधवा अथवा अविवाहित स्त्री के साथ किया गया व्यभिचार अथवा निष्टा हीनता को व्यभिचार परिभाषा के क्षेत्र से निकाल दिया गया था। माननीय सदस्य को इसे समझ लेना चाहिये।

उन्होंने "व्यभिचार" का भारतीय अर्थ लगाया है। इसको शाब्दिक अर्थ में समझिये। "व्यभिचार" शब्द सीमित क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया था, अर्थात् व्यभिचार तब अपराध होगा जब कि उदाहरणतः किसी व्यक्ति ने किसी विवाहित स्त्री के साथ उसके पति के जीवित रहते हुये व्यभिचार किया हो।

यह बिल्कुल शाब्दिक परिभाषा नहीं है। व्यभिचार का क्षेत्र भारतीय दंड संहिता से 'व्यभिचार' की परिभाषा में सीमित रूप में दिया है।

†**श्री टेक चन्द :** इंगलैंड में भी।

†**श्री दातार :** मैं माननीय मित्र को सही बात बताना चाहूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** अब विवाद का प्रश्न यह है कि व्यभिचार की यह परिभाषा नहीं है।

†**श्री दातार:** मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भारत में व्यभिचार का अपराध के रूप में सीमित का क्षेत्र है। मैं कोई चीज सरकार की ओर से न कह कर जनता के रुख की बात कर रहा हूं। इसे एक सामाजिक अपराध समझना चाहिये और इसके लिये व्यवहार विधि के अधीन उपबन्धित विवाह-विच्छेद न्यायिक विच्छेद अथवा अन्य प्रकार की राहत दिलाने की कार्यवाही करनी चाहिये। अतः यदि इस परिस्थिति पर विचार किया जाता है तो भारतीय स्त्रियों की विद्यमान परिस्थितियों की दृष्टि से इसमें कोई परिवर्तन करना उचित नहीं होगा।

दूसरे हम यह भी विचार कर सकते हैं कि क्या अपराध बहुत गम्भीर है। और क्या यह इतना प्रचलित है। भारत में व्यभिचार उतना प्रचलित नहीं है जितना कि कभी कभी हमें बताया जाता है। तो फिर व्यभिचार अपराध है जिसे एक सामाजिक अपराध के रूप में मान्यता दी गई है, अतः भारतीय समाज व्यभिचार को सहन नहीं करेगा।

प्रश्न यह है कि क्या विधि का भय होना चाहिये। जहां तक विधि के भय का संबंध है, उसकी सदैव एक सीमा होती है। आप जानबूझ कर ऐसा समाज नहीं बना सकते जो भय पर चलता हो। भय की भावना केवल कुछ कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि जहां तक इस अपराध विशेष का संबंध है, अभी वह समय नहीं आया है जब कि स्त्रियों की दशा में इतना सुधार हो गया हो कि उन्हें पुरुषों के समान स्तर पर रखा जा सके। ऐसी परिस्थिति में, भलाई की

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

अपेक्षा और भी अधिक हानि होगी। वे अपराध करें या न करें किन्तु यदि ये शब्द हटा दिये जाते हैं तो जहां तक स्त्रियों का संबंध है, धारा का उपयोग उन्हें दबाने के लिये किया जायेगा, इससे भ्रष्टाचार का साधन अवश्य बना लिया जायेगा। इन सभी बातों पर विचार करना होगा और उन सारी बातों के अलावा जो मने बताई हैं, कुछ भिन्न ढंग से कुछ और लोगों ने भी बताई हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अभी उसके लिये समय नहीं आया है और हमने अभी उतनी प्रगति नहीं की है जितनी माननीय सदस्य समझे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अब एक विवाह का भी रिवाज है। परन्तु मेरा कहना है कि एक विवाह अभी विधि तक ही सीमित है। आज भी अनेक ऐसे पति हैं जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं। अतः यह कहना उपयुक्त नहीं है कि अब सर्वत्र एक विवाह का ही अस्तित्व है। यह तभी एक पूर्ण सत्य होगा जब अनेक पत्नियां रखने वाले सभी पति मर जायेंगे। मेरा इस सभा से यह निवेदन है कि अभी स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं हुआ है।

जहां तक सामाजिक विधान का संबंध है, हम उसमें बड़े अच्छे अच्छे परिवर्तन ला रहे हैं: हम इस क्षेत्र में अच्छे अच्छे विधान भी ला रहे हैं। उदाहरणतया हमने ऐसा प्रबन्ध भी कर दिया है जिसमें कि कोई पति विवाह विच्छेद कर सकता है। तलाक एक बुराई है, मगर जब दूसरा व्यक्ति ऐसी बातों पर तुल जाये जिससे कि विवाहित जीवन की सारी प्रसन्नता ही नष्ट हो जाये तो ऐसी दशा में उसे एक आवश्यक बुराई समझ कर स्वीकार करना ही पड़ता है। इसी लिये संसार में इतने तलाक होते हैं। मेरा निवेदन है कि हमें देश की दंड विधि में परिवर्तन करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिये। खास कर ऐसी विधि से जो लगभग १०० वर्ष पूर्व बनाई गई थी। इसने समय के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, हमें उसमें इस आधार पर परिवर्तन करने की बात नहीं सोचनी चाहिये कि अब पुरुष और स्त्री समान धरातल पर आ गये हैं इस लिये इसकी आवश्यकता है। मैं अपने माननीय मित्र श्री डाभी से, जो पिछले चार या पांच वर्ष से इस दिशा में विशेष उत्साह दिखा रहे हैं, यह प्रार्थना करता हूं कि वह अपना उत्साह अन्य अच्छे कार्यों में लगायें और अगर और कुछ नहीं तो कम से कम इस सभा की एक सदस्या द्वारा की गई अपील को ही स्वीकार करने में उदारता दिखायें।

†**श्री टेक चन्द :** सम्भवतया मंत्री महोदय को यह ज्ञात होगा कि धारा ९९ और १०० के अनुसार किसी व्यक्ति का किसी ऐसे व्यक्ति को मार देना न्याययुक्त है जो कि उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का इरादा रखता हो। एक संभावी व्यभिचारी को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा में मारा जा सकता है, लेकिन अब आप एक ऐसा विधान बना रहे हैं जहां किसी व्यभिचारी को दुष्कर्म करने पर भी कोई दंड नहीं दिया जा सकेगा। उसका जान से मारना तो दूर रहा उसे जेल भी नहीं भेजा जा सकगा....

†**श्री दातार :** यह सादृश्य पूर्णतया भ्रामक है।

†**श्री डाभी :** जिन मित्रों ने इस विधेयक पर चर्चा करते हुए मेरा समर्थन किया है मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं। इस विधेयक के विरोध में जो भी युक्तियां दी गई हैं उनमें से कोई भी युक्ति ठोस नहीं है। जिन सदस्यों ने नारी जाति की सहायता करने के लिये अनुरोध किया है वे वास्तव में उनको विशेष रक्षा प्रदान करना चाहते हैं और उनके प्रति सहानुभूति की भावना से प्रेरित हैं किन्तु मैं कहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में स्त्रियों के लिये कोई विशेष रियायत मांगना उनकी आत्मप्रतिष्ठा को घटाना है। श्रीमती जयश्री ने भी यही कहा है कि वह इस बात से सहमत हैं कि स्त्रियों और पुरुषों को समान धरातल पर रखा जाये। मैं पूछता हूं जब हमें एक पत्निव्रत के लिये कहा जाता है तो दूसरे पक्ष को भी एक पतिव्रत के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने इसके प्रत्युत्तर में एक यह कारण भी बताया है कि जब दंड संहिता बनी थी तो उस समय बहु विवाह की प्रथा काफी प्रचलित थी इस लिये उन्होंने इसके लिये स्त्रियों को दंड देने का कोई उपबन्ध नहीं दिया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

और माननीय मंत्री अब भी यह विश्वास रखते हैं कि आज भी काफी सीमा तक बहु विवाह की प्रथा कायम है हालांकि १९५१ को जनसंख्या की रिपोर्ट में पृष्ठ ७५ पर स्पष्टता यह उल्लेख किया गया है कि लगभग आज इस प्रथा का कहीं भी अस्तित्व नहीं है।

यद्यपि मेरी बहनों ने मुझे यह विधेयक वापिस लेने के लिये कहा है, किन्तु मैं समझता हूं वह मेरी भावनाओं की भी कदर करेंगी। सभा को उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

श्रीमती जयश्री ने यह भी कहा है कि धारा ४९७ को बिल्कुल उड़ा दिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय का यह विचार है क्यों कि संसार के किसी भी देश में व्यभिचार को वैध अपराध नहीं माना जाता है, इस लिये यह पूर्ण धारा समाप्त कर दी जाये। मैं उनसे इस बातों में सहमत नहीं हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर उसी समय विचार हो सकता जब कि आप एक नया विधेयक प्रस्तुत करें।

इसके पश्चात् भारतीय दंड संहिता १८६० में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

बेकारी सहायता विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम अगले विधेयक पर विचार करेंगे। श्री नायर।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बेकार लोगों को सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को उस पर अक्तूबर १९५६ के अन्त तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाय"।

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली)** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान। अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत इस विधेयक पर पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी चाहिये थी, वह नहीं ली गई है। एक ऐसा ही विधेयक १९५३ में श्री गोपालन द्वारा पुरःस्थापित किया गया था और जब उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मांगी गई तो उसे अनुमति नहीं मिल सकी थी। क्यों कि यह भी वैसा ही विधेयक है, इस लिये इस पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अतः मेरा निवेदन है कि अभी इस पर विचार नहीं होना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस पर इस प्रकार का औचित्य प्रश्न उठाया गया है। इससे इस प्रकार के विधेयकों का प्रश्न हमेशा के लिये हल हो जायेगा। मुझे माननीय मंत्री द्वारा अनुच्छेद ११७(३) का निर्देश किये जाने पर बड़ा अचम्भा हुआ है, और खास कर जब कि थोड़ी देर पहले उन्होंने विधि कार्य मंत्री से परामर्श किया है। अनुच्छेद ११७(३) में क्या है? वह जानते है कि संविधान में धन विधेयक और वित्त विधेयक में अन्तर दिखाया गया है। वहां धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, मगर वित्त विधेयक की कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है। हां, हम अनुमान द्वारा उसकी परिभाषा कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि यह विधेयक अधिनियमित किया गया, तो हो सकता है इसमें कुछ व्यय हो और मैं यह भी मानता हूं कि मेरे पास राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है। मगर मैंने राष्ट्रपति की अनुमति लेने से पहले सारे राष्ट्र की अनुमति लेने के लिये ही इसे जानबुझ कर पहले यहां रखा है। और मैं नहीं समझता कि अगर मुझे यहां राष्ट्र की अनुमति प्राप्त हो गई तो फिर मुझे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल सकेगी।

एक बात और भी है। मेरे माननीय मंत्री शायद विधेयक के "प्रक्रमों" के बारे में कुछ गलत-फहमी कर रहे है। मैंने इस समय सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा ही है कि यह विधेयक परिचालित किया जाये। मैंने इस पर विचार करने के लिये प्रस्ताव नहीं रखा है। अगर यह विचारार्थ प्रस्ताव होता तो शायद आप का तर्क लागू हो सकता था, आशा है इस संबंध में आप लोग सभा के प्रक्रिया नियम ९२ का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कोई विधेयक लोगों की राय जानने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है तो इस पर विचार करने का कोई प्रसंग नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वें० पे० नायर]

आता है और इस प्रकार यह विधेयक अनुच्छेद ११७(३) के नहीं अन्तर्गत आता है। अतः मैं यह आग्रह करता हूं कि यह विधेयक अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत नहीं आता है और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरे, लोक-सभा के प्रक्रिया नियम ९२ के अनुसार भी मंत्री महोदय की बात लागू नहीं हो सकती है। अतः मुझे इस पर बोलने के लिये अनुमति दी जाये।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मुझे अभी अभी इसका पता लगा है, किन्तु सचमुच इससे यहां एक ऐसा विषय उत्पन्न हो गया है जिस पर कि मैं अपना विचार सभा के सामने रखना चाहता हूं। इस विधेयक को 'बेकारी सहायता विधेयक' कहा गया है और यह सरकार पर बेकारों की मदद करने का भार डालना चाहता है। यह एक बड़ा सुन्दर उद्देश्य हो सकता है। मुझे इस विधेयक के गुण-दोषों पर कुछ नहीं कहना है। किन्तु शायद इससे सरकार पर करोड़ों रुपये का भार पड़ जाये। मगर यह केवल अनुच्छेद ११० के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह नहीं कह रहे हैं कि इससे व्यय नहीं होगा। वह यह बल दे रहे हैं कि परिचालन के प्रस्ताव के लिये राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यक नहीं है।

†**श्री पाटस्कर** : मेरा यह कहना है कि यह पुरःस्थापित भी नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यह पुरःस्थापित हो चुका है मगर यह एक दूसरी बात है। हमें इस की पुरः स्थापना पर विचार करना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं तो माननीय मंत्री महोदय को केवल यही बताना चाहता था कि माननीय सदस्य यह नहीं कह रहें है कि इससे व्यय नहीं होगा। खैर आप आपना तर्क जारी रख सकते हैं।

†**श्री पाटस्कर** : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद ११० के अनुसार यह एक धन विधेयक है। इसमें भी तनिक संदेह नहीं है कि यह एक धन विधेयक है। और अगर यह धन विधेयक है तो अनुच्छेद ११७(१) के अनुसार इसे राष्ट्रपति की अनुमति बिना पुरःस्थापित भी नहीं किया जाना चाहिये था। इस लिये यह एक सांवैधानिक महत्व का प्रश्न है।

†**श्री वें० प० नायर** : यह एक और औचित्य प्रश्न है।

†**श्री पाटस्कर** : अब यह तर्क दिया जा सकता है कि यह बिल पुरःस्थापित हो चुका है। परन्तु इस बात के अलावा, जब तक संविधान के अनुसार इसकी पुरःस्थापना नहीं होती है, तब तक इस पुरःस्थापना का कोई लाभ नहीं है।

मुझे यह मालूम नहीं है कि जब यह बिल पुरःस्थापित किया गया था तो उस समय क्या हुआ था, क्या उस समय इसका विरोध हुआ था अथवा नहीं, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि यह भी मान लिया जाय कि उस समय इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी तब भी हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जिसका कि संविधान में निषेध किया गया हो।

मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार किया जाये कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक होते हुये भी किसी प्रकार से इस तरह पुरःस्थापित हो जाये तो क्या मैं आप का ध्यान इस ओर नहीं दिला सकता हूं कि यह धन विधेयक है और संविधान के अनुसार इसकी इस प्रकार पुरःस्थापना नहीं हो सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अनुच्छेद ११०(१) की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय का यह कहना है कि यह विधेयक केवल उन्हीं विषयों से सम्बन्धित है जो कि उक्त अनुच्छेद में गिनाये गये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर :** अन्ततोगत्वा, व्यवहार में आने पर उसका वही अर्थ होगा। इसमें भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन करने का उल्लेख किया गया है और यह बात अनुच्छेद ११०(१) की (घ) मद के अन्तर्गत आती है। मेरे विचार में इसके अतिरिक्त इस बिल में और कुछ बहुत थोड़ी है। इसमें स्पष्टता यह कहा गया है कि बेकार लोगों को भी भारत की संचित निधि में से धन दिया जाये।

†**श्री वें० पे० नायर :** यह "बहुत थोड़ा" भी यह सिद्ध करने के लिये काफी है कि यह धन विधेयक नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है यह "बहुत थोड़ा" ही इस विधेयक को "केवल" धन विधेयक होने से पृथक करने के लिये पर्याप्त है। किन्तु यदि मंत्री महोदय की यह धारणा है कि इसमें 'केवल' वही बातें है तब एक दूसरा प्रश्न हो जाता है।

इस विधेयक के बारे में दो प्रश्न उठाये गये हैं। एक यह कि अनुच्छेद ११० के अनुसार इसकी पुर:स्थापना नहीं की जानी चाहिये थी। मंत्री महोदय का यह कहना है कि यह एक अनियमिता थी जो इसको पुर:स्थापित कर लिया गया है। किन्तु अनुच्छेद १२२(१) के अनुसार हम संसद् को किसी भी कार्यवाही को अनियमिता के आधार पर चेलेंज नहीं कर सकते हैं।

†**श्री पाटस्कर :** मैं इसे चेलेंज नहीं कर रहा हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि इस विधेयक की पुर:स्थापना के समय कोई और अनियमिता हुई होती तो हम इस समय उसका उल्लेख नहीं करते।

†**श्री पाटस्कर :** क्या मैं एक-दो शब्द कह सकता हूं ? मैं संसद् की कार्यवाही को चेलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है—हो सकता है कि हमारा इस विषय में कुछ मतभेद हो—वह संविधान के उपबन्धों के अनुरुप नहीं है। मैं तो केवल आप से यह अपील कर रहा हूं कि यदि यह ठीक है तो आप इस विषय पर पुन: विचार करने की कृपा कर सकते है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका यही तात्पर्य हो जाता है। आप का यह कहना है कि यह विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जाना चाहिये था और सभा इसकी स्वीकृति दे चुकी है। अगर इस विनिमय में कोई त्रुटि भी थी, तो भी अब हम उस पर आपत्ति नहीं उठा सकते हैं।

दूसरी आपत्ति यह की गई है कि संविधान के अनुच्छेद ११७(३) के अनुसार ऐसा विधेयक जिसमें व्यय अन्तरग्रस्त हो, तब तक पारित नहीं होगा, जब तक उस पर विचार किये जाने की राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश न की गई हो। परन्तु लोकमत के लिये विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव सर्वथा भिन्न है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय का पहला विनिर्णय मौजूद है। अत: इस प्रस्ताव के बारे में कोई बाधा नहीं, और हम इसे ले सकते है।

स्वयं प्रस्तावक ने कहा है कि यदि संसद् इस प्रस्ताव को लोक मत के लिये परिचालित करना चाहती है तो राष्ट्रपति अपनी सिफारिश दे देंगे। इस दृष्टि से भी १९५३ के मामले का उदाहरण जिसको राष्ट्रपति ने सिफारिशि करने से इनकार कर दिया था, इस विधेयक के मार्ग में कोई बाधक सिद्ध नहीं होता।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति ने इस के लिये समय निर्धारित नहीं किया, इस लिये हमें समय निर्धारित करना होगा। मैं समझता हूं एक घंटा पर्याप्त होगा।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण—पूर्व) : यह महत्व पूर्ण विधेयक है, अधिक समय चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वें० प० नायर :** कम-से-कम दो घंटे दिये जाने चाहिये ।

†**श्री फीरोज गांधी :** एक घंटा काफी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक घंटा काफी रहेगा ।

†**श्री वें० प० नायर :** उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो कुछ कहा गया है उसमें अब भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।

इस विधेयक द्वारा बेकार लोगों को कुछ सहायता देने का उपबंध करने का विचार है । परन्तु भारत सरकार की नीतियों से पता चलता है कि वह बेकार लोगों को सहायता देने के पक्ष में नहीं है । इस का कारण यह बताया जाता है कि इस से मजदूरों में यह मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न हो जायेगा कि उन्हें काम नहीं मिलेगा । यह सर्वथा गलत धारणा है । वस्तु स्थिति यह है कि बेकारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । और दूसरी योजना के अन्त तक भी बराबर बनी रहेगी । साढ़े तीन करोड़ से अधिक खेती करने वाले लोग वर्ष में ५ महीने बेकार रहते हैं । इस प्रकार जन शक्ति से काम न लिये जाने के कारण बड़ी भारी हानि होती है । योजना आयोग ने जानकारी दी है । यह तो कृषि की बेकारी है, अन्य क्षेत्रों में भी बेकारी बहुत अधिक है । कारण यह नहीं कि लोग काम करने को इच्छक नहीं, बल्कि कारण यह है कि लोगों को काम नहीं मिलता । समाजवादी ढंग के समाज का हमारा उद्देश्य है और इसके लिये बेकारी में सहायता का उपबंध करना बहुत अच्छा उपाय है, जिसे प्रमुखता दी जानी चाहिये ।

संविधान में उपबंध है कि राज्य सबको आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयत्न करेगा । परन्तु देश में तो अनेको शिक्षित और अशिक्षित लोग बेकार फिर रहे हैं, और उनकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । अपितु मजदूरों को सहायता देने के लिये भी जो कोई सुझाव दिया जाता है सरकार उसका विरोध करती है । अब श्रम मंत्री इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं ।

मैं मानता हूं कि पहली योजना से औद्योगिक उत्पादान में ४०–४५ प्रतिशत वृद्धि हुई है और कई नई फैक्टरियां खुल गई हैं । उद्योगो की आय और लाभ में बहुत वृद्धि हुई है परन्तु मजरी और वेतनों में बहुत ही कम वृद्धि हुई है । १९५० में मजूरी और वेतन का ४२ प्रतिशत ाग था, जब कि १९५४ के अंत तक में यह राष्ट्रीय आय का ३३ प्रतिशत रह गया है । दूसरी ओर लाभ ५८ प्रतिशत के स्थान पर ६७ प्रतिशत हो गया है । हमारी पहली योजना की इस अर्थ व्यवस्था से श्रमिकों और कामगारों को कोई लाभ नहीं हुआ । औद्योगिक उत्पादन में वृधि होने की अवस्था में भी सुसंगठन उद्योंगों में छंटनी हो रही है तथा बेकारी फैल रही है । उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योंगो में १०,००० और पटसन मिलों में ४० हजार लोगों के बेकार हो जाने की संभावना है । क्या इसे वैज्ञानिकन कहा जा सकता है । दूसरी योजना में ३५,००० से ३६,००० विद्युत करघे लगाने का विचार है । पहले ही से तो ४ या ५ लाख पंजीबद्ध हथकरघे हैं । इतने बड़े उत्पादन को खपाने की क्या गुंजाइश है ? हम वैज्ञानिकन के विरुद्ध नहीं, यदि इस से मजदूर लोग बेकार न हों । हथकरघा कपड़े की मांग में अधिक वृद्धि नहीं हुई, फिर इतने विद्युत करघों की स्थापना से सैंकड़ों हथकरघा मजदूर बेकार हो जायेंगे और बेकारी अधिक बढ़ेगी ।

मद्य निषेध की अच्छाई बुराई में न पड़ते हुये मैं कहूंगा कि सरकार को वस्तु स्तिति पर विचार करना चाहिये । जो लोग परम्परा से केवल शराब निकालने का काम करते हैं, उन का क्या होगा ? वे सब बेकार हो जायेंगे और उन्हें और कोई काम भी नहीं मिलेगा ।

कपड़ा उद्योग के वैज्ञानिकन से हजारों लोग बेकार हो जायेंगे । क्या सरकार ने उनको दूसरे कामों में लगाने की कोई योजना बनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

माननीय मंत्री कहते हैं कि देश के साधारण मजदूरों को निर्वाह योग्य मजूरी मिलेगी। परन्तु उनको जो मजूरी मिलती है क्या उसे निर्वाह योग्य मजूरी कहा जा सकता है ?

मजदूरों के लिये, जो ५० या ५५ वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होंगे, किन सामाजिक प्रतिभूतियों व्यवस्था की गई है ? उस अवस्था में जब वह कोई काम करने के योग्य नहीं होते, उनके गुजारे लिये के क्या प्रबंध किया गया है ? क्या सरकार ने कभी इस ओर भी ध्यान दिया है ?

प्रतीत होता है कि सरकार मजदुरों की भलाई के लिये कुछ नहीं करना चाहती। यदि उसे मजदूरों के प्रति कोई सहानुभूति होती तो वह इस विधेयक की सूचना मिलते ही स्वयं इस प्रकार का विधेयक पुरःस्थापित करती। एक विशेषज्ञ समिति ने गहन अध्ययन के उपरांत मजदूरों की बीमा योजना तैयार की। परन्तु सरकार ने केवल इस बहाने से उसे कार्यान्वित नहीं किया, कि उसमें मजदूरों से कुछ अंश दान लेने का सुझाव था। क्या सरकार इस विशिष्ट सिफारिश को छोड़कर शेष सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकती थी ? दुख की बात है कि सरकार अन्तराष्ट्रीय श्रम संघ की सिफारिशों की भी उपेक्षा करती जा रही है।

अन्तराष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा प्रकाशित बेकारी बीमा योजना विश्व के २५ देशों में लागू की जा चुकी है। यद्यपि भारत इस संघ का सदस्य है, किन्तु इसने इस योजना को नहीं अपनाया। यों तो हमारी सरकार संसार की सभी प्रणालियों की अच्छी बातों को अपनाने को उत्सुक है, परन्तु जो बात अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, उसे अपनाने में आना कानी करती है, क्योंकि उससे मजदूरों को लाभ पहुंचाता है।

यदि यह विधेयक लोक मत के लिये परिचालित किया जाये तो निश्चय ही जनता इस का खूब समर्थन करेगी और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति भी इसकी सिफारिश करेंगे।

यह विधेयक बड़ा महत्व पूर्ण है और यह सामाजिक प्रतिभूतियां देने की दिशा में पहला कदम है। अतः मैं इस प्रस्ताव को कि लोकमत बनाने के लिये इसे परिचालित किया जाय सभा की सिफारिश के लिये रखता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री साधन गुप्त :** आश्चर्य की बात है कि सरकार इस विधेयक पर गंभीरता पूर्वक विचार न करके इस पर बेकार टेक्नीकल आपत्तियां उठा रही हैं और इस पर विचार किये जाने के समय की अवधि को घटाने का प्रयत्न कर रही है। वह अपनी बहुसंख्या के द्वारा इस पर चर्चा को कम करने में सफल भी हो सकेगी।

श्री नायर ने आंकड़े बता कर बेकारी समस्या का यर्थाथ चित्र खींचा है। हम प्रतिदिन लोगों को काम की तालाश में मारे मारे फ़िरते और जीवन की सब आशाओं से निराशा हुये सड़कों पर घूमते देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में श्री नायर मजदूरों को बेकारी सहायता देने के संबंधित विधेयक को लोक मत के लिये परिचालित कराना चाहते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि उस प्रत्येक व्यक्ति को जो काम कर सकता है और करना चाहता है, उस के जीवन-निर्वाह योग्य करोबार दे। यह प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का वैध अधिकार है। अतः समय की मांग है कि इस प्रकार का कोई विधान बनाया जाना चाहिये जिससे मध्यम और निम्न श्रेणियों के लोगों को बेकारी सहायता दी जाये।

श्री नायर ने इस विधेयक के संबंध में लोक मत जानने के लिये इसे परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है, परन्तु सरकार अपने बहुमत से उसे भी रद्द कर देगी।

†**डा० रामा राव** (काकिनाड) : सरकार इसे स्वीकार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री साधन गुप्त** : सरकार द्वारा प्रविधिक आपत्ति उठाये जाने से मुझे यह आशंका हो गई थी। इसे परिचालित करने से बड़े मुल्यवान सुझाव आयेंगे और इससे श्रम जीवी लोगों को कुछ आराम और संरक्षण मिलेगा।

अतः मैं सभा से निवेदन करता हूं कि इसे योंही रद्द न कर दिया जाये, बल्कि इस पर विचार किया जाय। और इसे देश के लोगों के सामने रखा जाय, ताकि हम देख सकें कि उनके विचारों को ध्यान में रखते हुये क्या कुछ किया जा सकता है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : मैं श्री नायर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें इस विधेयक को परिचालित करने के लिये कहा गया है।

जब मैसूर में भारतीय श्रम सम्मेलन का तेरहवां सत्र हो रहा था तब श्री गिरि ने कहा था कि यदि वे इस प्रकार का कोई विधेयक तैयार करें तो उन्हें केबीनेट से अलग होना पड़ेगा।

†**श्री वें० प० नायर** : वास्तव में हुआ भी यही है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : इस समय २२ देशों में बेकारी बीमा योजनायें चल रही हैं। अतः यदि हम अपने देश में भी उसे चलायें तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। कुछ लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है और वे इस की कटु आलोचना करते रहते हैं। इस योजना में सरकार कुछ समय के लिये उन लोगों को भत्ता देती है जो बेरोजगार हैं किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार उन्हें सदैव पैसा देती रहे। जब यह योजना लागू होगी तो सरकार स्वयं रोजगार देने का प्रबंध करेगी।

एक वर्ष पहले जब श्री गोपालन ने बेकारी बीमा पर संकल्प प्रस्तुत किया था तब सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी किन्तु सरकार ने उसे परिचालित करने के बजाय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

प्रथम योजना में हमारा औद्योगिक उत्पादन २२ प्रतिशत बढ़ गया और कृषि-उत्पादन में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई, फिर भी राष्ट्रीय सम्पत्ति का समाज में उचित रुप से बँटवारा नहीं हुआ। उद्योगपतियों को अवश्य लाभ हुआ किन्तु जन साधारण की संपत्ति में वृद्धि नहीं हुई। अतः मैं समझता हूं कि बेकारी बीमा से सरकार अपने दायित्व को समझने लगेगी और पूंजीपति भी मजदूरों को बेकार नहीं बनायेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री आबिद अली : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में मुझे सब से पहले तो यह निवेदन करना है कि एक मेंबर साहब ने जो ब्रूट मैजारिटी का इस बारे में जिक्र किया है, वह बहुत ही नामुनासिब चीज है।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय सदस्य यदि अंग्रेजी में बोलें तो उसे सब समझ लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर है।

†**श्री आबिद अली** : विरोधी दल के सदस्य अपनी आलोचना में कुछ ऐसी शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें न करना चाहिये। निर्वाचिकों के लिये यह कहना कि उन की पाशविक बहुसंख्या है, उन का अपमान करना है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे शब्दों को दोहराया नहीं जायेगा।

अंतराष्ट्रीय श्रम संघ की एक कन्वेन्शन कमेटी का मैं स्वयं सभापति था और संघ की बातों को लागू करने में हमारे देश को एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हम उन की बातों को लागू नहीं करते।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उदाहरण के लिये मद्य-निषेध को लीजिये। यदि वह बुरी चीज़ है तो उसे खत्म कर देना चाहिये। बंबई और अन्य राज्यों ने, जहां मद्य-निषेध लागू है, इस बात का काफी प्रयत्न किया है कि इसे लागू करने से जो बेकार हो गये उन्हें रोज़गार दिया जाये। ताड़ी से चीनी बनाने आदि अनेक उद्योगों में उन्हें काम दिया गया है।

इस विधेयक को स्वीकार करना असंभव है। इस में कहा गया है कि १६ वर्ष की आयु में जो भी रोज़गार के दफ्तर में नाम लिखाता है वह रोज़गार का हकदार है और उसे रोजगार न मिलने तक भत्ता दिया जाना चाहिये। इस का अर्थ तो यह हुआ है कि द्वितीय योजना में केवल इसी काम के लिये हमें २,००० करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हम इस प्रकार का मुक्त दान नहीं करना चाहते। चाहे पूंजीवादी अथवा सर्वसत्तावादी देश कुछ भी करें, हम अपना शासन प्रजातांत्रिक आधारों पर चलाते हैं। हम तो प्रत्येक को काम देना चाहते हैं। द्वितीय योजना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में मिला कर ७५ अरब रुपये व्यय किये जायेंगे। इससे रोजगार अधिक से अधिक बढ़ेगा और उन्हें उचित वेतन भी मिल सकेगा।

प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि देश की स्थिति को सुधारे। उसे राष्ट्र की संपत्ति का उचित अंश प्राप्त करने का भी अधिकार है। हम समाज के केवल कुछ व्यक्तियों के लिये ही समृद्धि नहीं चाहते बल्कि सब के लिये कल्याण चाहते हैं।

अतः इस विषय में प्रस्तावक ने जो आपत्तियां की हैं वे भ्रांति पूर्ण हैं और देश की जो दशा उन्होंने चित्रित की है वह भी सत्य नहीं कही जा सकती। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और लोग भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। यदि माननीय सदस्य 'पाशविक बहुसंख्या' शब्द का प्रयोग करने पर ही तुले हुये हैं तो उन्हें अगले चुनाव के बाद फिर इसका अवसर मिलेगा क्योंकि जनता को हमारी ईमानदारी और हमारे उद्देष्यों में विश्वास है। वह हमारे साथ है और हम उसके साथ है।

हम किसी को सताना नहीं चाहते और न किसी का दमन करना चाहते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने हम पर आरोप लगाया है। हम सब के साथ खुले आम व्यवहार करते हैं। हमने इस आरोप का भी अनेक बार खंडन किया है कि रोजगार की संभावना कम होती जा रही है। माननीय सदस्य का कथन है कि कपड़ा मिलों में अभिनवीकरण या वैज्ञानिकन किया गया है। किन्तु, उसके किये जाने पर भी कोई छंटनी नहीं की गई है। यह बात भी हमने अनेक बार कही है। इस के अतिरिक्त यदि किसी की छंटनी की जाती है तो उसे उस की क्षतिपूर्ति मिलती है। सरकार ने भविष्य निधि का उपबन्ध भी कर रखा है। बीमारी की दशा में भी मजदूरों को क्षतिपूर्ति दी जाती है और अस्पताल में जिस प्रकार धनी से धनी व्यक्ति का इलाज किया जाता है उसी प्रकार उनका भी इलाज किया जाता है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : आप कलकत्ते जा कर तो देखिये।

†**श्री आबिद अली** : मैं तो वहां कई बार गया हूं और जाता ही रहता हूं। मुझे कलकत्ता से उतना ही प्रेम है जितना बंगालियों को है। मुझे वहां के लोगों से प्रेम है और उन्हें मुझसे प्रेम है।

हां, तो बीमा योजना के बारे में मैं यह कह रहा था कि मजूदरों को अच्छे से अच्छे अस्पताल उपलब्ध होते हैं।

श्री त० ब० विट्ठलराव : आप उप समिति की रिपोर्ट पढ़िये।

†**श्री आबिद अली** : मैंने उसे पढ़ा है। मुसीबत यह है कि माननीय सदस्य अच्छी चीज को बुरी समझ कर पढ़ते हैं और बुरी को अच्छी समझ कर। अब इसका मैं क्या करूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आबिद अली]

जिन मजदूरों को चोट लग जाती है उन्हें बेकारी और बीमारी का मुआवजा दिया जाता है । यह इलाज केवल खांसी जुकाम का ही नहीं होता बल्कि सब बीमारियों का होता है और उन स्थानों पर इलाज होता है जहां अमीर लोगों की सेवा की जाती है । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । मैं इस का कोई अर्थ नहीं समझता ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या आप इस का परिचालन भी नहीं चाहते ?

†**श्री आबिद अली** : मैं इसके परिचालन का भी विरोध करता हूं क्यों कि इस से योजना अवधि में देश के ऊपर बहुत भार पड़ेगा और रोजगार के अवसर स्वयं योजना में ही दिये जा रहे हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य का उत्तर देना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अच्छा आप को दो मिनट दिया जाता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : मुझे माननीय मंत्री का भाषण सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ है । उन्होंने इस विषय को टालने को कोशिश की है । मेरी समझ में नहीं आता कि विधेयक को केवल परिचालित करने से देश पर क्या भार पड़ेगा ।

माननीय मंत्री ने बार-बार कहा है कि मजदूरों को सब प्रकार की सुविधायें दी जा रहीं हैं और अस्पतालों में उन का अच्छा इलाज किया जाता है । किन्तु उन्होंने शायद अपनी कल्पना के बल पर ही अनेक अस्पतालों की रचना कर रखी है । मैं उनसे पूछता हूं कि अब तक कितने मजदूरों का एक्सरे किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : हजारों लोगों का ।

†**श्री वें० प० नायर** : जी हां, हजारों लोगों का । उन बेचारों को टी० बी० हो रही है । इस लिये उन से पैसा लेकर उन का एक्सरे किया जाता है और माननीय मंत्री कहते है कि उनको सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध है ।

इसी प्रकार २,००० करोड़ रुपये का अन्दाज भी केवल कल्पना पर आधारित है । ये आंकड़े न तो योजना आयोग ने तैयार किये हैं और न श्रम मंत्रालय ने । पता नहीं माननीय मंत्री ने बैठे-बैठे यह कैसे निश्चय कर लिया कि इस योजना से २,००० करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपना भाषण अब समाप्त कर देना चाहिये ।

†**श्री व० प० नायर** : मैं अपने भाषण के अन्त में माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदात के लिये सभा के समक्ष रखा गया और वह अस्वीकृत हुआ ।

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि स्त्रियों तथा बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं को विनियमित और अनुज्ञापित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या अपना भाषण अगली बार जारी रखें । हम अब आधे घंटे की चर्चा आरंभ करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य श्री साधन गुप्त को ज्ञात होगा कि उन्हें १० मिनट मिलेंगे। १० मिनट माननीय मंत्री के उत्तर के लिये और शेष १० मिनट उन दो सदस्यों के लिये होंगे जिन्होंने उनकी प्रार्थना का समर्थन किया है।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण—पूर्व): ८ मई, १९५६ को तारांकित प्रश्न संख्या २०२२ के उत्तर में राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री ने दो बहुत आश्चर्य जनक वक्तव्य दिये थे। एक यह था कि स्टेन्डर्ड वैकुअम और बर्माशेल द्वारा स्थापित तेल शोधक कारखानों के और कैलटैक्स द्वारा स्थापित किये जाने वाले कारखानों के उत्पादन पर अन्य तेल शोधक कारखानों के उत्पादन पर लगायी गयी दर की अपेक्षा दो आने कम की दर से उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। आश्चर्य का विषय यह था कि इन तेल मालिकों को, जो अपने भारी मुनाफों के लिये सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, उत्पादन शुल्क रियायत दी जाये। उससे अधिक आश्चर्य इस बात का है कि मंत्री महोदय ने उस रियायत का इस तर्क से समर्थन किया कि यह रियायत एक संरक्षण है। किन्तु यह रियायत संरक्षण के लिये आवश्य कनहीं है। यह बात उसी प्रश्न पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उनके उत्तर से स्पष्ट हैं। श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा ने पूछा था कि क्या वर्मा शेल और स्टैंडर्ड वैकुअम तेल कंपनी पर लगाये गये उत्पादन शुल्क और आयात शुल्क में कोई समानता है, और यदि हां, तो उस समानता के क्या कारण है। उस पर श्री अ० चं० गुह ने उतर दिया था कि आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क बराबर है किन्तु बर्मा शेल स्टैंडर्ड वैकुअम तेल कंपनी और कैलटैक्स के लिये यह प्रत्याभूति है कि कम से कम दो आने की रियायत दी जायेगी। किन्तु हम वही रियायत अन्य तेल शोधक कारखनों जैसे आसाम तेल कंपनी को नहीं दे रहे हैं। इस उत्तर से यह दिखायी पड़ता है कि इस कटौती का उत्पादन की लागत से कोई संबंध नहीं है और वह एक संरक्षण मात्र है। इस तर्क के अलावा और भी कई तथ्य है जिनसे यह वक्तव्य और उत्पादन शुल्क में कमी करने के संबंध में आश्वासन निरर्थक सिद्ध हो जाते है।

हम सभी जानते हैं कि इस देश में तेल के भाव का तेल की लागत मूल्य से कोई भी संबंध नहीं। यहां तेल का मुल्य इस प्रकार तय किया जाता है कि पहले अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी में तेल का जो मूल्य होता है उस पर सब से निकट उपलब्ध तेल के उद्गम स्थान से समुद्री भाड़ा रखा जाता है। तेल शोधक कारखानों के मामले में इस मूल्य पर और भी कुछ जोड़ा जाता है। उसमें पदाधिकारियों के पुरस्कार, उनके पहाड़ी भत्ते समुद्री भत्ते, निःशुल्क क्वार्टर, मोटरगाड़ी आदि के भत्ते जोड़े जाते हैं। उसके बाद और १० प्रतिशत जोड़ा जाता है। परिणाम यह होता है कि तेल कंपनियों को जितनी ही अधिक लागत पड़ती है, उनका मुनाफा उतना ही अधिक होता है।

हमारे मामले में समुद्री भाड़ा मध्य पूर्व के देशों से जोड़ा जाता है। यूरोप के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने तेल के मूल्यों के संबंध में अनुसंधान लगा कर के देखा है कि मध्य पूर्व के मूल्य से प्रति बैरल १.४ डालर का मुनाफा होता है। फिर मेक्सिको को खाड़ी में मूल्य कई कारणों से और भी अधिक है। एक तो वहां मध्य पूर्व की अपेक्षा मजूरी लागत अधिक हो ी है, और दूसरे अमेरिका में प्रत्येक तेल कूप से अतौसन निकासी कहीं कम होती है। जैसे अमेरिका में प्रत्येक तेल कूप से निकासी प्रतिदिन केवल ३१ बैरल होती हैं जब कि मध्य पूर्व में एक तेल कूप से अतौसन निकासी प्रतिदिन ५,००० बैरल होती है और क्यूवैक में तो वह ९,००० बैरल प्रतिदिन होती है। भारत में तेल अधिकतर मध्य पूर्व से आता है, फिर भी यह मूल्य अमेरिका में तैयार किये गये तेल का मूल्य माना जाता है। उस प्रकार वे पहले उत्पादन लागत पर फिर मजूरी लागत पर, फिर अन्य खर्चों पर मुनाफा कमाते हैं। उसमें १० प्रतिशत और जोड़ा जाता है। परिणाम यह है कि बर्मा शेल तेल शोधक कारखाने ने एक थोड़े से कार्य काल में चार करोड़ रुपये का मुनाफा किया है।

आज वास्तविक स्थिति यह है कि पेट्रोल का उपयोग करने वालों को अधिक मूल्य देना होगा। उसके अतिरिक्त हमें कर भी देना है क्योंकि पेट्रोल के ऊंचें दाम के कारण योजना का खर्च बढ़ जाता है। फिर भी तेल मालिकों को अपने निर्यात शुल्कों में दो आने कम देना पड़ेगा जिससे कि सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

को एक बड़ी रकम का घाटा होगी। इससे एक मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि इन तेल शोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। हम जानते हैं कि हमने यह आश्वासन दिया है कि तीस वर्ष के अन्दर हम उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे किन्तु जिस तरह हमें लूटा जा रहा है उसे देखते हुये हमें यही कहना पड़ता है कि वह एक डकैती है। वे इतना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण के लिये उन्हें कोई प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये। किन्तु फिर भी हम इससे इसलिये सहमत हुये हैं कि किसी भी स्थिति में चाहे प्रतिकर देकर ही क्यों न हो, तुरंत राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं एक बात और पूछता हूं कि इनमें से कितना लाभ देश में फिर विनियोजित किया जाना है और क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे वह उन्हें अपने लाभ का कोई अंश देश में पुनः विनियोजित करने के लिये उन्हें बाध्य कर सके ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं मंत्री महोदय से पूछती हूं कि सरकार अब भी पेट्रोल का वास्तविक रेल भाड़ा सहित मूल्य क्यों मंजूर करती है जिससे बर्मा-शेल की लागत तथा दस प्रतिशत जोड़ा जाता है। वह पूर्णतः भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन है। वह किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है। जब संसद् में बार बार इस पर प्रश्न पूछे जाते है तब सारा विषय क्यों नहीं स्पष्ट किया जाता है और सरकार उसे क्यों न्यायोचित करार देती है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब १० प्रतिशत पुरस्कार है, तब उसके ऊपर और मुनाफा क्यों लिया जाता है ?

तीसरा प्रश्न यह है कि बर्मा शेल और स्टेनवाक तेल शोधक कारखानों ने जो मुनाफा कमाया है उसमें से कितना भाग भारतीय अन्वेषण और उत्पादन में फिर विनियोजित किया गया है या किया जायेगा। और क्या सरकार को ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है कि तेल कंपनियां अपने मुनाफा का पर्याप्त भाग पुनः विनियोजित करेंगी और क्या उस संबंध में उस उत्पादन या अन्वेषण पर सरकार का कोई नियंत्रण रहेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मुझे प्रसन्नता है कि गत कई सप्ताह से न केवल इस सभा ने बल्कि समाचार पत्रों ने भी देश में पेट्रोल के भाव तथा स्थापित तेल शोधक कारखानों के विषय में काफी दिलिचस्पी है।

किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया है कि बंबई में दो और विज़ाग में एक तेल शोधक कारखानों को स्थापना देश के हितों के लिये हानिकारक नहीं है। फिर भी यह शंका प्रकट की गयी है कि इन तेल कंपनियों को जिन्होंने ये तेल शोधक कारखाने स्थापित करना स्वीकार भी कर लिया है, कुछ रियायतें देना कहां तक उपयुक्त है। आज इन तेल शोधक कारखानों को स्थापित करने के लिये जो करार किया गया है, उसकी शर्तों का परीक्षण करते हुये हम उस समय देश की तथा विदेश की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं की बिल्कूल उपेक्षा नहीं कर सकते। माननीय सदस्यों को याद होगा कि एंग्लो ईरानी तेल कंपनी के संबंध में ईरान में जो कुछ हुआ उससे बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इस लिये सरकार ने यह नितान्त आवश्यक समझा कि भारत में पर्याप्त क्षमता के तेल शोधक कारखाने स्थापित किये जांये जिससे देश की आवश्यकता पूरी हो।

आज भी यही समझा जाता है कि अपने देश में तेल शोधक कारखानों की स्थापना से हमारा उस पर काफी नियंत्रण रहेगा और औद्योगिकरण को एक प्रोत्साहन मिलेगा, खासकर जब कि हमें उचित शर्तों पर विदेशी विनियोजन प्राप्त करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस पृष्ट भूमि में ये वार्ताएँ शुरू की गयी थी। तेल शोधक कारखाने स्थापित करने में जो बड़ी पूंजी लगती है और उनकी स्थापना में जो बहुत विशिष्ट प्रक्रियायें होती है, उन्हें देखते हुये यह संभव नहीं था कि सरकार स्वयं वे कारखाने स्थापित करने की बात सोचती। तीन तेल शोधक कारखानों की स्थापना में लगभग ६३ करोड़ रुपये लगते जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कतिपय अन्य राष्ट्र निर्माणकारी योजानओं से खींचे बिना आसानी से नहीं दिया जा सकता था।

अतः उन कारखानों के अभाव में देश में पेट्रोल की संपूर्ण मांग आयात से पूरी करनी पड़ती।

देश में आज पेट्रोल की मांग ४३ लाख टन है और डिगबोई में आसाम तेल कंपनी के तेल शोधक कारखाने से केवल ७ से ८ प्रतिशत तक मांग पूरी होती है। यदि इन तेल शोधक कारखानों से और कोई लाभ न हो तो कम से कम १० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की ही बचत होगी। यह कहना शायद अत्यधिक आशावाद प्रकट करना नहीं होगी कि हम स्वयं भारत में ही काफी मात्रा में तेल निकाल सकेंगी और इन कंपनियों के साथ हुये समझौते में इस बात की व्यवस्था है कि उन्हें इस भारतीय तेल का भी यथा संभव उपयोग करना पड़ेगा। यदि यह आशा पूरी होती है तो विदेशी विनिमय की बचत काफी बढ़ जायेगी।

एक बार यह मान लेने पर कि इन तेल कंपनियों की सहायता से ये तेल शोधक कारखाने स्थापित करना आवश्यक है, हमें उन उचित शर्तों को मानना होगा जिससे वे इस देश में पर्याप्त पूंजी लगा सकें। अधिक से अधिक सावधानी के साथ इन तीन कंपनियों से करारों के विषय में बातचीत की गयी। जब करार का अंतिम मसौदा तैयार हो गया, जिसे सरकार के परामर्श दाताओं ने उचित समझा, तब सरकार ने उस पर हस्ताक्षर करना इसलिये स्वीकार कर लिया कि उससे देशका बहुत बड़ा हित होगा।

अब मैं मुख्यतः इन दो बातों का विवेचन करुंगा। एक तो करार का वह उपबंध जिसमें कहा गया है कि विभिन्न पेट्रोल उत्पादों पर विद्यमान भिन्न लागतें करार की तारीख पर थी, तेल शोधक कारखानों के कार्यारंभ की तारीख से १० वर्ष तक या १९६५ तक, जो भी पहले हो, उसी प्रकार रखी जायेंगी। दूसरा उपबंध वह है जिसमें मोटर स्पिरिट के लिये उत्पादन शुल्क में दो आने प्रति गैलन की रियायत दी गयी है।

दूसरे के संबंध में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह रियायत तेल शोधक कारखानों में तैयार की गई तथा देश में उपयोग में लाई गई वास्तविक मात्रा पर ही लागू होगी। कंपनियां वास्तव में जो हिसाब लगायेंगी और सरकार के सामने रखेंगी उसी के आधार पर ये रियायतें दी जायेंगी। उनका यह कहना था कि जब तक ये रियायतें नहीं दी जायेगी, उनकी परियोजनायें लाभदायक नहीं होगीं। इस लिये हम किसी भी कंपनी से इस बात की आशा नहीं कर सकते थे कि वह अनुमान के आधार पर ६० करोड़ रुपये विनियोजित करे।

सरकार ने इन कंपनियों को जो रियायतें देना मंजूर किया है उनमें किसी किस्म की अति हो गयी है, इस प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब कि ये कारखाने अपने कारोबार में सामान्य स्थिति पर आ जायेंगे और जब यह सिद्ध हो जायेगा कि वे इस उद्योग में आम तौर पर प्राप्त होने वाले साधारण मुनाफे से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हें काम शुरु किये एक वर्ष से कुछ थोड़ा ही समय हुआ है। स्टैनवाक तेल शोधक कारखाना और बर्मा शेल तेल शोधक कारखानों के एक वर्ष के कारोबार के परिणाम के आधार पर उनका यह दावा है कि लाभ अत्याधिक नहीं है।

इन कंपनियों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, सरकार उनकी जांच कर रही है, और वह देखेगी कि वे ठीक हैं या नहीं। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि वह सदा सावधान रहे और इस पहलू का बराबर पुनर्विलोकन करती रहे और समय समय पर ऐसी उचित कार्यवाही करती रहे जिससे कि इस देश में तैयार हुये तेल स्पिरिट आदि की बिक्री से उचित अंश से ज्यादा मुनाफा न लिया जाये।

[सरदार स्वर्णसिंह]

इस उद्योग के लाभ के बारे में चर्चा करते समय एक पहलू ऐसा है जिसे मेरी राय में ध्यान में रखा जाना चाहिये। कई अन्य उद्योगों की तुलना में इस उद्योग में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने का अनुपात काफी अधिक है। और इस व्यय की पूर्ति करने के लिये विनियोजन के ज़रिये नये और बाहरी स्त्रोत प्राप्त करना सदा संभव नहीं होगा। विशेष पहलुओं और सरकार द्वारा प्रदत्त इस आश्वासन को यदि ध्यान में रखा जाता है कि वास्तव में हुये लाभ पर वह नज़र रखेगी तो मुझे विश्वास है कि करारों के विषय में कुछ क्षेत्रों में जो बैचैनी महसूस की जा रही है वह दूर हो जायेगी।

अब मैं मूल्यों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक अपरिष्कृत तेल के मूल्य का संबंध है, वह मैक्सिको की खाड़ी के खुले बाजार के मुल्य पर आधारित है। मैं यह बता दूं कि फारस की खाड़ी या मध्य पूर्व के स्रोतों में अपरिष्कृत तेल के उत्पादन का जो मूल्य है उसके बारे में वास्तव में विचार क्यों नहीं किया जाता है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्यों को कुछ गलत फहमी हुई है। फारस की खाड़ी में खुले बाज़ार जैसी कोई चीज़ नहीं है और यदि फारस की खाड़ी के मूल्य को आधार मान लिया जाता है तो फिर यह आपत्ति की जा सकती है कि वहां कोई खुला बाजार नहीं है और वह एकाधिकारवादी मूल्य है और वास्तविक मूल्य का निर्णय करने के लिये कोई बात मौजूद नहीं है। इसलिये मैक्सिको की खाड़ी के जो मूल्य हैं, केवल उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य कहा जा सकता है। यही कारण है कि संसार भर में तेल समवायों द्वारा अपरिष्कृत तेल के मूल्य के लिये इन मूल्यों को आधार माना जाता है। ऐसा होने के कारण परिष्कृत पदार्थों के मुल्य स्वाभाविकतः उस मूल्य से संबंधित होते हैं जिस पर कि तत्सम परिष्कृत पदार्थों को हमारे देश में आयात किया जा सकता है। अपरिष्कृत तेल का कम रेल भाड़ा, यातायात में अपेक्षाकृत कम वाष्पीकरण, बीमा कराने तथा अन्यान्य शुल्कों में कुछ बचत आदि बातों के कारण कुछ छोटी-मोटी बचत निश्चय ही की जा सकती है।

इन पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और फुटकर मूल्य को कम करने के लिये यथाशक्य प्रयास किया जायेगा; किन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, जब हम अपनी जांच और अध्ययन से इस बात की पुष्टि कर लें कि समग्रतः शोधन शालायें को नाजायज़ मुनाफा हो रहा है तब इन बातों पर विस्तार पूर्वक विचार करना उपयुक्त होगा। करार में यह उपबन्ध है कि मुल्य निर्धारित करने में उन्हें सरकार से विचार-विमर्श करना चाहिये और आयात समतुल्यता मूल्य केवल एक निरपेक्ष उच्चतम सीमा है। यदि हमने ये शोधन शालायें स्थापित न की होतीं तो तैयार किये गये पदार्थों के लिये आयात समतुल्यता मूल्य की दर से भुगतान करते रहने के अलावा हमारे लिये कोई अन्य विकल्प नहीं होता।

मैंने अभी इस बात का उल्लेख किया है कि इन शोधन शालाओं में कार्यकरण में फुटकर मूल्यों का निर्धारण और मुनाफे की गणना इत्यादि के प्रयोजनार्थ आयात समतुल्यता मूल्य एक अस्थायी आधार हो सकता है। जब हम शोधन शालाओं के लिये आयातित अपरिष्कृत तेल पर पूर्णतः निर्भर हों तब यह निश्चय ही पूर्ण रुप से उचित हो सकता है। यदि देश में ही हमें पर्याप्त मात्रा में अपरिष्कृत तेल मिल जाये तो परिस्थिति पूर्ण रुप से बदल जायेगी और हम न केवल इन्हीं शोधन शालाओं में उसे शुद्ध कर सकते हैं किन्तु भविष्य में स्थापित की जाने वाली शोधन शालाओं को भी काम में लाया जा सकता है जिनकी पूंजी में संभवतः सरकार का एक बड़ा अंश होगा। मैं इसका उल्लेख केवल यह बताने के लिये कर रहा हूं कि जो करार पहले ही कर लिये गये हैं उनके कारण यह जरूरी नहीं है कि सरकार अन्य करारों को स्वीकार न करे जिन्हें भविष्य में उन्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिये उचित समझा जाये।

जहां तक इस देश में मौजूदा फुटकर मूल्य का संबंध है, मैं पैट्रोल को एक उदाहरण तौर पर देकर यह बता दूं कि बंबई में पेट्रोल का मूल्य (कर और शुल्क घटाने के पश्चात) कराची में जो मूल्य हैं उसके बराबर है और कोलम्बो, रंगून, बैंकौक और सिंगापुर में जो मुल्य है उनसे प्रति गैलन १/४

से लेकर १ आने तक अधिक है। इन मूल्यों की तुलना करने में हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि सम्भरण के स्थानों से कुछ स्थान अधिक पास होते हैं। और किसी अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में समस्त क्रय-विक्रय काफी अधिक होता है। उदाहरण के लिये पैट्रोलियम से बने पदार्थों का प्रति व्यक्ति उपभोग भारत में प्रति वर्ष केवल ३ गैलन के लगभग ह जब कि श्रीलंका में वह २६ गैलन है और इंगलैंड में १२८ गैलन है। भारत में वितरण व्यवस्था को जितने क्षेत्र में काम करना पड़ता है उसे देखते हुये फुटकर मूल्य के निर्धारण में प्रति गैलन वितरण-व्यय का अनुपात अनुचित नहीं। इसके अलावा फुटकर मूल्यों के बारे में विचार करते समय हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिये कि उपभोक्ता द्वारा जिस मूल्य का भुगतान किया जाता है उसमें शुल्क, कर और परिवहन व्यय का एक काफी बड़ा हिस्सा होता है। उदाहरण के लिये दिल्ली में पैट्रोल का मूल्य २।।।=) है। इसमें से केवल १।) बंबई से रेल भाड़ा, परिवहन व्यय ८१।≡) माल उतारने और चढ़ाने का शुल्क। ।)आना, विक्रेता के लिये पारिश्रमिक ≡) चुंगी अथवा उत्पादन शुल्क ९।।।≡) और बिक्री कर –)।। आना है। इस प्रकार उतरे हुये माल की लागत फुटकर मूल्य के लगभग केवल ३७ प्रतिशत है और चुंकि शुल्क और बिक्री-कर इन दोनों को मिला देने पर वह अवतारित व्यय के लगभग बराबर होता है।

अन्त में माननीय सदस्य ने यह पुछा था कि डिगबोई शोधनशाला इन विशेष रियायतों के अभाव में किस प्रकार कार्य कर रही है। इसका उत्तर यह है कि जब शोधन शाला स्थापित की गयी थी तब मूल्य इतने ऊंचे नहीं थे। शोधन शाला अपरिष्कृत तेल के स्रोत के पास हैं और आयात किये गये परिष्कृत पदार्थों से प्रतियोगिता करने के योग्य बनाने के लिये उसे अभी हाल तक भाड़े के संबंध में विशेष रियायतें प्राप्त होती रही हैं। मुझे जो सीमित समय प्राप्त था उसमें मैंने स्थिति की मोटी रुप-रेखा को प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूँ कि सभा का इस बात के प्रति समाधान करा देने में मैं सफल हो गया हूं कि सरकार ने सभी संगत बातों पर पूर्ण विचार करने के बाद ही तेल समवायों से करार किये हैं। निश्चय ही मैं यह तर्क नहीं करता कि परिस्थतियों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, करार की शर्तों के होते हुये भी तेल समवाय पहले नज़र में आये मुनाफे से अधिक मुनाफा कमाने की स्थिति में नहीं होंगे। मैं यह भी कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि यदि नये करारों के बारे में बात चीत की जानी होगी तो हम शर्तों में सुधार नहीं कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने सभा की इस शंका का समाधान करा दिया है कि अंतिम रुप से जो करार किये गये हैं वे राष्ट्रहित-विरोधी नहीं हैं और यदि सरकार इन शोधन शालाओं की गतिविधियों को सतर्कता से देखती रहे तो वह इस बात की व्यवस्था कर सकेगी कि संबंधित करारों के प्रविधिक अथवा शाब्दिक निर्वचन के आधार पर तेल समवाय कोई अनुचित लाभ नहीं उठाते हैं।

वास्तव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि शोधन शालाओं में कार्य के फलस्वरुप उचित लाभ से अधिक लाभ प्राप्त होने की स्थिति में उनसे फुटकर मूल्यों में परिवर्तन करने के लिये अथवा ऐसे अन्य परि-वर्तन करने के लिये कहा जा सकता है। वास्तव में यह सोचने के लिये पर्याप्त कारण हैं कि वह स्वेच्छा से ऐसा करने के लिये कहें जो व्यवहार्य हों और जिनसे वे अपने विनियोग पर उचित प्रत्याय से अधिक राशि प्राप्त न करें।

मैंने इस वक्तव्य के दौरान दो आने में रियायती उत्पादन शुल्क संबंधी स्थिति को स्पष्ट किया है और जहां तक तेल के मूल्य का संबंध है, मैंने यह स्पष्ट किया है कि मैक्सिको की खाड़ी के मूल्य को, जहां तक खुला बाजार है, आदलत आधार किस प्रकार माना जाता है। यूरोप संबंधी वित्त आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक समूह ने जो कुछ विचार प्रकट किये हैं उस के बारे में श्री साधन गुप्त ने एक बात का उल्लेख किया है। मुझे भी उस प्रतिवेदन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और वह एक ऐसा प्रतिवेदन था जिसे स्वयं उक्त आयोग ने स्वीकार नहीं किया था। प्रतिवेदन को आर्थिक और समाजिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया किन्तु आयोग प्रतिवेदन के सभी निष्कर्षों से सहमत नहीं हुआ। इसलिये उन बातों का उल्लेख सिद्ध निष्कर्षों के तौर पर नहीं किया जा सकता क्यों कि उसे कई व्यक्तियों ने एक पक्षीय मूल्यांकन निरूपित किया है। (**अन्तर्बाधा**)।

मैं यह नहीं कहता हूं कि उसमें जो कुछ कहा गया है वह गलत है किन्तु उस प्रतिवेदन के आधार पर श्री साधन गुप्त ने जिस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया उसके लिये वह एक विश्वसनीय आधार नहीं हो सकता।

†**श्री साधन गुप्त** : तेल के उद्योगपतियों का यह तर्क है किन्तु आप का तर्क यह नहीं होना चाहिये।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमें यह ख्याल रखना चाहिये कि इस तरह के मुहावरों आदि का कोई विशेष मूल्य नहीं होता। विशेषणों का प्रयोग मैं भी कर सकता हूं किन्तु मैं ने स्थिति को निष्पक्ष भाव से स्पष्ट करने का निश्चय किया है और इस के संबंध में मैं किसी प्रकार का दोष स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं क्यों कि जिस समय यह करार किये गये उस समय इन सब बातों पर पूर्ण विचार किया गया था और सब कुछ हो जाने के बाद इस तरह का पाण्डित्य प्रदर्शन देश के उत्तरदायी लोगों को शोभा नहीं देता। मेरे मित्र ने मूल्य संबंधी १० प्रतिशत वृद्धि का आंकड़ा कहां से प्राप्त किया है यह मुझे ज्ञात नहीं। यह एक ऐसी बात है जिसकी जांच की जानी होगी क्योंकि मूल्य में १० प्रतिशत वृद्धि एक ऐसी बात है जिसे बगैर सोचे समझे स्वीकार नहीं किया जाता।

बर्मा शेल शोधक शालाओं के वास्तविक लाभ के संबंध में आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। वे आंकड़े एक प्रतिवेदन में प्रकाशित हुये हैं और जैसा कि मैंने बताया, सरकार इन बातों की जांच कर रही है। पुनर्विनियोग कितना किया गया इस संबंध में एक और बात उठाई गई है। वास्तव में वह एक ऐसी बात है जिसके संबंध में श्री के० दे० मालवीय ने इस सभा में बताया था कि इन तेल समवायों में से कुछ समवायों को खोज और विदोहन संबंधी रियायतों में काफी दिलचस्पी है और वास्तव में वह कुछ खोज कर भी रहे हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : उन्हें क्या लाभ है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जब तक कि हम उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रारंभ नहीं करते, व्यापारी लोग अवश्य ही लाभ की आशा करेंगे जैसा कि मेरे वक्तव्य में पहले ही कहा जा चुका है, यह संभव है कि जो नई शोधन शालायें स्थापित की जायेंगी उनमें सरकार की भागीदारी प्रधान होगी।

कई माननीय सदस्य खड़े हुये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आधे घंटे की चर्चा के लिये १ घंटे का समय नहीं दिया जा सकता है। मुझे खेद है कि ऐसा करना संभव नहीं है। माननीय सदस्यों को मंत्री महोदय के लिये कुछ समय छोड़ना चाहिये था।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए अवधि का बढ़ाया जाना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: संयुक्त समिति के अध्यक्ष पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार से पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्रों का हस्तान्तरण तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये संयुक्त समिति को प्रदत्त अवधि ११ अगस्त, १९५६ तक बढ़ाई जाये।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : अवधि बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं?

†**श्री दातार** : कारण यह है कि संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों ने, जिन्होंने एक विमति टिप्पण पर हस्ताक्षर किये थे, यह अनुरोध किया है कि प्रतिवेदन आज प्रकाशित न किया जाये क्यों कि वे उसे पढ़ना चाहते हैं। मैं इस सभा को यह बता दूं.....

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : हम यह जानना चाहते हैं कि उस पर सोच विचार समाप्त हुआ अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : यहां तृतीय वाचन समाप्त होने पर सोच विचार समाप्त हुआ था और इसलिये हम प्रतिवेदन कल प्रस्तुत करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बिहार से पश्चिम बंगाल में कुछ राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण और उस से संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय को ११ अगस्त १९५६ तक के लिये और बढा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, ११ अगस्त, १९५६ क ११ बज तक क लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६]

स्थगन प्रस्ताव ८६७–६८

गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये, अध्यक्ष महोदय ने एक स्थगन प्रस्ताव, जिसकी सूचना श्री अ० क० गोपालन तथा अन्य सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। यह प्रस्ताव अहमदाबाद में गड़बड़ के परिणामस्वरुप उत्पन्न हुइ कथित स्थिति के बारे में था।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ८६८

उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश उपस्थापित . . ८६८

श्री ब० गो० मेहता ने प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खण्ड ५, संख्या ७ उस्थापित किया।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . ८६८–६९

पंडित द्वा० ना० तिवारी ने प्रधान मंत्री का ध्यान पाकिस्तान सरकार की ४ अगस्त, १९५६ को निकाली गई विज्ञप्ति की ओर दिलाया जिसमें नेकोवाल घटना के लिये पाकिस्तान सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति देने के बारें मे भारत के प्रधान मंत्री द्वारा संसद् में दिये गये वक्तव्य का खंडन किया गया है।

प्रधान मंत्री ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक—विचाराधीन ८६९–७४

राज्य सभा द्वारा पारित रुप में नदी बोर्ड विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक—पारित ८७४–९८

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में राज्य पुनर्गठन विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—पुर-स्थापित . . . ८९८

श्री म० ला० द्विवेदी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७ख का हटाया जाना) पुर:स्थापित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत . . ८९८–९११

श्री डाभी के भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—परिचालित करने का प्रस्ताव-अस्वीकृत ९११–१८

बेकारी सहायता विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने का प्रस्ताव की वें० प० नायर द्वारा प्रस्तुत किया गया। कुछ चर्चा के बाद प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन ९१८

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव श्रीमती कमलेन्दुमति शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आध घंट की चर्चा ९१९–२४

श्री साधान गुप्त ने मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन-शुल्क के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २०२२ के ८ मई, १९५६ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न बातों पर आधे घटे की चर्चा उठाई।

निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तथा चर्चा समाप्त हुई।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये और आगे समय बढ़ाया जाना ९२४–२५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय ११ अगस्त, १९५६ तक बढ़ा दिया गया।

शनिवार, ११ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में नदी बोर्ड विधेयक तथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अन्तर्राजीय नदी जल विवाद विधेयक पर विचार तथा पारण। मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार।

भा. स. मु. ना.–वि.३–२१० लोक सभा/५६–२७–८–५७–१९०.